खण्ड-356, अंक-5
सोमवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(15 मार्च, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	507–510
प्रश्नोत्तर	511–553
वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	553–554
बिजनौर से चन्दौसी जाते समय हुई बस दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कतिपय व्यक्तियों के घायल होने तथा उन्हें लूट लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	554
आनन्द नगर शुगर फैक्ट्री, गोरखपुर द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर गन्ना खरीदे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	555
कानपुर से लखनऊ आने वाली बस के दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों की मृत्यु तथा श्री राजपति गिरि, निवासी मेढ़ी, (आजमगढ़) की बन्दूक थानाध्यक्ष अजगैन द्वारा लूटे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	555–556
थानाध्यक्ष अतरौलिया तथा महाराजगंज की साँठ-गांठ से आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों में असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	556–557
दिनांक 15 फरवरी, 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य ..	557–558
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 (पुरः स्थापित किया गया)	558
निर्वाचन आयोग के श्री सी० एल० रोज द्वारा सदस्यों को भेजे गये परिपत्र के संबंध में औचित्य का प्रश्न	558–559
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	559–561
गोंडा जिले में पुलिस डाकू मुठभेड़ तथा प्रदेश में ट्रकों की हड़ताल के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	561–568
1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग, अनुदान-संख्या 66--सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा अनुदान संख्या 78--स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत)	568–624
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	624
शासन द्वारा प्रदेश में सीमेन्ट वितरण की स्पष्ट नीति की घोषणा न किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	624–634
प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में जानकारी ..	634–637
नर्सियां	639–645

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बज कर 2 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--3 14

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबलि हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला बरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबंर मंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)

जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
ज़िलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवारा, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नासिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डे, श्री (देवरिया)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)

मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्य म पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूपा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)

वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री
(टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह, नेगी (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर
(पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उफ मुन्नी)
(गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पन्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री
(मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 15 मार्च, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

चने का बीज क्रय करने हेतु कमेटी का गठन

*1--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चना का बीज क्रय करने हेतु किसी कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी हैं ? क्या यह सत्य है कि एक करोड़ के ऊपर का चना, लाखों रुपये ढुलाई चार्जेज के साथ, समय से क्रय नहीं किया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि 10 फीसदी भी चना बिक्री नहीं हुआ, 90 फीसदी से ज्यादे कृषि बीज गोदामों में जमा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता । सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री हुकम सिंह--

इसमें आपने जो कहा कि किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चना क्रय किया गया यह किसके आदेश से क्रय किया । शासन स्तर का कोई आदेश था और जो चना आया वह किसके माध्यम से आया ? इसकी जानकारी दे दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसमें राज्य स्तर पर ज्वाइन्ट डायरेक्टर पलसेस होते हैं । इस साल सूखे की वजह से यह सोचा गया कि लोग चने को खेती ज्यादा करेंगे और जो चना प्रमाणित उपलब्ध था वह कम संख्या में था । शासन से एक निर्णय लिया गया कि इस साल चने की बुआई ज्यादा होगी मौजूदा बीज कम है और बीज खरीदना होगा । अतः स्थानीय निदेशक को आदेश दिया गया कि वह वहां अपने क्षेत्र को आवश्यकतानुसार चने का बीज खरीद ले उन्होंने चना खरीदा । अब वह चना कब पहुंचा, क्यों नहीं बिक सका भन्डार में कब पहुंचा, बिक्री क्यों नहीं हुई, इसके लिए मैंने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*2--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[9 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला परिषद्, बहराइच द्वारा संचालित औषधालयों एवं चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों को देय निर्धारित वेतनमान

*3--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, बहराइच में औषधालयों एवं चिकित्सालयों में वर्ष 1972 के बाद नियुक्त सभी चिकित्साधिकारियों को निर्धारित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 1, श्री हुकम सिंह ने पूछा ।

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा)--

जिला परिषद्, बहराइच द्वारा संचालित सात आयुर्वेदिक औषधालयों में वर्ष 1972 के पश्चात् नियुक्त सात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों/वैद्यों को अनह चिकित्साधिकारी/वैद्य का वेतनमान दिया जा रहा था। शासनादेश दिनांक 18 जुलाई 1981 के अन्तर्गत स्थिति स्पष्ट किए जाने पर उक्त सात में से तीन क, 1 अगस्त, 1981 तथा एक को 1 जनवरी, 1982 से अर्ह चिकित्साधिकारी/वै का निर्धारित वेतनमान दिया जाने लगा है। एक चिकित्साधिकारी/वैद्य माह नवम्ब से निलम्बित चल रहे हैं तथा शेष दो जिल परिषद् सेवा नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अनुसार पांच वर्ष की अनुभव सम्बन्धी योग्यता क्रमशः 1 फरवरी तथा 19 फरवरी, 1982 को पूरी कर सके हैं। जिला परिषद् इन्हें अह चिकित्साधिकारी/वैद्य का वेतनमान देने की कार्यवाही स्वयं करेगी।

गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, नैनीताल, मेरठ जिलों में कार्यरत वैक्सीनेटरों को स्थायी किये जाने के आदेश

*4--श्री राम आसरे पासवान--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों में कार्यरत वैक्स नेटरों, जिनकी सेवायें 5 से 20 वर्ष तक हो चुकी हैं, उन्हें स्थायी (कन्फर्म) करने के लिए दिनांक 17-8-78 तथा 11-5-79 को शासनादेश हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या कारण है कि गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, नैनीताल और मेरठ जिलों में अब तक उक्त कर्मचारियों को स्थायी (कन्फर्म) नहीं किया गया?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

शासनादेश दिनांक 17-8-78 वैक्सीनेटरों को स्थायी करने का आदेश नहीं है। 11-5-79 को कोई शासनादेश इस सम्बन्ध में निर्गत नहीं हुआ है। देवरिया, नैनीताल और मेरठ जिलों में उपरोक्त वर्ग के अधिकांश कर्मचारियों, जो पात्रता के क्षेत्र में आते थे, को स्थायी किया जा चुका है। लखनऊ जिला परिषद् द्वारा अपने वैक्सीनेटरों की सेवायें स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किए जाने के अनुरोध के नाते अभी स्थायीकरण सम्भव नहीं हो सका है।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि देवरिया, नैनीताल और मेरठ में अधिकांश कर्मचारियों को पात्रता के आधार पर स्थायी कर दिया गया है, तो उनकी संख्या क्या है और पात्रता का आधार क्या था जिससे कुछ लोग वंचित रह गये?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, जिला परिषद् देवरिया में कुल 27 वैक्सीनेटर कार्यरत हैं जिनमें 22 को स्थायी किया जा चुका है और शेष 5 अस्थायी हैं जिनकी सेवायें 3 वर्ष से अधिक हैं परन्तु उनके विरुद्ध आडिट आपत्ति है जिसमें जांच चल रही है, इसलिये इनको स्थायी नहीं किया गया है, लेकिन जांच की कार्यवाही समाप्त होने पर इन शेष कर्मचारियों को स्थायी करने पर विचार किया जायेगा। जिला परिषद्, देवरिया से कहा गया है कि आडिट आपत्तियों का निराकरण शीघ्र करायें और स्थायी करने की शीघ्र कार्यवाही करें।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 4 श्री माता प्रसाद पांडेय ने पूछा।

सहायक विकास अधिकारी, ग्रामीण अभियन्त्रण, इलाहाबाद, श्री पद्मनाथ सिंह के विरुद्ध गबन के मामले की दर्ज रिपोर्ट

*5—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महगांव–चरवा मार्ग (मौ0 लियाकत अली रोड) के निर्माण में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जू0 ई0, ग्रामीण अभियन्त्रण, इलाहाबाद (श्री पद्मनाथ सिंह) द्वारा 94000.00 रुपए के घोटाले के मामले की रिपोर्ट 16 जनवरी, 81 को प्रभारी खंड विकास अधिकारी, चायल, इलाहाबाद ने थाना पूरामुफ्ती, इलाहाबाद में दर्ज कराया है ? यदि हां, तो रपट क्या है ? अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

जी हां ।

दिनांक 18 जनवरी, 1981 को खंड विकास अधिकारी, चायल ने थाना पूरामुफ्ती, इलाहाबाद में श्री पद्मदेव सिंह, सहायक विकास अधिकारी (ग्रा0 अ0 से0) के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 (राजकीय धन का गबन) के अन्तर्गत दर्ज कराई है कि श्री सिंह को पुलिया निर्माण हेतु 94,000 रुपये की धनराशि दी गई थी जिसके बाउचर तथा लेखा–जोखा वे अनेक आदेशों के बावजूद नहीं दे रहे हैं ।

पुलिस विभाग द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है ।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि 1 साल, 2 महीना और 28 दिन के बाद भी पुलिस की विवेचना जारी है तो मान्यवर, इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय संसद सदस्य ने भी एक प्रार्थनापत्र माननीय मुख्य मंत्री को दिया था जिसमें उन्होंने कहा था जनता के हित के लिए सड़क का जो निर्माण कराने के लिए धनराशि दी गई थी उसमें एक लाख रुपये का घोटाला दिखाया गया है । जो खण्ड विकास अधिकारी, पद्मदेव सिंह जो हैं उन्होंने वहां के अधिकारियों से मिल कर पूरा घोटाला कर लिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करा करके तुरन्त कार्य–वाही करने की कृपा करें और अब तक जो कार्यवाही की गई है, उसकी प्रगति क्या है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, वह श्री बैजनाथ श्रीवास्तव, जो कि चायल के खंड बिकास अधिकारी हैं उन्होंने पूरामुफ्ती थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी । एफ0आई0आर0 में अनुरोध किया गया था कि इसकी जांच अपराध अनुसंधान केन्द्र, जो कि कोआप–रेटिव सेल है उसके द्वारा कराई जाय । सी0 ओ0 के माध्यम से पूरे मामले को कोआपरेटिव सेल में भेज दिया गया था । उस सेल से, जो कि हायर पद है, वहां से सुझाव आया कि इसकी जांच थाना पूरा मुफ्ती में कराई जाय । इसलिए उसकी विवेचना वहां प्रारम्भ कर दी गई है ।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच की शुरुआत हो गई है, या अभी नहीं ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

जी हां, जांच शुरू हो गई है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें विभागीय स्तर से कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

श्री पद्मदेव सिंह, जूनियर इंजीनियर को मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 1720/स्था/अधि0/पी0-8/व्य0 प0-81-82, दिनांक 8 मार्च, 1982 द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा आरोप-पत्र अनुमोदित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद में नवस्थापित पशु चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रणी कर्मचारियों के पदों पर की गई नियुक्तियां

*6—श्री राज कुमार राय—

क्या पशुधन मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 1980-81 में आजमगढ़ जनपद में नए खोले गए पशु चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती उसी जनपद के लोगों में से न करके डिप्टी डायरेक्टर, पशुपालन, गोरखपुर ने स्थानान्तरण द्वारा भरा है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत जून, जुलाई, अगस्त, 81 में प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें मिली थी ? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वर्ष 1980-81 में आजमगढ़ जनपद में न स्थापित तीन पशु चिकित्सालयों के लिए सृजित 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर निम्न प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं :—

1—स्थानान्तरण द्वारा	5 पद
2—मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित द्वारा	1 पद
3—एक स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो लम्बी अवधि से अवकाश पर था, के लौटने पर	1 पद
4—सीधी भर्ती द्वारा (आजमगढ़ जनपद के दो अभ्यर्थियों द्वारा)	2 पद

प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 20-7-81 प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर सम्बन्धित उप निदेशक से जानकारी की गई थी। स्थानान्तरण के आधार पर रिक्तियां भरा जाना अनियमित नहीं है।

श्री पंचानन राय—

जो पद सृजित किये थे उनमें भर्ती के सम्बन्ध में हरिजन और पिछड़े वर्ग का आरक्षण पूरा किया गया या नहीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

इस विषय की जानकारी नहीं है इस समय । मैं जानकारी करा कर दे दूंगा ।

श्री राज कुमार राय—

9 पद सृजित हुये थे । इसमें 7 बाहर से भर लिये गये और केवल 2 पद ही आजमगढ़ के अभ्यर्थियों से भरे गये । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब यह परिपाटी है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वहीं के लिये जायें जहां पद रिक्त हों, तो सदन को आइवस्त करेंगे कि वहां के लोग अगर एवेलेविल हों, योग्य हों, समुचित योग्यता रखते हों तो उनको पहले लेने के बाद ही बाहर से व्यक्ति लेंगे ? और जो शिकायती-पत्र दिया था यह डिप्टी डाइरेक्टर, गोरखपुर के खिलाफ तो उन्हीं से जानकारी लेने की क्या आवश्यकता थी ? तीसरा प्रश्न यह है कि जिस डी0 एल0 ओ0 ने उनके मन से ट्रान्सफर नहीं किये क्या उसकी पदावनति करके किसी अन्यत्र जगह उसको कर दिया गया है और....

श्री अध्यक्ष—

इतने के उत्तर आ जायें पहले ।

श्री भानु प्रताप सिंह—

बहुत प्रश्न एक साथ माननीय सदस्य ने कर दिये । इसमें जो मैंने 9 का हवाला दिया था तो सामान्य नियम तो यही है कि जब वहां स्थान रिक्त थे तो उन पर नियुक्ति भी वहीं के लोगों की की जाती लेकिन कुछ लोगों ने शासन को प्रार्थना-पत्र दिये थे कि जो आजमगढ़ जनपद और उसके पास बलिया और देवरिया, नेपाल और बस्ती के रहने वाले थे, जो बहुत दूर पहाड़ पर नियुक्त थे और उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये थे कि उन्हें गृह जनपद के आस-पास नियुक्त कर दिया जाय । इस कारण से 4-5 व्यक्तियों का ट्रान्सफर किया गया और एक मृतक सरकारी कर्मचारी थे उनके आश्रित को कर दिया गया । एक लम्बी अवधि पर पहले चले गये । जो सीधी भर्ती से किये गये वह दो व्यक्ति आजमगढ़ के थे एक तिलकधारी और दूसरे शिवदास । मैंने इस बात की जानकारी की थी जैसा कि माननीय सदस्य राज कुमार राय जी कह रहे थे । मेरी जानकारी में यह बात लाई गई कि जो प्रार्थना-पत्र दिए गये थे वह उन लोगों के थे जो बहुत दूर पड़े हुए थे और गृह जनपद में अपना स्थानान्तरण चाहते थे, इसी कारण से उनका स्थानान्तरण किया गया ।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, जैसा मन्त्री जी ने तोड़-मरोड़ कर प्रश्नों के उत्तर दिया, मेरी जानकारी यह है कि आजमगढ़ जनपद के कुछ लोगों की एप्लीकेशन पहले से ही डी0 एल0 ओ0 के यहां पड़ी थी और उस पर मन्त्री जी द्वारा लिखा गया था कि

अगर स्थान रिक्त हो तो उनकी नियुक्ति कर दी जाय लेकिन आजमगढ़ के लोगों के आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया गया और ऐसे लोगों को ले लिया गया जिनके लिए मन्त्रियों का दबाव था।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मुझे अभी-अभी जानकारी दी गई है कि जिन दो व्यक्तियों के एप्वाइंटमेन्ट किये गये हैं वह आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं और अनुसूचित हरिजन जाति के हैं।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उन लोगों का स्थानान्तरण पहाड़ पर से किया गया तो एक रीजन से दूसरे रीजन के स्थानान्तरण आदेश किस अधिकारी ने जारी किया और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि जो लोग सीधी भर्ती से रखे गये उनके लिए क्या नार्म इन्होंने तय किया और क्या रोजगार दफ्तर से नाम मंगाये गये थे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह जो दो व्यक्ति सीधे भर्ती से लिये गये थे, इनके बारे में इस वक्त मेरे लिए यह जानकारी देना सम्भव नहीं है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं इसकी जानकारी करवा कर उनको अवगत करा सकता हूं।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न रह गया कि कहां से स्थानान्तरण किये गये और किस अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश भेजे गये ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह बात सही है कि मेरठ और जौनपुर, बुलन्दशहर, सहारनपुर और इलाहाबाद से यह स्थानान्तरण किये गये तो निश्चय ही यह स्थानान्तरण मुख्यालय से हुए होंगे।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मन्त्री जी ने पहले कहा कि पहाड़ से स्थानान्तरण किये गये और अब जिन जगहों के नाम बतायें हैं उनमें एक भी पहाड़ नहीं है तो मान्यवर, कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दें कि मन्त्री लोग जब सदन में जवाब दें तो कम से कम एक ही जवाब दिया करें। यह नहीं कि किसी पूरक प्रश्न का कुछ जवाब और किसी का कुछ जवाब। मन्त्री जी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति वहीं से की जायेगी तो क्या यह जो नियुक्तियां की गई हैं इन्हें अनियमित मानते हुए निरस्त करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह मेरे लिए सम्भव नहीं है क्योंकि जो बाहर से स्थानान्तरण होकर आये हैं उनके लिए माननीय सदस्यों का दबाव रहता है और इसी कारण से यह स्थानान्तरण हुए। यह मेरी गलती मैं मान लूं तो ज्यादा मुनासिब है कि मैंने पहाड़ शब्द का प्रयोग किया। अगर मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा तो एक गलती के लिए बार-बार गलती होगी इसलिए अगर मैं अपनी गलती मान लूं तो मेरी जान बच जाये।

श्री लालसा—

पहाड़ से जो लोग भेजे गये हैं क्या उनके नाम मन्त्री जी बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अब उसको सुधार लिया । पहाड़ की बात नहीं कही है ।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, जैसा मन्त्री जी ने बताया और कबूल किया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति उसी जिले से होगी लेकिन मेरी जानकारी है कि डिप्टी डाइरेक्टर से कहा गया कि जितनी जगहें हैं सब भर दो जिसके लिये मैंने निश्चित रूप से लिखित सूचना दी थी, लेकिन इस पर भी यह गलती हो गयी । तो क्या माननीय मन्त्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि यह जो गलती हो गयी है जिसकी वजह से जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हो गये हैं, किसी और जगह आजमगढ़ के लोगों को नियुक्ति देने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

इस वक्त जिन दो व्यक्तियों की स्थायी नियुक्ति हो पायी है और जो माननीय सदस्य के अन्तर्मन की भावना है कि कुछ लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया और उनकी नियुक्ति नहीं हो पायी, बाहर के लोगों को लाकर रिक्त स्थानों को भर दिया गया, इस लिये वहां नयी नियुक्ति करायी जाय, ऐसा करने पर उन लोगों को वहा से हटाना पड़ेगा और उनको दूसरी जगह ट्रान्सफर करना पड़ेगा, तो यह उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि ऐसी गलती न हो ।

बिहारी लाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग नियुक्त किये गये हैं वे किस वर्ग के हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, दोनों हरिजन हैं जिनकी नियुक्ति हुई है ।

पन्तनगर विश्वविद्यालय से तृतीय ट्राइमेस्टर के बाद छात्रों को निकाल दिये जाने के विरोध में अनशन तथा मांगें

*7—श्रीमती गौरी देवी तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि 42 छात्रों को तृतीय ट्राइमेस्टर 1980-81 के बाद पन्तनगर विश्वविद्यालय से निकाल दिये जाने के विरोध में 25 नवम्बर, 1981 से पन्तनगर में विश्वविद्यालय के पांच छात्रों ने आमरण अनशन किया और 30 नवम्बर, 1981 को 22 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ? यदि हां, तो छात्रों की मांगे क्या क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

दिनांक 25 नवम्बर, 1981 से 5 लड़कों ने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल प्रारम्भ की थी, किन्तु उस समय वे विश्वविद्यालय के पंजीकृत छात्र नहीं थे ।

30 नवम्बर, 1981 को 21 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ।

विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व छात्र, श्री प्रेम सिंह यादव ने कुलपति को सम्बोधित एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था । मांग-पत्र में उल्लिखित प्रमुख मांगें संलग्नक में दी गयी हैं । शासन के स्तर से उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 639 पर)

श्रीमती गौरी देवी—

क्या यह सच है कि मन्त्री जी स्वयं तथा गृह राज्य मन्त्री ने छात्रों के प्रवेश के लिये कुलपति पर दबाव डाला था जिसके कारण कुलपति जी त्याग-पत्र दे दिये थे ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि विश्वविद्यालय कठिनाई निवारण आदेश का प्रयोग करके नियम 42-'ए' को समाप्त किया जायेगा तथा निष्कासित छात्रों को पुनः प्रवेश दिलायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सम्मानित सदस्या ने जो प्रश्न किया है, मैंने कुलपति पर कोई दबाव नहीं डाला । लेकिन इस बात की जानकारी चाही थी कि किन नियमों के अन्तर्गत जो विद्यार्थी हैं उनको निकाला गया और जब जानकारी चाही तो जो शासन का अधिकार है और उसमें कृषि मन्त्री की हैसियत से मैंने वह जानकारी चाही थी । उस जानकारी से जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, कुछ बयान अखबारों में निकला जो मैंने पढ़ा । उसमें विश्वविद्यालय के कुलपति ने मेरे विरुद्ध और गृह राज्य मन्त्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे कि हम लोगों ने उनके ऊपर अनुचित दबाव डाला कि वे कुछ लड़कों को विश्वविद्यालय में लें । कभी भी इस प्रकार की प्रक्रिया न अपनायी गयी और न उनके ऊपर कभी दबाव डाला और न हम सहमत हैं कि किसी पर प्रभाव डालें लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है, मेरे अन्तर्मन में यह जिज्ञासा जरूर रही कि बाहर जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनसे कुछ जानकारी कर लें । इसके विरोध में उन्होंने पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने त्याग-पत्र देने की बात भी कही थी कि चूंकि कृषि मन्त्री और गृह राज्य मन्त्री मुझसे सन्तुष्ट नहीं हैं इसलिये मैं त्याग-पत्र देना चाहता हूं जिसे राज्यपाल महोदय स्वीकार कर लें ।

अब उस विषय में एक मीटिंग बुलाई थी ताकि स्पष्टीकरण हो जाय जो लड़कों ने चार्ज लगाया था कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कुछ लड़के निकाले गये इसलिए कि उनमें से कुछ जो शैक्षिक योग्यता का न्यूनतम स्तर है उसके ऊपर उठ कर नहीं आये थे उनका निष्कासन किया गया था, वहां सिस्टम दूसरा है परीक्षा का, लेकिन अभिभावकों ने मुझसे मिल कर अपनी याचना में कहा था कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसमें मैंने वह जानकारी चाही थी । उन्होंने वहां से अपने रजिस्ट्रार तथा कुछ लोगों को मेरे पास भेजा जिनसे कुछ बातचीत भी हुई । मैंने यह प्रश्न उठाया था कि लड़कों के पिता के साथ अभद्र व्यवहार करने का कुलपति को कोई अधिकार नहीं है ।

किसी लड़के के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो उसके खिलाफ ऐक्शन लें लेकिन उनके पिता मिलने जाते हैं तो उनके साथ सामान्य शिष्टाचार यह कहना कि आइये, बैठिये, मानवता का व्यवहार न करके अभद्र व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । तो संभवतः उनके अधिकारियों ने उनसे कहा होगा । पंतनगर के वी० सी० को उस प्रकार का पत्र लिखा । जो मीटिंग यहां बुलाई गई थी उसे माननीय मुख्य मन्त्री के आदेश से निरस्त किया गया और आज तक यह मामला लम्बित है । अब चूंकि विश्वविद्यालय परिसर का, विश्वविद्यालय क्षेत्र का मामला है वी० सी० अपने स्तर से कार्यवाही करें, जो मांग-पत्र दिया गया है मेरे स्तर पर, शासन के स्तर पर, उसमें कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रेम सिंह ने जो शिकायती-पत्र दिया था उसके सम्बन्ध में आपका कहना है कि शासन स्तर पर जांच नहीं करायी जायेगी, जो भ्रष्टाचार की बात थी उसकी जांच कराने मे क्या आपत्ति है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, जो पत्र उन्होंने दिया था उस पर कार्यवाही वहीं के कुलपति के स्तर से होनी है, शासन के स्तर से नहीं होनी है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की जांच के लिए कोई समिति गठित करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, अभी तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार का चार्ज सरकार के पास नहीं आया और चूंकि ऐसा कोई चार्ज नहीं है इसलिए समिति गठित करने का कोई प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जब वहां के पंतनगर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और पंतनगर विश्वविद्यालय की वर्किंग के बारे में ही आरोप लगाये गये हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं शासन को, मन्त्री जी ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर जांच होगी, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब विश्वविद्यालय की वर्किंग के बारे में शिकायतें हैं और उपकुलपति के बारे में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं तो इसका निराकरण विश्वविद्यालय स्तर पर असंभव है । क्या माननीय मन्त्री जी कोई शासन की कमेटी या माननीय सदन के सदस्यों की समिति बना कर इस तमाम प्रकरण की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, मेरे पास इस वक्त वहां के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई स्पष्ट आरोपों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अगर इस तरह का कोई

प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता है जिसमें जांच करना आवश्यक समझा जायेगा, शासन स्तर से उसमें जांच करा ली जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1973-74 का है, वह मैंने पढ़ा, वह इस कृषि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है अथवा उसमें कुछ भिन्नता है, यह दूसरी बात है लेकिन उसमें धारा 40 में यह प्राविधान है कि अगर विश्व-विद्यालय के अन्दर भ्रष्टाचार का कोई ऐसा मामला आता है तो शासन स्तर से उसकी जांच हो सकती है । जो प्रेमपाल सिंह ने प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जांच शासन स्तर से हो सकती है । उसमें कुछ स्कालरशिप के बारे में और पोस्ट ग्रेज्युएट छात्रवृत्ति को धनराशि बढ़ाने के बारे में कहा गया है । उसमें यह भी कहा गया है कि असिस्टेंटशिप सभी छात्रों को दी जाय । साथ ही उस मांग-पत्र में यह भी कहा गया है कि कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के वातावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुये अविलम्ब वे त्याग-पत्र दें । इन सब चीजों को देखते हुये वहां के कुल सचिव ने कुछ बदले की भावना से ऐसा किया है, जैसा कि जानकारी हो रही है । क्या इस बात की पुष्टि शासन से कराई गई ? इन सब चीजों को देखते हुये नियमानुसार शासन उसमें हस्तक्षेप कर सकता था । आपने उसकी वर्किंग आदि के बारे में कोई जांच की ? यदि की, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह जो प्रेम सिंह यादव ने प्रार्थना-पत्र दिया था और जैसा कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा, इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र वी० सी० को दिया था, शासन को नहीं भेजा था । फिर भी उसकी जानकारी हम लोगों को हुई । वह प्रार्थना-पत्र हम लोगों के यहां आया है, लेकिन उसी के सन्दर्भ में विश्व-विद्यालय ने अपना स्पष्टीकरण भी भेजा है । जो स्वयं स्पष्टीकरण उन्होंने भेजा है उसमें मांग संख्या 1, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे प्रश्न की मंशा यह थी कि प्रेम सिंह यादव ने जो मांग-पत्र दिया था वह शासन को मिला या नहीं और दूसरे विश्वविद्यालय से उसका स्पष्टीकरण आ गया है या नहीं । यदि आया है तो शासन ने उसका परीक्षण जरूर कराया होगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या शासन ने उसका परीक्षण कर लिया है और उसके तहत कोई कार्यवाही शासन स्तर से हो रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, जो शिकायत है और जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उसका हम अभी परीक्षण नहीं कर पाये हैं । उसका परीक्षण कराने के बाद यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर जांच करा ली जायेगी । दूसरी बात यह है कि जो उनकी

यह मांग थी कि स्नातक छात्रों की असिस्टेंटशिप बढ़ा दी जाय तो इसके आदेश हो गये हैं और वह धनराशि बढ़ा दी गई है । वह पहली तारीख से हो जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी के विस्तृत उत्तर के बाद यह स्पष्ट होता है कि उसके तीन पक्ष हैं-वी० सी०, सरकार, जिसका कि मौखिक रूप से पार्टिसिपेशन है, और छात्र । तो क्या इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये और यूनिवर्सिटी की आटोनामी को ध्यान में रखते हुये और आपका भी उसमें जो इन्वोल्वमेंट है उसको भी देखते हुये कोई हाई पावर कमेटी इसके लिये बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस विषय में जैसी सदन की आज्ञा होगी वैसा किया जायेगा ।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित और जैसा रियासत साहब ने कहा कि उसमें तीन पक्ष हैं उपकुलपति, शासन और छात्र यानी जिन 42 छात्रों का निष्कासन हुआ है । यह सही है कि वहां भ्रष्टाचार है और वहां का एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला भी था । तो इन सब की भावना का आदर करते हुये छात्रों को वापस करायेंगे और उपकुलपति को वहां से हटाने का कोई प्रस्ताव करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मुझे बहुत धर्म-संकट में डाल दिया । मैंने पहले ही कहा था कि जो भी आरोप पत्र हैं और जिन पर उनका स्पष्टीकरण हमारे पास आ गया है उसका हम परीक्षण करायेंगे और उसके उपरान्त आवश्यक समझा जायेगा कि जांच कराई जाय तो मैंने निवेदन इतना किया था कि जैसी सदन की आज्ञा होगी उसका पालन किया जायेगा । माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा और इस माननीय सदन के सदस्यों की जो मंशा होगी उसका मान-सम्मान सरकार हमेशा करती है और करेगी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

(प्रश्न संख्या 8 पुकारे जाने पर ।)

माननीय अध्यक्ष जी मैं जानना चाहता हूं कि जिन-जिन छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है उसे माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि उन क्षात्रों का भविष्य देखते हुये उनके निलम्बन को समाप्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

बेलदारी लेन, लखनऊ स्थित देशी शराबखाने को हटाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

*8--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें श्री लालजी टन्डन, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 1982, जिसमें बेलदारी लेन, लखनऊ स्थित देशी शराबखाने को हटाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री निर्मल खत्री)--

जी हां ।

दुकान के लिए अन्यत्र स्थान न मिलने पर प्रशासनिक एवं राजस्व हित में प्रश्नगत शराब की दुकान को हटाया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस एक पत्र का मैंने उल्लेख किया उसके अलावा प्रतिपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों ने, माननीया धनेश्वरी देवी तथा कांग्रेस (आई०) के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी ने वहां से उस शराब की दूकान को हटाने को बात कही वहां पर एक मस्जिद और दो मन्दिर हैं उन सब बातों में दम समझ कर शासन ने दुकान को हटा दिया था और 6 महीने तक दूकान हटी भी रही । तो अब मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गयी 6 महीने तक हटाने के बाद उसे फिर वहां खोल दिया । मेरी जानकारी को सही मान कर कि एक केन्द्रीय मंत्री और एक प्रदेश के मंत्री ने शासन पर दबाव डाला और उसके दबाव में आकर शासन ने फिर से उस दुकान को वहां रुकवा दिया या फिर क्या कारण है कि पहले वाले निर्णय को रद्द कर दिया गया ?

श्री निर्मल खत्री--

मान्यवर, जिस निर्णय का माननीय सदस्य ने हवाला दिया 14-3-81 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस दुकान को वहां से हटाने का आदेश दिया गया । उसके बाद यह दुकान दूसरा स्थान न मिलने के कारण लगभग दो महीने तक बंद रही और बाद में रामजस का हाता में एक दुकान प्राप्त हुई । वहां पर मुश्किल से तीन दिन तक चली तो वहां के निवासियों के एतराज करने पर कि यह आवासीय स्थान है और इसके अगल-बगल लोग रहने वाले हैं तो उस दुकान को जिलाधिकारी ने बन्द करा दिया । उसके बाद यह पक्ष हाईकोर्ट में गया और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको आदेश मिला कि शासन स्तर से जो आदेश दुकान को हटाने का प्राप्त हुआ है वह शासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है । इसके लिए जिलाधिकारी ही सक्षम है । और इस दुकान को हटाने के संदर्भ में वही कोई निर्देश या आदेश पारित कर सकते हैं । इसके तहत यह दोनों दुकानें--एक बेलदारी लेन में जो विवादित स्थान था और दूसरा स्थान जो बाद में शिफ्ट हुआ था, में से कहां दुकान रखी जाए, इस बारे में शासन में जिला स्तर पर क्षेत्रीय नागरिकों से राय जानने के बाद निर्णय हो रहा था, उसी समय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि जिस अवधि में वह दुकान बन्द रहती है, उस समय की लाइसेन्स फीस भी नहीं वसूल सकते हैं । तो 25 लाख रुपये की क्षति इस दुकान से होती, यदि यह दुकान बन्द रहती और जिस प्रकार

के उच्च न्यायालय के आदेश करके, उसको ध्यान म रखते हुए बाद में जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर विचार-विमर्श के बाद अपनी संस्तुति भेजी कि दुकान बेलदारी लेन पर ही चलाई जाए उसी के तहत बाद में शासन ने यह निर्णय लिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस निर्णय का मंत्री जी ने उल्लेख किया, वह उच्च न्यायालय में केवल इसलिए गया था कि उसका कहना यह था कि जितने दिन दुकान बन्द रहती है उतने दिनों का उससे लाइसेन्स न लिया जाए। उस विवाद में स्थान की कोई बात नहीं थी। जगह बदलने के बारे में कोई विवाद या जिक्र नहीं है। फिर इस मामले में उसे हटाने के मुख्य मंत्री ने इसलिए आदेश किए थे कि मैनुवल में यह है कि कोई भी दुकान वहां नहीं होगी जहां उपासना गृह हों या आवासीय बस्ती हो, तो यह निर्णय बाधक नहीं है कि उसको वहीं रखा जाय। जिलाधिकारी की सिफारिश के बाद क्या दुबारा पत्रावली मुख्य मंत्री के पास भेजी गयी या नीचे स्तर पर ही किसी दबाव में आकर जिलाधिकारी ने वहां दुकान खुलवा दी? दूसरी बात, 20 तारीख को पुनः नीलाम होने वाला है, जिसमें जगह भी स्पेसीफाई कर दी जाती है, तो यदि शासन की नीयत यह है कि दुकान वहां न रहे तो उसमें जगह का उल्लेख हटा दिया गया है या बरकरार है?

श्री निर्मल खत्री--

मुख्य मंत्री का आदेश इस नये निर्णय के पूर्व प्राप्त कर लिया गया है। उसके बाद जो सवाल रखा उसको सुन नहीं पाया, इसलिये फिर से बता दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वह मात्र इतने तक सीमित है कि बन्द दुकान की अवधि की लाइसेन्स फीस न ली जाए, उसमें जगह के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखा जाए और नियम यह है कि जब कोई दुकान नीलाम होती है तो दुकान कहां रहेगी उसका उल्लेख कर दिया जाता है तो यदि सरकार दुकान हटाना चाहती है तो उसने उस स्थान का जिक्र किया है या उसे हटा दिया है?

श्री निर्मल खत्री--

पूर्ववर्ती नीलामी के तहत इसके आदेश अवश्य दे दिए गए थे बेलदारी लेन से नहीं खुलेगी और जब अब शासन ने निर्णय लिया है कि उस स्थान पर दुकान खोली जाए तो उस पर भी यह निर्देश दे दिया गया है कि उस दुकान से शराब बन्द बोतल में ही बिकेगी, खुले रूप में नहीं।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

इन शराब की दुकानों को खोलने के लिए स्थान का चयन होता है या जहां खोलते हैं उसका उल्लेख रहता है और उसके लिये निश्चित सीमा है कि यदि कहीं उपासना गृह-मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर, अस्पताल या स्कूल है तो वहां दुकान नहीं खुलेगी। तो क्या उस सीमा में रहते हुए भी जिस अधिकारी ने भी उस स्थान पर दुकान खोलने के लिए आदेश दिये हैं, तो क्या सरकार उसके खिलाफ नियमों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री निर्मल खत्री--

एक्साइज मैनुअल के नियम 328 उपखंड (4) में यह जरूर है जिसका हवाला माननीय सदस्य ने दिया । विवादित दुकान 45 वर्षों से उसी स्थान पर है और शासन को जो जानकारी जिलाधीश के माध्यम से प्राप्त हुई, उनकी आख्या द्वारा, उससे स्पष्ट है कि कुछ असामाजिक तत्व ठेकेदार और प्रशासन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री राज कुमार राय--

माननीय मंत्री जी को कुछ दुकानों को समाप्त करने में डिफिकल्टी हो रही है । ऐसा तो नहीं कि उन्हें बच्चन कवि की कविता याद आ रही हो जिसमें कहा गया कि "मन्दिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला" ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

रियासत हुसैन--

मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बारे में खेद प्रकट करूं या खुशी जाहिर करूं कि माननीय मंत्री जी के आदेश को केवल 25 लाख रुपये के लालच से जिलाधिकारी ने टर्न डाउन कर दिया । यह देखते हुए कि हाई कोर्ट के निर्णयों के आधार पर कुछ मजबूरियों के कारण ऐसा हुआ जिससे उन नियमों का पालन नहीं हुआ । माननीय मुख्य मंत्री ने बड़ी सोच समझ कर ये आदेश दिए होंगे । आज देश और प्रदेश में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस तरीके की तब्दीली पर विचार करने की कृपा करेंगे जिसकी वजह से हाई कोर्ट या और कोई कोर्ट इस प्रकार का निर्णय न दे सके कि माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश भी टर्न डाउन किये जा सकें ? इस सदन में बार-बार इस अधिनियम में एमेंडमेंट्स आये हैं तो जो कठिनाई सामने आयी है कि मुख्य मंत्री के आदेश के बाद भी हाई कोर्ट के इस प्रकार के आदेश हो गये कि उस दुकान को वहां से न हटा पाये तो क्या अधिनियम में एमेंडमेंट करा कर मुख्य मंत्री जी के जो आदेश हैं, उनका पालन किया जा सके ?

श्री निर्मल खत्री--

उच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेते हैं वे ऐक्ट और संविधान के अनुसार ही लिए जाते हैं और लिए भी गये हैं । इसमें एक तकनीकी त्रुटि रह गई थी । जो निर्णय एक साधन से लेने थे वे दूसरी जगह से लिये गये । तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐक्ट में संशोधन लाया जाये ।

श्री हुकम सिंह--

एक्साइज मैनुअल में एक स्पष्ट उपबन्ध है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया और उसके होते हुए विवादित स्थान पर दुकान स्थित नहीं हो सकती थी, दूसरे उससे 25 लाख रुपये का नुकसान होगा और तीसरी बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर शराब बन्द बोतल में बिकती है, खुले में नहीं और यह कि वह दुकान वहां पर 45 साल से चली आ रही है । तो स्पष्ट उपबन्ध के होते हुए भी एक्साइज मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है तो जब तक एक्साइज मैनुअल उसी स्थिति में खड़ा हुआ है, तो क्या उस दुकान को तुरन्त बन्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्री निर्मल खत्री--

इन बातों पर विस्तृत विवेचना की जा चुकी है, शासन ऐसा कोई निर्णय लेना आवश्यक नहीं समझता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो पहले ठेका हुआ था उसका टर्म खत्म हो गया । हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन यह बात स्पष्ट है कि दबाव डाल कर यह दुकान खुलवायी गयी । अब 20 मार्च से नये ठेके आरम्भ हो रहे हैं । तो अब नये ठेके में हाई कोर्ट का निर्णय भी बाधक नहीं है । तो क्या ऐसा आश्वासन देंगे माननीय मंत्री जी कि अब जो नये ठेके दिये जायेंगे तो उस वक्त इस दुकान को दूसरे स्थान पर हटा दिया जायेगा ?

श्री निर्मल खत्री--

इसे दिखवा लिया जायेगा ।

*9--श्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्री--

[11वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या तीन के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डा0 जे0 एस0 सिन्धू 'जेनेटिसिस्ट' चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा लोक सेवा आयोग के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही

*10--श्री मुईद अहमद--(अनुपस्थित)

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि डा0 जे0 एस0 सिन्धू 'जेनेटिसिस्ट' चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर ने गलत सूचना के आधार पर अपनी नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर जेनेटिसिस्ट (श्रेणी-1) सेक्शन सी0 कृषि-1 के पद पर करा ली थी और तथ्य पता चलने पर क्या लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने उ0 प्र0 सरकार से डा0 सिन्धू के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्या सरकार डाक्टर सिन्धू को सेवा से मुक्त कर उन पर जालसाजी का मुकदमा चलायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

इस मामले की रिपोर्ट लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से जून 1981 में प्राप्त हुई । डा0 जे0 एस0 सिन्धू, जेनेटिसिस्ट का चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की सेवा में संविलयन व शासकीय सेवा से मई, 1980 में त्याग-पत्र स्वीकृत हो चुका है । अतः लोक सेवा आयोग के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करने एवं आयोग को गुमराह करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अब विश्वविद्यालय द्वारा की जानी है ।

सचिवालय प्रशासन के अधीनस्थ ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज सचिव शाखा के विभिन्न अनुभागों में अधिक समय तक कार्यरत सहायक तथा उनके विरुद्ध शिकायतें

*11--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि सचिवालय प्रशासन के अधीनस्थ ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग शाखा के समस्त अनुभागों में कितन ऐसे सहायक हैं जो 15 वर्षों से अथवा इससे अधिक समय से निरन्तर एक ही अनुभाग में कार्य कर रहे हैं ? इसका क्या औचित्य है ? क्या इस शाखा में कार्यरत कुछ सहायकों द्वारा भ्रष्टाचार धन की लूट आदि किये जाने के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1981 में कोई शिकायती-पत्र सचिव, सचिवालय प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

सचिवालय प्रशासन के अधीनस्थ ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज सचिव शाखा के विभिन्न अनुभागों में 15 वर्षों से अथवा इससे अधिक समय से कार्यरत 14 सहायक हैं जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्रसेन--

सचिव प्रशासन सुधार, ने ट्रान्सफर के सम्बन्ध में जो सामान्य नियम बनाये हैं उसमें समय की अवधि की क्या कोई सीमा निर्धारित की है कि 10 वर्ष से अधिक कोई भी किसी पद पर नहीं रहना चाहिये ? यदि हां, तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

जो प्रवर वर्ग सहायक हैं वे एक जगह 10 वर्ष तक ही रखे जायें यह बात सही है, पर देखा यह जाता है कि एक पद पर कार्य करते रहने से उस व्यक्ति का अनुभव उस अपने कार्य का हो जाता है और उसके अनुभव को देखते हुए उसे वहां रखना आवश्यक हो जाता है । जिस संदर्भ में यह प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, सचिवालय में जो यह अनुभाग हैं इनका सृजन ही लगभग 10 बर्ष हुये हुआ है । यह ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग पहले सामुदायिक विकास विभाग कहलाता था । ऐसे करीब 15 कर्मचारी हैं जो 15 वर्षों से अधिक से काम कर रहे हैं और मैं उनके नाम भी बता सकता हूं ।

श्री मित्रसेन--

मैं नाम नहीं जानना चाहता हूं । पर यह नियम है कि 10 वर्ष से अधिक किसी को भी नहीं रखा जायेगा एक विभाग में, तो यह 15 बर्ष से अधिक से क्यों हैं ? क्या इसमें भाई-भतीजावाद एक कारण तो नहीं है जिसके कारण यह ट्रान्सफर नहीं किये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी अब इनका ट्रान्सफर जल्दी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

अगर कहीं इसके कारण काम में रुकावट दिखायी देगी, तो इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री वी0 के0 गोयल, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षण हेतु विदेश जाने की अनुमति

*12--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री वी0 के0 गोयल अधिशासी, अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश इस समय विदेश यात्रा पर गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके मूल विभाग (सिंचाई) से अनुमति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

जी, हां, श्री वी0 के0 गोयल प्रशिक्षण हेतु विदेश गए हैं । श्री गोयल चूंकि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कार्यरत थे, अतः सिंचाई विभाग से अनुमति नहीं प्राप्त की गई थी । विदेश प्रशिक्षण के लिय कैरियर मैनेजमेन्ट कमेटी का अनुमोदन अपेक्षित होता है, जिसे प्राप्त कर लिया गया था । सिंचाई विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई, क्योंकि दोनों ही विभाग राज्य सरकार के अधीन हैं और श्री गोयल के प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, जब कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर किसी विभाग से आता है और यदि वह विदेश भेजा जाता है तो उसके लिये नियम यह है कि उसके मूल विभाग से उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री गोयल को जो विदेश जाने की अनुमति दी गई, वह किसके हस्ताक्षर से दी गई और जो नियम है, मूल विभाग से अनुमति प्राप्त करने का वह क्यों नहीं ली गई ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

श्री0 वी0के0 गोयल, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं तथा अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे । उनका आवेदन-वत्र चैकोस्लोविया में होन वाले 'इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कोर्स आन डाईड्रोलाजिकल डाटा फार वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग' हेतु शासन को प्राप्त हुआ था, जिस पर नियमानुसार कार्मिक विभाग के माध्यम से कैरियर मैनेजमेन्ट कमेटी का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

कैरियर मैनेजमेन्ट कमेटी जो है' वह शासन के अधीन बनी हुई है और वह इस पर विचार करती है कि किसी सरकारी अधिकारी को विदेश में भेजा जाय ट्रेनिंग इत्यादि के लिए और जिसका कि चेयरमैन जो है, अध्यक्ष पद पर मुख्य सचिव होता है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, मेरा प्रश्न यह था कि कैरियर मैनेजमेन्ट कमेटी ने अपना अनुमोदन कब दिया और जो अनुमोदन का प्रमाण समझिये या अनुमति जो जारी की गई, वह किसके हस्ताक्षर से जारी की गई ? जब कोई भी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी जाता है तो एक निश्चित अवधि के लिये जाता है । तो साथ ही माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि सम्बन्धित अधिकारी को कितने दिन की प्रतिनियुक्ति पर भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में बुलाया गया ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

यह, माननीय, सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है । इसे माननीय स्थगित कर दें, मैं अगली बार यह सूचना दे सकूंगा ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय, यह बड़ा इम्पार्टेंट प्रश्न है, इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं । इसलिए इसको स्थगित किया गया ।

कृषि रक्षा योजना का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण

*13—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि रक्षा अनुभाग को अधिक अन्न उत्पादन हेतु अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार प्रान्त स्तर से ग्रामीण स्तर तक नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

प्रान्तीय स्तर से विकास खंड स्तर तक कृषि रक्षा योजना का विस्तार किया जा चुका है । विकास खंड स्तर से ग्रामीण स्तर तक विस्तार के लिए अलग से न तो कोई परिव्यय है और न ही कोई योजना है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय, जैसा मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रभावशाली बनाने के लिए हम उपाय ब्लाक स्तर पर कर चुके हैं, ग्राम स्तर पर हम नहीं कर पाये, न कोई परिव्यय है और न ही कोई योजना है । लेकिन इतनी ज्यादा कृषि रक्षा की दवाइयों का घोटाला हो रहा है, उसके लिए और कोई योजना मंत्री जी के ज्ञान में हो तो बतलें, जो दवाइयों का घोटाला हो जाता है, उन दवाइयों को किसानों तक पहुंचाने के लिए आपके पास कोई उपाय विचाराधीन है ?

दवाइयां समुचित रूप में किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, तो रबी और खरीफ की फसल की सुरक्षा हेतु और दवाइयों को उन तक पहुंचाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न से और अब जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने कोई तालमेल खाता नहीं, लेकिन फिर भी आपने यह प्रश्न उठा दिया कि ब्लाक स्तर पर जो घपला होता है किसानों तक दवाइयां नहीं पहुंचती हैं । उसके विषय में शायद यह जानना चाहते हैं । आपने जो प्रश्न पहले किया था, वह यह था कि कृषि रक्षा इकाइयों को सुदृढ़ कर राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक ले जाने का प्रश्न किया है । हमारे यहां जो मौजूदा व्यवस्था है, वह यह है कि हर जिले में जिले स्तर पर एक पी0 पी0 ओ0 होता है और मुख्यालय स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर रैंक का अधिकारी होता है और उनके तीन सहायक अधिकारी होते हैं । वही पूरे प्रदेश की व्यवस्था करते हैं । जिले स्तर के अधिकारी ब्लाक स्तर तक का अनुरक्षण और देखभाल तथा व्यवस्था करते हैं । मैंने जवाब दिया कि ग्राम स्तर तक ले जाने का न तो कोई परिव्यय है और नाही कोई योजना विचाराधीन है । जहां तक माननीय सदस्य ने दवाइयों के घपले की ओर आकृष्ट किया । यदि वह कोई निश्चित मामला लिखकर देंगे तो उसकी जांच अवश्य करा दूंगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न होने दीजिये । आप बैठें ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा नए विकास खंड खोले जाने की संस्तुति

**1--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने नये विकास खंडों के गठन किये जाने की सिफारिशें सरकार को प्रेषित की हैं ? यदि हां, तो नये प्रस्तावित विकास खंडों के नाम क्या है और क्या सरकार क्षेत्र विकास समितियों के आगामी चुनावों से पूर्व इन नये विकास खंडों का गठन कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

जी हां ।

जिलाधिकारी द्वारा एक नये विकास खंड 'नैनबाग' का गठन किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । इस पर मंडलायुक्त से आख्या मांगी गई है, जिसके प्राप्त होने पर परीक्षण के पश्चात् यथासमय निर्णय किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना के अनुसार जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने 5 नये विकास खंड खोले जाने की संस्तुति शासन को भेजी है, वह हैं--हुलाणखाल, चाका, सिद्ध सौड़, चमियाल और नैनबाग ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

इस संस्तुति के आधार पर सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है तो मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी की जो भी संस्तुति शासन को मिली है वह किस तारीख की मिली है और शासन से आयुक्त के लिए पत्र किस तारीख को गया है और इसका जवाब कब तक आ जायगा ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने भी एक विकास खंड हुसाण खाल के सृजित करने का प्रस्ताव भेजा था। इस पर भी आयुक्त की संस्तुति तथा आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं है। इधर बहुत से विकास खंड के नवसृजन के प्रस्ताव अनवरत रूप से प्राप्त हो रहे हैं। शासन के सीमित साधनों को देखते हुये कदाचित नये विकास खंडों का सृजन संभव नहीं होगा।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से शासन को किन-किन नये विकास खंडों को खोलने के लिए संस्तुति आयी है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि एक विकास खंड खोले जाने की संस्तुति आयी है। मैंने कुछ विकास खंडों के नाम दिए जिनकी संस्तुति आई है, मंत्री जी ने उनको छोड़ दिया और कहा कि प्रस्ताव अनवरत रूप से प्राप्त हो रहे हैं। लगता है कि जिलाधिकारी के पास कोई दूसरा काम नहीं रहा है। मन्त्री जी बतायेंगे कि जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से किस-किस नये विकास खंड के खोले जाने के बारे में संस्तुति मिली है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

इसकी सूचना इस समय यहां उपलब्ध नहीं है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं इनको सूचना दे दूंगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि निरंतर उनके पास विकास खंड खोलने के लिए प्रार्थना पत्र आ रहे हैं। मान्यवर, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र का अलग से बजट है और पर्वतीय क्षेत्र विकास परिषद् के माध्यम से यह बात तय हो चुकी है कि छोटे-छोटे ब्लाक बनाये जायं, धन की कोई कमी नहीं है तो मंत्री जी इस बात को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र में छोटे ब्लाकों को बनाने के लिए अब से नये ढंग से प्रस्ताव को लाने के लिए किसी प्रकार का प्राविधान करके इस पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मैंने पहले ही उत्तर दिया कि शासन के सीमित साधनों को देखते हुए कदाचित नये विकास खंड खोलना संभव नहीं होगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैंने पर्वतीय क्षेत्र के लिए बताया कि उसका अलग बजट है, इसको देखते हुए विचार करेंगे ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, मंडलायुक्त से आख्या आ जायगी उसके बाद परीक्षण करा लेंगे और उसके बाद निर्णय यथासंभव शीघ्र ले लेंगे ।

श्री नकली सिंह—

मान्यवर, सन् 1980–81 में 9 विकास खंड पर्वतीय क्षेत्र में खोले गए हैं । उनके खोलने का मानक तय किया गया था । उस मानक के आधार पर कितने अन्य विकास खंड पर्वतीय क्षेत्र में खोले जा सकते हैं ? क्या पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या को आधार न मानकर क्षेत्रफल को आधार मानकर विकासखंड खोलने के बारे में शासन की कोई नीति है ?

श्री अध्यक्ष —

यह अलग प्रश्न है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, नैनबाग विकास खंड के बारे में मंडलायुक्त की आख्या मांगी गयी है । तो मंत्री जी बतायेंगे कि किन मुख्य बिंदुओं पर मंडलायुक्त की रिपोर्ट मांगी गयी है ?

श्री नकली सिंह—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या क्षेत्रफल के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र में विकास खंड खोलने की शासन की नीति है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

जिसका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसमें जन संख्या, क्षेत्रफल एवं विकास खंडों की वर्तमान एवं नये विकास खंडों के सृजनोपरांत परिवर्तित स्थिति की सूचना उनसे मांगी गयी है ।

श्री नकली सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह असली सिंह हैं और वह नकली सिंह हैं ।

श्री अध्यक्ष —

साम्य की वजह से भेद हो गया है । असल में साम्य इतना है कि दृष्टिभेद हो गया है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अक्तूबर, 1981 में आल इंडिया रेडियो के द्वारा घोषणा की गयी थी कि टिहरी गढ़वाल में 5 नये विकास खंड खोले जा रहे हैं। क्या यह सूचना माननीय मंत्री जी की ओर से आल इंडिया रेडियो को दी गई थी ? यह सूचना आल इंडिया रेडियो, नजीबाबाद से प्रसारित की गई। उसका आधार क्या है, क्या यह सूचना शासन की ओर से दी गई थी ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, कुमायूं में 3 जिले हैं और गढ़वाल में 5 जिले हैं, इनमें कितने विकास खंड खोलने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न अलग है, इसके बारे मे अलग से प्रश्न कीजिए।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद मंडल के अन्तर्गत जिला परिषदों में कार्यरत कार्य अधिकारी

1-श्री कृष्ण कुमार शुक्ला--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद मन्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में कार्य अधिकारी, जिला परिषद् के पद पर कितने अधिकारी कार्यरत हैं और इनमें कितने अधिकारी अपने गृह जिलों (होम डिस्ट्रिक्ट) में कार्यरत हैं और क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

इलाहाबाद मंडल के अन्तर्गत आने वाली जिला परिषदों में 4 कार्य अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से कोई भी अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं है।

ग्राम रहमानीपुरा मजरा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में कुंए की मरम्मत का आदेश

2-श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 दिनांक 18-1-82 के 1ले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रहमानीपुरा मजरा रसूलपुर, विकास खंड, जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में जो कुआं है, वह सरकारी जमीन पर है और उससे 6-7 परिवार पानी पीते हैं और उसके आस-पास अन्य पीने के पानी का कोई कुंआ नहीं है, साथ ही कुयें के पास एक मस्जिद भी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त कुएं की मरम्मत का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में पुस्तकालय एवं वाचनालय हेतु भवन निर्माण का विचार

3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर की आबादी लगभग 5 हजार है जहां पुस्तकालय एवं वाचनालय की कोई सुविधा नहीं है ? क्या ग्राम के मध्य में एक ग्राम समाज भवन जिसमें पुस्तकालय आदि की सुविधा उपलब्ध हो, भवन निर्माण करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

4--श्री हरिवंश सहाय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में बांध एवं सड़कों को पूरा किये जाने की कार्यवाही

5--श्री विजय सिंह--

विधान सभा के 18 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 51 बन्धियां किन-किन गांवों में बन्धी हैं तथा 7 अपूर्ण बन्धियां किन गांवों में बनाई गयी हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत आई0 टी0 आई0, दुद्धी (मिर्जापुर) द्वारा प्रशिक्षित युवकों के प्रेषित किये गये इलाहाबाद बैंक को ऋण प्रार्थना-पत्र

6--श्री विजय सिंह--

विधान सभा के 18 जनवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि 22 अभ्यर्थी जिनके ऋण प्रार्थना-पत्र, इलाहाबाद बैंक को भेजे गये हैं ? उनके नाम क्या हैं ? ये प्रार्थना-पत्र किस वर्ष के किस माह में जमा किए गये हैं ? ऋण न मिलने का क्या कारण है ? बाकी 83 लोगों को ऋण दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत आई0 टी0 आई0 दुद्धी (मिर्जापुर) द्वारा प्रशिक्षित जिन 22 युवकों के ऋण प्रार्थना-पत्र इलाहाबाद बैंक दुद्धी को भेजे गये हैं, उनके नाम तथा ऋण प्रार्थना-पत्र जमा करने का वर्ष एवं माह का विवरण संलग्न हैं । उपरोक्त 22 में से 3 ऋण प्रार्थना-पत्रों पर मात्र 13,200 रु0 क

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 640 पर ।)

ऋण स्वीकृत हो चुका है, परन्तु बैंकों द्वारा ऋण अभी वितरित नहीं किया गया है। शेष 19 ऋण प्रार्थना-पत्रों में से 9 ऋण प्रार्थना-पत्रों आपत्ति सहित वापस किये गये हैं तथा 10 ऋण प्रार्थना-पत्रों पर ऋण स्वीकृत कराने हेतु बैंकों का निरन्तर अनुसरण किया जा रहा है। उपरोक्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित 145 प्रशिक्षार्थियों में से 83 नहीं, अपितु 123 ने ऋण प्राप्त होने में तथा अन्य विभिन्न कठिनाइयों के कारण ऋण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में रुचि नहीं ली।

जनपद हरदोई, एग्रो में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

7--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि हरदोई में एग्रो की इकाई में कितने कर्मचारी कितने समय से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ? क्या 240 दिन से अधिक दिनों तक कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों को नियमित किये जाने पर शासन विचार करेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

हरदोई जनपद में एग्रो की दो इकाइयां हैं। कुल चार कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत थे और उन्होंने 240 दिन से अधिक कार्य कर लिया था अतः उन्हें दिनांक 23-2-82 से नियमित कर दिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ द्वारा किये गये अनियमित अवैधानिक कार्यों तथा गबन की जांच

8--श्री राज कुमार राय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधायक तथा नागरिकों की ओर से नवम्बर-दिसम्बर, 1981 में अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ (श्री गिरी) द्वारा किये गये अनियमित अवैधानिक कार्यों तथा कई लाख रुपयों का गबन, घोटाले और कमीशन लेने के विरुद्ध शिकायती-पत्र मिला था ? यदि हां, तो शासन उसमें कौन सी कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। प्राप्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के टेक्निकल आडिट सेल द्वारा करायी जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में विकास क्षेत्र, घोसी और फतेहपुर मन्डाव हेतु जनपदीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित कार्य तथा ब्लाक डुमरी-लघुवाइन मार्ग का खडंजा लगाने पर विचार

9--श्री राज कुमार राय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में विकास क्षेत्र घोसी और फतेहपुर मन्डाव के लिए वहां की स्टेयरिंग कमेटी ने वर्ष 1980-81 के लिए

निर्माण हेतु अलग–अलग कौन–कौन से कार्य प्रस्तावित हुये थे और उनमें कौन–कौन से कार्य किस हद तक पूरा हुआ और अलग–अलग उन पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव––

आजमगढ़ जनपद में विकास क्षेत्र घोसी और फतेहपुर मन्डाव के लिये जनपदीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा वर्ष 1980–81 में प्रस्तावित कार्यों तथा उन पर किये गये कार्यों एवं व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 642 पर ।

10––श्री राज कुमार राय––

क्या मन्त्री बतायेंगे कि फतेहपुर मन्डाव (आजमगढ़), ब्लाक डुमरी लघुवाइन मार्ग का खड़ंजा भी स्टेयरिंग कमेटी द्वारा 1980 में प्रस्तावित था किन्तु लगा नहीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उसे कराने का विचार करेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव––

जी हां । धनाभाव के कारण अभी तक यह कार्य नहीं कराया जा सका है । धन उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

11––श्री राज कुमार राय––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

ग्राम सिन्दूरवा स्थित आबादी रहमानीपुरा में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत तथा पक्का करने की व्यवस्था

12––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर से होकर राजकीय मार्ग जगदीशपुर बाजार शुकुल गयी है उसके माइल स्टोन 3के एम के निकट से (गुमानीगंज) के एक सम्पर्क मार्ग ग्राम के भूखंड संख्या 320–321 से होकर ग्राम सिन्दुरवा, एक शाखा रसूलपुर के भूखण्ड संख्या 1155 पर स्थित आबादी रहमानीपुरा को गयी है जो अत्यन्त खराब अवस्था में है तथा जन साधारण के आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो इस सम्पर्क मार्ग को मरम्मत और पक्का करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव––

जी हां । इस सम्पर्क मार्ग को पक्का कराने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भूमि तथा मिट्टी देने में सड़क के किनारे खेत के मालिकों ने आपत्ति की है । इसके अतिरिक्त ग्राम सिन्दूरवा के लिये एक अन्य रास्ता पक्का किया जा चुका है तथा रहमानीपुरा की आबादी इतनी कम है कि इसको प्राथमिकता दिया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता ।

जगदीशपुर से लखनीपुर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य

13––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर से लखनीपुर जाने वाली सड़क की मरम्मत

का कुछ कार्य हुआ है और कुछ कार्य बाकी है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक ठीक हो जायेगी ? विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । इस सड़क का अवशेष कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लिया जा रहा है और इसके वित्तीय वर्ष 82-83 के प्रथम त्रैमास में पूरा होने की सम्भावना है । सड़क के किनारे स्थित निजी खेतों की मिट्टी न दिये जाने के कारण इस कार्य मे विलम्ब हुआ है ।

ग्राम रसूलपुर को विकास खंड जगदीशपुर में सम्मिलित किए जाने का विचार

14--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर स्थित है जो विकास खंड से केवल 1, 1/2 कि0 मी0 दूर है परन्तु इस ग्राम को बाजार शुकुल विकास खंड में शामिल किया गया है जो उक्त ग्राम से 13 कि0 मी0 के फासले पर है ? यदि हां, तो क्या इस ग्राम को विकास खंड जगदीशपुर के अन्तर्गत ही रखे जाने पर विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम रसूलपुर, न्याय पंचायत बरसन्डा की एक इकाई है जो नवगठित विकास खंड बाजार शुकुल में सम्मिलित है । यह सही है कि ग्राम रसूलपुर बाजार शुकुल विकास खंड के मुख्यालय से 14 कि0 मी0 दूर और जगदीशपुर विकास खंड मुख्यालय से केवल 3, 1/2 कि0 मी0 दूर स्थित है । इस गांव को विकास खंड जगदीशपुर में सम्मिलित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

15--श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में सूचना कार्यालय खोलने का निर्णय

16--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में सूचना कार्यालय खोलने का निर्णय गत वर्ष लिया गया था तथा परगनाधिकारी, अकबरपुर को कार्यालय के लिए भवन भी लेने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो कार्यालय का प्रारम्भ कब से होने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1982-1983 में वरीयता के आधार पर अकबरपुर में सूचना केन्द्र खोल दिया जायेगा ।

बांदा जनपद में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत विकास खंडों को आवंटित धनराशि

17--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम के तहत कितनी धनराशि किन-किन विकास खंडों को 31-12-81 तक दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

बांदा जनपद में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत 31-12-81 तक विभिन्न विकास खंडों को 2.354 लाख का आवंटन किया गया जिसका ब्यौरा संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 644 पर ।)

विकास खंड मछरेहटा में पेयजल कूपों का निर्माण

18--श्री नन्द राम--

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद सीतापुर में विकास खंड मछरेहटा के अन्तर्गत हरिजन पेयजल आयोजना में कूप निर्माण हेतु 28 कूप निर्माण होने थे ? उसमें से अभी तक सभी पूर्ण नहीं हुए है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

विकास खंड मछरेहटा में वर्ष 1981-82 में कुल 18 पेयजल कूप निर्मित होने थे । इनमें से 4 कुओं का निर्माण हो चुका है । शेष 14 कूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । उक्त कूपों में अत्यधिक वर्षा, ग्राम में पहुंचने में कठिनाई, स्थानीय विवाद तथा सीमेन्ट की अनुपलब्धि के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका ।

अधीनस्थ कृषि सेवा के अन्तर्गत सेक्शन 'ए' 'बी' व 'सी' में कार्यरत कर्मचारी

19--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा के अन्तर्गत सेक्शन 'बी' एवं 'सी' का इस्टेब्लिशमेन्ट अलग-अलग है ? यदि नहीं, तो अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के कितने पद शासन से स्वीकृत हैं और उन पर कितने लोग कार्यरत हैं ? और उन पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अप्रैल, 1981 में चयनित 34 व्यक्तियों की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की गयी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

अधीनस्थ कृषि सेवा का संवर्ग 'ए', 'बी' व 'सी' तीन उप संवर्गों में बंटा हुआ है ।

जिला परिषद् रायबरेली को मेला सतांव से आय तथा व्यय

20--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के मेला सतांव की वर्ष 80-81 में क्या आय हुयी और उसे किन मदों पर खर्च किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत मेले से वर्ष 1980-81 में जिला परिषद् रायबरेली को रु0 2,07,302.94 की आय हुयी और उसे मेले की व्यवस्था मार्गों के निर्माण/रख रखाव व पाठशाला भवन निर्माण एवं कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया गया ।

ग्राम्य विकास निदेशालय के गठन पर विचार

21--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों के लिए ग्राम्य विकास निदेशालय का गठन सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक घोषणा कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । ग्राम्य विकास निदेशालय के गठन पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

बांदा जनपद के कतिपय ब्लाकों को खाद का आवंटन

22--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बड़ोखर, महुआ, विसन्डा व बबेरू ब्लाकों में जुलाई, 1979 से 31 दिसम्बर, 1981 तक छूट की खाद कितनी आवंटित हुई तथा किन-किन गांवों को कितनी-कितनी खाद दी गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा विधान सभा क्षेत्र में ट्राईसेम योजनान्तर्गत बेरोजगार युवकों का प्रशिक्षण तथा बैंकों को प्रेषित किये गये ऋण प्रार्थना पत्र

23--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बांदा विधान सभा क्षेत्र में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत अब तक कितने बेरोजगार प्रशिक्षित किये गये और उनमें से कितनों को स्वतः रोजगार खोलने हेतु ऋण मिला ? शेष लोगों को ऋण न मिलने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद बांदा के बांदा विधान सभा क्षेत्र में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत अब तक 152 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया गया । उनमें से कुल सात युवकों को रोजगार में लगाया जा चुका है, जिनमें से तीन युवकों ने बिना ऋण

लिये ही अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया है । 22 प्रशिक्षार्थियों के ऋण प्रार्थना-पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये हैं । शेष प्रशिक्षार्थी ऋण लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं ।

एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत ब्लाक गढ़वार, सोहांव, हनुमानगंज में परिवारों का चयन

24--श्री खैरुल बशर तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के ब्लाक गढ़वार, ब्लाक सोहांव, ब्लाक हनुमानगंज में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितने परिवारों का चयन किया गया है ? तथा उन्हें कब तक सहायता प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत विकास खंड स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना के अन्तर्गत चयनित नहीं है । परन्तु एकीकृत ग्राम विकास योजना के अधीन विकास खंड गड़वार में 350, विकास खंड सोहांव में 350, विकास खंड हनुमानगंज में 113 अनुसूचित जाति के परिवारों का चयन किया गया है । विकास खंड गड़वार में लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है । विकास खंड सोहांव में 141 हरिजन परिवार तथा विकास खंड हनुमानगंज में 101 हरिजन परिवारों को सहायता प्रदान कर दी गई है । शेष परिवारों को भी सहायता शीघ्र ही उपलब्ध कराई जा रही है ।

चितबड़ा गांव मंडी समिति हेतु भवन का निर्माण कार्य

25--श्री गौरी शंकर भैय्या तथा श्रीमती गौरी देवी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के चितबड़ा गांव मंडी समिति के लिये भवन बनाने हेतु कितने एकड़ जमीन ली गई है ? उक्त मंडी समिति के भवन निर्माण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

चितबड़ा गांव मंडी समिति के लिये 23.46 एकड़ भूमि ली गयी है । निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसमें मंडी स्थल को घेरने हेतु एंगल आयरन पोस्ट गाड़े जा चुके हैं और नीलामी चबूतरे के निर्माण हेतु शेड का कार्य प्रगति पर है ।

मुजफ्फरनगर के जिला सूचना अधिकारी, श्री केवल राम की पुनः नियुक्ति के आदेश

26--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या सूचना मंत्री बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर के जिला सूचना अधिकारी (श्री केवल राम) को किन कारणों से हटाया गया ? क्या यह सही है कि 30 सितम्बर, 1981 को सूचना मंत्री द्वारा उसकी पुनः नियुक्ति के आदेश के पालन नहीं किये गये थे ? यदि हां, तो उसे 21-1-82 से सेवा में न लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जैसा आश्वासन सदन में दिया गया था उसके अनुकूल शीघ्र ही श्री केवल राम को नियुक्ति कर दी जायेगी ।

देवरिया जिले के देसही देवरिया, बेतालपुर तथा गौरी बाजार में पंचायत सेवकों के रिक्त पद

27--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के देसही देवरिया, बेतालपुर तथा गौरी बाजार विकास क्षेत्र में कितने-कितने पंचायत सेवकों के पद खाली हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

देवरिया जिले के देसही देवरिया विकास खंड में पंचायत सेवक के 2 पद रिक्त हैं । विकास खंड बेतालपुर में पंचायत सेवक का कोई पद रिक्त नहीं है तथा विकास खंड गौरी बाजार में पंचायत सेवक का एक पद रिक्त है ।

एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ब्लाक गढ़वार, सोहांव व हनुमानगंज के परिवारों का चयन

28--श्री किरनपाल सिंह तथा श्री गौरीशंकर भैय्या--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री ने बलिया जनपद के अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश दिया है कि बलिया जनपद में एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत परिवारों का चयन न किया जाय ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत ब्लाक गढ़वार, सोहांव व हनुमानगंज में कितने परिवारों का चयन किया गया है और इन्हें कब तक सहायता दे दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खंड में प्रति वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 600 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तद्नुसार ही बलिया जनपद के गढ़वार, सोहांव और हनुमानगंज में प्रति विकास खंड 600 परिवारों का चयन चालू वर्ष में किया गया है । चयनित परिवारों को परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों में लाभान्वित किया जा रहा है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, बलिया के अन्तर्गत जानवरों के क्रय हेतु ण का वितरण

29--श्रीमती गौरी देवी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया जनपद में सन् 1978-79, सन् 1979-80 तथा सन् 1980-81 में एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितने लोगों को जानवरों की खरीद के लिये ण दिया गया ? उनमें से प्रति वर्ष कितने लोगों को अनुदान (सबसीडी) की राशि का भुगतान कर दिया गया है ? तथा बाकी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना बलिया के अन्तर्गत जानवरों के क्रय के सम्बन्ध में वर्षवार वांछित विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या जिनको जानवर क्रय हेतु ऋण दिया गया	अनुदान से लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की संख्या	अवशेष
1	2	3	4
1978–79	3208	2890	318
1979–80	1970	1970	..
1980–81	1923	1720	203
योग ..	7101	6580	521

521 अवशेष मामलों में 318 मामलों में अनुदान अन्तिम रूप से निरस्त कर दिया है। 108 मामलों में क्रय संदिग्ध होने के कारण जांच की कार्यवाही चल रही है। अवशेष 95 मामलों में अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

30—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी एवं प्रभारी जिला कृषि अधिकारी, देवरिया का निलम्बन तथा जांच

31—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री प्रताप भानु सिंह, भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी एवं प्रभारी जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध रामायण शुक्ला, अध्यक्ष, जिला युवा जनता, देवरिया के शिकायती-पत्र दिनांक 7–11–80 के संदर्भ में शासन द्वारा उप विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गई थी ? जिसमें उप विकास आयुक्त ने जांच रिपोर्ट दिनांक 16–7–81 को शासन को उक्त अधिकारी के विरुद्ध निलम्बन एवं अन्य कार्यवाही के लिए भेजी थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

श्री शुक्ल का, 7–11–80 को कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ। इसके पूर्व उनसे प्राप्त सात शिकायती-पत्रों के संदर्भ में उप विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी। उनकी जांच रिपोर्ट अतिरिक्त कृषि निदेशक के पत्र दिनांक 16–7–81 द्वारा शासन को प्राप्त हुई। मामले में प्रभारी

केन्द्रीय बीज भंडार, देवरिया को निलम्बित किया गया है तथा श्री प्रताप भानु सिंह को आरोप-पत्र देकर सी० सी० ए० नियमों के अन्तर्गत जांच करने व इनके निलम्बन के भी आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद बांदा में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत परिवारों का चयन तथा दी गई आंशिक तथा पूर्ण सहायता

32--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में सन् 1979-80 व 1980-81 में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों का चयन किया गया था और किस आधार पर ? इनमें से कितनों को पूर्ण सहायता दे दी गयी ? कितने परिवारों की सहायता अपूर्ण रह गई है और इनको कब तक पूर्ण रूप से सहायता दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बांदा जनपद में वर्ष 1979-80 व 1980-81 में 5547 परिवारों का चयन ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था । इनमें से 250 परिवारों को पूर्ण सहायता दे दी गयी ह एवं 1283 परिवारों को आंशिक सहायता दी गयी ह, जिन्हें वित्तीय वर्ष 1982-83 में पूर्णरूप से सहायता प्रदान कर दी जायेगी ।

अभियन्त्रण अनुभाग में फील्ड मैकेनिक/फील्ड मैन के स्थायी पद तथा स्थायीकरण

33--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियन्त्रण अनुभाग में फील्ड मैकेनिक/फील्ड मैन (वर्ग-3) के कितने पद स्थायी हैं और कब से ? इन स्थायी पदों पर कितने कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्नगत स्थायी पदों की संख्या-113 है जिनके विरुद्ध अब तक 37 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा चुका है किन्तु 76 स्थायी पदों के विरुद्ध कर्मचारियों का स्थायीकरण भी शीघ्र कर दिया जायेगा ।

श्री घनश्याम सिंह, प्रखंड प्रभारी बखारी, राजकीय बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र, जमुनाबाद के स्थानान्तरण पर रोक तथा प्रक्षेप पर पूर्ववत् कार्य देखने के आदेश

34--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री घनश्याम सिंह, प्रखंड प्रभारी बखारी, राजकीय बीज सम्बर्द्धन प्रक्षेत्र-जमुनाबाद, गोला लखीमपुरखीरी का माह मई, 1981 में प्रक्षेत्र के उत्पादन में गोल माल करके गिरावट लाने, भ्रष्टाचार एवं दुराचार सम्बन्धी आरोपों पर स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो क्या वह अब भी प्रक्षेत्र पर पूर्ववत् कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्री घनश्याम सिंह, प्रखंड प्रभारी बखारी, राजकीय बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र, जमुनाबाद, गोला, लखीमपुर खीरी का ट्रान्सफर मई, 1981 में किया गया था किन्तु फार्म मैनेजर से यह सूचना प्राप्त होने पर कि श्री सिंह, के प्रतिस्थानी को प्रक्षेत्र कार्य की योग्यता नहीं है तथा तत्समय ट्रान्सफर होने से फार्म के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, श्री सिंह को कार्यमुक्त नहीं किया गया ।

नवीन कृषि मंडी हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि तथा मुआवजा का वितरण

35--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी, स्थान चिरगांव में 79-80 में नवीन कृषि मंडी हेतु स्थान के लिए जो जमीन किसानों से प्राप्त की गयी थी उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो मुआवजा वितरित न करने का क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हाँ ।

अधिग्रहीत भूमि पर के निर्माणों की मूल्यांकन आख्या सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त न हो पाने के कारण मुआवजा वितरित नहीं किया जा सका है ।

सूचना विभाग में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नाम का पद तथा की गई नियुक्तियां

36--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों का चयन लोकसेवा आयोग ने दिसम्बर, 1980 में किया था जिसका परीक्षाफल 27 फरवरी, 1981 को समाचार पत्रों के माध्यम से घोषित हो चुका है लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई है ? इसके क्या कारण हैं और कब तक नियुक्तियां कर दी जायेगी ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

सूचना विभाग में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नामक कोई पद नहीं है । 27 फरवरी को ऐसा कोई परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुआ है ।

पशुपालन विभाग म बिना शोकाज नोटिस दिये डी कन्फर्म हुए सांख्यकीय कर्मचारी

37--श्री मोहन सिंह--

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन निदेशक के आदेश दिनांक 5-8-1980 द्वारा विभाग के 6 वर्षों से मूल पद एवं वेतनमान में कन्फर्म तीन सांख्यिकीय कर्मचारियों को बिना शोकाज नोटिस दिए हुये डी कन्फर्म कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां । सूचना एकत्र की जा रही है ।

समायोजन नियोजन विभाग में सांख्यिकीय कर्मचारियों की भंग ज्येष्ठता सूची

38—श्री मोहन सिंह—

क्या पशुधन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में समायोजन नियोजन विभाग में सांख्यिकीय कर्मचारियों की 15 वर्ष पूर्व की पारस्परिक ज्येष्ठता भंग कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पुनः जो पारस्परिक ज्येष्ठता सूची बनायी गयी है उसमें मूल नियुक्ति की तिथि के साथ पद एवं वेतनमान का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, जनपद पिथौरागढ़ को काष्ठ कला उद्योग, चलथी में लगाने हेतु ऋण के भुगतान की कार्यवाही

39—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तहसील चम्पावत, जनपद पिथौरागढ़ ने स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत काष्ठ कला उद्योग, चलथी में लगाने हेतु 50,000 रुपया ऋण स्थानीय विकास के अन्तर्गत 24-12-80 से पूर्व मांगा था ? यदि हां, तो उन्हें नहीं दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जिला परिषद् पिथौरागढ़ द्वारा श्री वर्मा को प्रश्नगत उद्योग हेतु स्थानिक विकास योजना से ऋण के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम विशुनपुरा मटियरा का अधूरा हरिजन पेय-जलकूप को जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल की भूमि में बनाने के आदेश तथा पूरा कराने हेतु कार्यवाही

40—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुनपुरा मटियरा के हरिजन पेय जलकूप के अधूरे होने की शिकायत [illegible] ने सांसद रूप में 8 अगस्त, 1979 को किया था जिसकी सूचना तत्कालीन उप सचिव श्री शंकर राम ने अपने अ0 शा0 प0 सं0 378 एम (1)/38—4-2599 (3)/79, उ0 प्र0 शासन, ग्राम विकास अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक अक्टूबर, 1979 द्वारा दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

41—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त हरिजन पेय जल कूप स्थानीय जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल की भूमि में बनाने हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी, श्री बलवन्त सिंह ने मार्च, 1977 से माह सितम्बर, 1979 के बीच किसी तिथि को आदेश किया था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

42—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हरिजन पेय जल कूप को मार्च, 1980 से अब तक कितनी बार पूरा कराने हेतु प्रश्नकर्ता ने शासन व स्थानीय अधिकारियों को लिखा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सिसौली, जनपद मेरठ में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण का प्रस्ताव

43--श्री दामोदर शर्मा—

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिसौली, जनपद मेरठ में एक पशु चिकित्सालय भवन निर्माण का प्रस्ताव किया गया है तथा जिसका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी द्वारा मास नवम्बर, 1981 में किया गया था ? उक्त भवन का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

ग्राम सिसौली, जनपद मेरठ में पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । पशु चिकित्सालय के निर्माण के लिये ग्राम सभा सिसौली ने भूमि उपलब्ध करायी थी जिस पर ग्रामवासियों ने चन्दे से धन एकत्रित करके निर्माण कराया था जिसमें पशु चिकित्सालय चल रहा है और जिसका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया था ।

प्रदेश में कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा की व्यवस्था तथा चयन के आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति

44--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा की व्यवस्था कृषि विभाग के तरफ से की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त डिप्लोमा पाने वालों को तृतीय श्रेणी में कृषि विभाग में नियुक्त किया जाता है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

45--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980 तथा 1981 में डिप्लोमा लिए हुए अभ्यर्थियों की नियुक्तियां बन्द कर दी गई हैं और कुछ हरिजन डिप्लोमाधारियों को ही नियुक्त किया गया है, ऐसा क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

पात्र अभ्यर्थियों में से चयन के आधार पर सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया ।

कृषि निदेशालय में वर्ग 3 के पदों के लिए अर्हता तथा कृषि एवं प्रसार डिप्लोमाधारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

46--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा लेने वालों ने 20 अक्तूबर, 80 तथा 12 जनवरी, 81 को, उन्हें ज्ञापन दिया है कि उनकी नियुक्तियां कृषि निदेशालय नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि तृतीय श्रेणी की जगहें पचास फीसदी डिप्लोमाधारियों से तथा पचास फीसदी बी० एस० सी०, एम० एस० सी०, कृषि से भरी जायं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्नगत ज्ञापन पत्र प्राप्त हुये प्रतीत नहीं होते परन्तु इस विषय में कुछ अन्य तिथियों में ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ।

वर्ग तीन के पदों के लिये निर्धारित अर्हताओं को शिथिल करने या वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई परिवर्तन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

बलिया जनपद के विकास खंड हनुमानगंज गड़वार, सोहांव में कूप निर्माण की स्वीकृति

47--श्री गौरी शंकर भैथ्या--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया जनपद के विकास खंड, हनुमानगंज, गड़वार तथा सोहांव में सन् 1979-80, सन् 1980-81 तथा सन 1981-82 के दौरान हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लिए कितने कूप निर्माण की स्वीकृति दी गयी, उनमें से कितने बने हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

विकास खंड का नाम	वर्ष 1979-80		1980-81		1981-82	
	स्वीकृत कूप	पूर्ण कूप	स्वीकृत कूप	पूर्ण कूप	स्वीकृत कूप	पूर्ण कूप
1--हनुमानगंज	4	4	1	निर्माणाधीन	1	निर्माणाधीन
2--गड़वार	4	4	1	,,	1	,,
3--सोहांव	4	4	1	,,	1	,,

बलिया तहसील में छूट की खाद का आवंटन

48--श्रीमती गौरी देवी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया तहसील में 1 जनवरी, सन् 1980 से 1 जनवरी, 1982 तक कितनी छूट की खाद आवंटित हुई तथा कितन गांवों में कितनी मात्रा में खाद का आवंटन किया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत परिवारों का चयन तथा दिया गया अनुदान

49--श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सन् 1979 से सन् 1981 तक कितने परिवारों का चयन किया गया था ? उनमें से कितने परिवारों को सहायता दी गयी है तथा कितने परिवारों को अनुदान (सबसीडी) दी जा चुकी है ? तथा बाकी को कब तक अनुदान दे दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद बलिया में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुल 8,239 परिवारों का चयन किया गया । इसके समक्ष कुल 4,406 परिवारों को सहायता दी गई है, किन्तु इनमें से 4,318 परिवारों को अनुदान दिया गया है । तथा शेष 88 परिवारों को नियमानुसार उनके द्वारा कार्य पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त अनुदान दिये जाने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

वोटर लिस्ट विक्रय किए जाने हेतु व्यवस्था

50--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि न्याय पंचायतों के अन्तर्गत वोटर लिस्ट की प्रति प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई

होती है ? यदि हां, तो क्या वोटर लिस्ट की प्रति विकास खंड द्वारा आगामी चुनाव में पहले से विक्रय कराने पर विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शासन को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि लोगों को वोटर लिस्ट की प्रति प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तथापि विकास खंड मुख्यालय से वोटर लिस्ट विक्रय किए जाने हेतु व्यवस्था कर दी गई है ।

ग्राम सभा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत पुरवा की आबादी, पेयजल का स्रोत तथा विभिन्न प्रकार की मदों पर किया गया व्यय

51-52--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत कितने 'पुरवा' हैं और प्रत्येक पुरवा की आबादी क्या है, ग्रामवासियों को पेयजल का स्रोत एवं संख्या क्या है तथा उनकी मरम्मत सफाई आदि पर चालू पंचवर्षीय योजना में इस मद पर कितना व्यय किया गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है, यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में स्वतन्त्रता प्राप्ति से आज तक सड़कों, सम्पर्क मार्ग, पानी के निकास हेतु नालियां आदि, पुलियां, खड़ंजा एवं प्रकाश पार्क, खेल का मैदान, कुटीर उद्योग पर कितना व्यय किया गया तथा किये गये कार्यों की संख्या क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक समादेश खंड 3, फैजाबाद द्वारा बालू की खरीदारी का भुगतान

53--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक समादेश खंड-3, फैजाबाद ने 180 घन मीटर बालू को 8 जून, 1979 को किसी ठेकेदार को भुगतान दिया है ? यदि हां, तो ठेकेदार का नाम क्या है ? भुगतान की गयी धनराशि क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, खंड-3, फैजाबाद द्वारा जून, 1979 में 180 घनमीटर बालू की खरीदारी श्री रनजीत वर्मा, ग्राम-कुतुबापुर, डाकखाना-मकदूमपुर, जिला फैजाबाद से की गई थी। आपूर्तिकर्ता को रु0 5,160 (पांच हजार एक सौ साठ) रुपये मात्र का भुगतान दिनांक 12-6-79 को किया गया ।

पशुपालन विभाग में अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक के रिक्त पद

54--श्री महेश चन्द्र--

क्या पशुधन मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि पशुपालन विभाग में अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक के कितने पद रिक्त हैं ? ये पद कब से रिक्त हैं ? इन पदों पर नियुक्तयां क्यों नहीं की गयी हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

अतिरिक्त निदेशक का एक स्थायी पद दिनांक 1-8-79 से तथा एक अस्थायी पद जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए जनवरी, 1981 में सृजित किया गया है, सृजन को दिनांक से ही रिक्त चल रहा है । इस दोनों पदों को भरने के सम्बन्ध में आवयश्यक कार्यवाही की जा रही है । संयुक्त निदेशक तथा उपनिदेशक के कोई पद रिक्त नहीं है, श्रेणी प्रथम के दो पद इस समय रिक्त हैं, उन पर नियुक्तियां करने का प्रकरण विचाराधीन है ।

कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 2 के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

55--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 2 के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची 1980 में बनाई गई थी परन्तु उसे अभी तक अन्तिम स्वरूप नहीं दिया गया है यदि हां, तो सरकार कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के कर्मचारियों की ज्येष्ठता, सूची अन्तिम रूप से कब तक प्रकाशित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 की विकास शाखा के सदस्यों की ज्येष्ठता सूची वर्ष 1980 में नहीं बल्कि वर्ष 1979 में ही बना ली गई थी किन्तु उसे उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण में चैलेन्ज कर दिया गया । अधिकरण के निर्णयानुसार अब उक्त ज्येष्ठता सूची को पुनरीक्षित किया जा रहा है ।

श्री समर बहादुर सिंह, अमीन, कृषि उत्पादन मंडी समिति, नौगढ़, बस्ती की समाप्त सेवायें तथा अवशेष वेतन का भुगतान

56--श्री पंचानन राय--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंग कि क्या यह सही है कि श्री समर बहादुर सिंह, अमीन, कृषि उत्पादन मंडी समिति, नौगढ़, बस्ती की सेवायें 30 जून, 78 को समाप्त कर दी गयी थी और ट्रिब्युनल नम्बर 3 ने अपने निर्णय दिनांक 25 सितम्बर, 1981 द्वारा उन्हें वेतन के साथ में बहाल कर दिया है ? यदि हां तो अब तक उनको सेवा में वापस न लिये जाने और अवशेष वेतन का भुगतान न किये जाने के क्या प्रमुख कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्री समर बहादुर सिंह, अमीन, कृषि उत्पादन मंडी समिति, नौगढ़, बस्ती की सेवायें 30-1-1978 को समाप्त गयी थी ।

ट्रिव्युनल नम्बर 3 ने अपने निर्णय दिनांक 25-9-81 द्वारा उनकी सेवा समाप्ति के दिनांक से उनकी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन में नियुक्त होने तक उनके वेतन के समतुल्य धनराशि एंव 100 रु0 दर्ज भुगतान किये जाने का आदेश किया हैं । आदेशानुसार देय धनराशि का चेक श्री समर बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 31-1-82 को प्राप्त कर लिया गया है

लेखा परीक्षक पंचायत, फैजाबाद द्वारा ग्राम सभा कुर्चा का लेखा निरीक्षण

57--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23-2-76 को लेखा परीक्षक पंचायत फैजाबाद ने ग्राम सभा कुर्चा ब्लाक व तहसील अकबरपुर वर्ष 1973-74 से 75-76 तक का लेखा निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उसके अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । लेखा परीक्षक पंचायत फैजाबाद ने दिनांक 28-1-76 से 4-1-76 तक उक्त ग्राम सभा का वर्ष 73-74 से 1975-76 तक का साधारण सम्प्रेक्षण किया था जिसके अनुपालन में ग्राम सभा के लेखा को पूर्ण कराने एवं अन्तरिम आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद, ब्लाक जलालपुर के बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध अनियमितताओं से सम्बधित शिकायती पत्र

58--श्री शेरबहादुर, श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' तथा श्री माधव प्रसाद--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के ब्लाक जलालपुर के बी0 डी0 ओ0 की अनेक अनियमितताओं से सम्बन्धित पत्र क्षेत्रीय विधायक ने उन्हें दिया है, उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच कराकर, सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, प्राप्त शिकायती पत्रों के आधार पर जांच अग्रसर हैं । जांच के फलस्वरूप दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

देवरिया जिलान्तर्गत पुष्टाहार योजना हेतु प्राप्त वस्तुएं

59--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत किन-किन स्थानों पर पुष्टाहार योजना चालू है तथा 1-1-81 से 31-12-81 के बीच कितना सामान किस प्रकार का मिला ?

श्री बलराम सिंह यादव--

देवरिया जिलान्तर्गत इस समय पुष्टाहार योजना चालू नहीं है । दिनांक 1-1-81 से 31-12-81 के बीच 11.2 मी0 टन चावल भारतीय खाद्य निगम

देवरिया से तथा 10 मी0 टन सोयाबीन का तेल उप विकास आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर से मिला ।

जनपद बस्ती के ब्लाक नाथनगर के खिरिया न्याय पंचायत का पुराना कुटुम्ब रजिस्टर

60—श्री बाबू राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नाथनगर ब्लाक, बस्ती के खिरिया न्याय पंचायत का पुराना सरकारी कुटुम्ब रजिस्टर इस वर्ष खो जाने से स्थानीय लोगों को तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो आवश्यक व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद बस्ती के ब्लाक नाथनगर के खिरिया न्याय पंचायत का पुराना कुटुम्ब रजिस्टर खोया नहीं है । सेवा-निवृत्त पंचायत सेवक से चार्ज में प्राप्त न होने के कारण स्थानीय लोगों को तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा था । पुराना कुटुम्ब रजिस्टर (1970 से पूर्व का) चार्ज में दिनांक 10-1-82 को प्राप्त हो गया है । वर्तमान समय में उक्त रजिस्टर क्षेत्र से सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी के पास उपलब्ध है जिससे वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

61—श्री कुबेर भंडारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद फैजाबाद के मोहनपुर गिरन्ट और पियारेपुर अचकवा ग्रामों में कुंओं के निर्माण में घटिया किस्म का ईंटा लगवाने के सम्बन्ध में जांच

62—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कटहरी ब्लाक के मोहनपुर गिरन्ट और पियारेपुर अचकवा ग्रामों में हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माणाधीन कुओं में विकास खंड कटेहरी के कर्मचारियों द्वारा घटिया किस्म का ईंटा लगवाने के सम्बन्ध में जनता पार्टी के भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 तथा भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित दिनांक 30-6-81 का रजिस्टर्ड पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ।

सहायक अभियन्ता, (लघु सिंचाई), जनपद फैजाबाद के द्वारा जांच कराई गई जिसके अनुसार घटिया किस्म की ईंटों के प्रयोग करने की पुष्टि नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर क्रियान्वयन

63 --श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश क्रमांक 46, 50, 51 तथा 59 पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री गोवर्धन तिवारी)--

प्रश्न गत संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही निम्नलिखित है :--

(46) जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा वर्ष 1975-76 के लिए देशी शराब और भांग की बिक्री हेतु दुकानों की नीलामी के समाप्त हो जाने पर स्थाई रूप से अनुमति देने के बजाय उन्हें दैनिक आधार पर चलाने और उससे तत्सम्बन्धित मामले की फिर से जांच कराई जा रही है । जांचे पूरी हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(50) जिलाधिकारी, पीलीभीत के साथ-साथ प्रदेश के अन्य सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी कर दिये गये हैं जिनमें यह कहा गया है कि शासन इस अनियमितता को गम्भीरता से देखता है, भविष्य में आबकारी लाइसेंस शुल्क आदि से सम्बन्धित धनराशि केवल नकद रूप में ही कोषागार में जमा कराई जाय और इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(51) प्रश्नगत लाइसेंसधारियों ने उनके नाम पर खोले गये "अल्पबचत योजना" तथा "राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र" लेखों के लिए ब्याज के रूप में जो धनराशियां प्राप्त कर लीं है उसकी उनसे वसूली करने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं । जिला अधिकारी, पीलीभीत को भी लिखा गया है कि सम्बन्धित लाइसेंसधारियों से ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशियों को वसूल करने के लिए भरसक प्रयास करें ।

(59) इस सम्बन्ध में न्याय विभाग के परामर्श से वर्ष 1979 में रेक्टीफाइड स्प्रिट पर एक्सपोर्ट पास फी लागू कर दी गयी है जो अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गयी है ।

उपरोक्त के परिवेक्ष्य में वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन में की गयी लोक लेखा समिति की प्रश्नगत संस्तुतियों पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

ग्राम सैदपुर भितरी, जिला फैजाबाद में प्रस्तावित हरिजन कालोनी हेतु स्वीकृत धनराशि तथा मकान टपकने का दायित्व तथा जांच

64--श्री माधव प्रसाद, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेरबहादुर--

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 80 के 4थे सोमवार के अता० प्र० सं० 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सैदपुर भितरी में प्रस्तावित 19 मकानों की हरिजन कालोनी के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ था और उसमें से केवल दो ही मकान क्यों बने तथा जो दो मकान बने भी उसके टपकने का दायित्व किस अधिकारी पर है ? अब तक उपरोक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम सैदपुर भितरी, जिला फैजाबाद में प्रस्तावित हरिजन कालोनी में 19 आवास गृहों के निर्माण हेतु वर्ष 1977-78 में कुल रु० 50,000·00 स्वीकृत हुआ था ।

उसमें से दो से अधिक मकान न बनाने का कारण यह है कि निर्मित किये गये दो मकान टपकने लगे थे, अतः हरिजनों के अनुरोध पर भवनों का निर्माण कार्य रोक देना पड़ा ।

उक्त दो मकानों के टपकने का दायित्व तत्कालीन जूनियर इंजीनियर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, श्री परमानन्द प्रसाद का है जिनके तकनीकी नियंत्रण में यह दो मकान बनवाये गये थे ।

जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फैजाबाद को दोषी जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 14 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के अध्यापकों में व्याप्त असन्तोष लाना चाहता हूं । यह अपनी न्यायोचित मांगों की ओर शासन का ध्यान काफी समय से आकृष्ट करते रहे हैं । शासन द्वारा सतत् उपेक्षा किए जाने से इनमें असन्तोष इतना गहन हो गया है कि अब यह आन्दोलन पर उतारू हैं । आज प्रदेश के समस्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षण कार्य ठप्प है । राजधानी में आज यह प्रदर्शन कर रहे हैं । क्रमिक अनशन प्रारम्भ है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

इनकी मांगें हैं कि पुनरीक्षित वेतन, सेलेक्शन ग्रेड, संशोधित पेंशन तथा आवास भत्ता दिया जाय, 2--वेतन वितरण अध्यादेश के अधीन बैंक से मासिक भुगतान हो, 3--सभी श्रेणियों के संस्कृत विद्यालयों के लिए लिपिक, परिचालक व पुस्तकाध्यक्ष की व्यवस्था हो, 4--चतुर्थ श्रेणीय विद्यालयों में विगत वर्षों में कार्यरत सभी अध्यापकों का स्थायीकरण किया जाय, तथा 5--आधुनिक विषयों में भी न्यूनतम एक विभागाध्यक्ष रखा जाय आदि।

सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि वर्ष 1951 से संस्कृत की उपाधियां, एम0 ए0, बी0 ए0 आदि के समकक्ष तो कर दी गई हैं परन्तु आर्थिक दृष्टि से उनका कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है।

शासन की सतत् उपेक्षा से आन्दोलन जारी है। अध्ययन-अध्यापन का कार्य ठप्प है, छात्र स्कूलों के बाहर घूम रहे हैं।

अतएव, मान्यवर, हमारी मांग है कि शासन इनकी मांगों को स्वीकार कर स्थिति को सामान्य बनाने पर पहल करे।

बिजनौर से चन्दौसी जाते समय हुयी बस दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कतिपय व्यक्तियों के घायल होने तथा उन्हें लूट लिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल सिंह गहलौत--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन तथा आवश्यक सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि दिनांक 27 फरवरी, 1982 को उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम से अनुबन्धित बस संख्या 1566 प्रातः 8 बजे बिजनौर से चन्दौसी जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। चार व्यक्ति मर गये, 50 से अधिक घायल हुए, अनेक की दशा चिन्ताजनक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से जा रही थी। उसे निर्धारित ड्राइवर द्वारा न चलाया जाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। वह पेड़ से टकरा गयी।

मान्यवर, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। चौपट शान्ति व्यवस्था की समस्या सामने आई और मुसीबत में कराहते यात्रियों को लुटेरों ने भी लूट लिया। मुझे कल तक की सूचना है कि न तो वहां संवेदना प्रकट करने कोई अधिकारी पहुंचा और न आहतों के आश्रितों को कोई आर्थिक मदद की गयी है।

रोडवेज की बसों का दुर्घटनाग्रस्त होना आम बात हो गयी है, जिससे यात्री अत्यन्त असुरक्षित है। लोगों में भय तथा आतंक व्याप्त है।

अतएव लोकमहत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि दुर्घटना के लिए दोषी कर्मचारियों को दंडित किया जाय। घायलों, आहतों के आश्रितों को नियमानुसार गुजारे हेतु आर्थिक सहायता दी जाये। घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था की जाय और माल लूटने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की खोज करके उचित कार्यवाही की जाय तथा दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आनन्द नगर शुगर फैक्ट्री, गोरखपुर द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर गन्ना खरीदे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नारायण तिवारी—

मान्यवर, आनन्दनगर शुगर फैक्ट्री, गोरखपुर जनपद की एक बड़ी फैक्ट्री है, जिसके मालिक जयपुरिया प्रतिष्ठान कानपुर है। इस फैक्ट्री के मालिकगण गन्ना किसानों का काफी शोषण कर रहे हैं। गन्ना विभाग के अधिकारियों तथा मिल के प्रबन्धकगण की सांठ-गांठ से गन्ने की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम पर किया जा रहा है। इस समय गन्ने का मूल्य 20.50 रु० प्रति क्विं० है जबकि मिल के प्रबन्धकगण चुपके-चुपके काफी पिछड़े इलाकों से जहां साधनों का अत्यन्त अभाव है तथा किसान अत्यन्त मजबूर है, 15.00 रु० प्रति क्विं० के मूल्य से गन्ना क्रय कर रहे हैं।

आनन्दनगर के आसपास से गन्ने की खरीद पर एकदम रोक लगा दी गई है और कम पैसे पर दूर-दूर से गन्ना खरीदा जा रहा है। ऐसी स्थिति में गन्ना किसानों में काफी खलबली मची हुई है। इस क्षेत्र में लगभग आठ लाख गन्ना किसान हैं जो इसी मिल पर अपना गन्ना बेचते हैं।

2—मिल के द्वारा ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि गन्ना किसान अपना गन्ना गाजीपुर तथा अन्य जगह नहीं ले जा सकते हैं। मिल के प्रबन्धकगण गाजीपुर में स्थित नन्दगंज शुगर फैक्ट्री के द्वारा गन्ना क्रय पर रोक लगवा दिये हैं।

ऐसी स्थिति में गन्ना किसानों में अनिश्चितता की स्थिति आ गयी है। अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न की तरफ श्रीमान के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त मिलों पर जहां ऐसी नीति अपनायी जा रही है, तुरन्त रिसीवर नियुक्त किया जाय तथा इस विषय पर तत्काल दखल देने की मांग करता हूं।

कानपुर से लखनऊ आने वाली बस के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मृत्यु तथा श्री राजपति गिरी निवासी ग्राम मेढ़ी, (आजमगढ़) की बन्दूक थानाध्यक्ष अजगैन द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप नारायण—

मान्यवर, मैं लोक महत्व के प्रश्न को धारा 301 के अन्तर्गत विधान सभा के सामने रखता हूं। दिनांक 4 मार्च, 1982 को लगभग 10 बजे रात को श्री राजपति गिरी तथा सत्यदेव गिरी पुत्र श्री रामजी गिरी, ग्राम मेढ़ी, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ ने 2 नाली बन्दूक खरीद कर कानपुर से बस नम्बर यू० आर० क्यू० 182 की गाड़ी से लखनऊ आ रहे थे। उक्त गाड़ी एक ट्रक से जिसका नम्बर यू० टी० सी० 9332 है, टकरा गयी। जिसमें काफी लोग मर गये। उन्हीं लोगों में से श्री राजपति गिरी जो गंगा प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदीशपुर फूलपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधानाचार्य थे, मर गये। साथ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नारायण—]

उनके छोटे भाई सत्यदेव गिरी जो बिजली विभाग में (आजमगढ़) में सुपरवाइजर थे, घायल हो गये। गाड़ियों के टकराने पर पड़ोसी लोग काफी मात्रा में इकट्ठा हो गये और यात्रियों का काफी धन लूटना शुरु कर दिया। कुछ ही मिनट बाद पड़ोसी थाने के थानाध्यक्ष (अजगैन) जिला उन्नाव की पुलिस के साथ पहुंच गये। लोगों को भगा कर पुलिसों के सहारे उन्होंने घायल यात्रियों का सम्पत्ति मनमाने ढंग से लूटा तथा राजपति गिरी का नई दो नाली बन्दूक तथा लाइसेन्स 15 कारतूस, घड़ी तथा काफी रुपया जो उनके पास था, लूट लिया और मृतकों को जिनकी संख्या लगभग 24-25 बतायी जाती है, एक गाड़ी में लदवाकर पता नहीं कहां फिकवा दिया।

अचेतावस्था में राजपति गिरी को जिला अस्पताल उन्नाव में भेजा, साथ में एक और घायल था। कुछ लोगों को लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में भेज दिया। सारे कागजातों को सबूत में रहते हुए भी थानाध्यक्ष, अजगैन ने राजपति गिरी को लावारिस घोषित किया और उनके घर वालों को सूचित भी नहीं किया। इसी प्रकार समस्त मृतकों की रिपोर्ट को छिपा दिया। आज भी जिनकी सारी सम्पत्ति जैसे जूता, अटंची, बिस्तरबन्द, कम्बल आदि थाना अजगैन के मालखाने में पड़ा है।

प्रार्थी मृतक के तीसरे भाई सूर्यभान गिरी को किसी प्रकार से पता लगा तो वे दिनांक 6 मार्च, 1982 को जिला उन्नाव अस्पताल में पहुंचे। फिर वहां से श्री राम चतुर्वेदी डा0 विरहाना रोड, कानपुर गये। जहां पर उनके भाई की लाश डाक्टर द्वारा भेजी गई थी। दाह संस्कार इन्होंने किया फिर अपने छोटे भाई सत्यदेव गिरी को देखने बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ गये। काफी सेवा करने पर अब हालत में सुधार है। दिनांक 11 मार्च, 1982 को जब ये थाना अजगैन पहुंचे और अपने भाई की सारा सामान और बन्दूक मांगी तो उन्होंने कहा कि दो-चार दिन में हम इसे देंगे। मात्र पिस्तौल का लाइसेन्स जो सूर्यभान गिरी के नाम से था प्रार्थी को दिया, बाकी सामान अभी तक नहीं मिला।

अतः हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि उक्त घटना में जिसमें यात्री मर रहे हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता एवं घायल यात्रियों को भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। साथ ही राजपति गिरी की बन्दूक, कारतूस, घड़ी एवं पैसा दिलाया जाय। इनकी विधवा पत्नी को पेंशन दी जावे। तथा इस घटना की न्यायिक जांच करा कर दोषी लोगों को कड़ी कार्यवाही से दण्डित किया जाय।

कतिपय ग्रामों में असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शम्भू नाथ—

महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया, जिला आजमगढ़ में जबर लोगों द्वारा हरिजनों पर जोर जुल्म तथा अत्याचार किये जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन अत्याचारों के पीछे थानाध्यक्ष अतरौलिया तथा महाराजगंज का समर्थन

हैं । दिनांक 12 फरवरी, 1982 को श्री किशोर यादव व राम अवध यादव आदि ने जगदीशपुर ग्राम के हरिजनों सर्वश्री रामबीर व चेतू को बुरी तरह मारा-पीटा । हरिजन का मात्र अपराध यह था कि हरिजन अपनी फसल उखाड़े जाने का उलाहना लेकर रामअवध यादव के पास गये थे । परन्तु पुलिस ने हरिजनों की एक भी न सुनी तथा आगे 15 फरवरी, 1982 व 23 फरवरी, 1982 को भी इन हरिजनों की फसल उखाड़ ली गयी और यह धमकी दी गयी कि यदि कहीं शिकायत की तो पूरी हरिजन बस्ती को जला कर खाक कर दिया जायेगा । अत्याचार अभी भी नहीं रुके । मान्यवर, हरिजन लोग अपनी होली तक नहीं जला पाये और रेड का जलता पेड़ हरिजनों के घर पर फेंक दिया गया । थानाध्यक्ष, महाराजगंज, रामनगीना सिंह यादव जातिवाद के कारण क्षेत्र के जबर यादवों का समर्थन कर हरिजनों तथा अन्य निर्बल लोगों का उत्पीड़न करा रहे हैं । हरिजन उत्पीड़न की शिकायतें अतरौलिया थाने के ग्राम रतुआपार में भी हैं ।

मैंने स्वयं घटना का निरीक्षण किया । पुलिस द्वारा जरा भी मदद नहीं की जा रही है । उल्टे जबर लोगों व आराधियों को शह दी जाती है । यदि पुलिस जबर लोगों की सांठ-गांठ कायम रही तो गांव के हरिजन तथा निर्बल लोग गांव छोड़कर भाग जाने के लिए तैयार हैं । हरिजनों तथा अन्य लोगों के यहां अनेक वारदातें हुई हैं परन्तु उनकी थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई ।

अतः आपका ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व की इस समस्या की ओर आकृष्ट कर मांग करता हूं कि क्षेत्र के हरिजनों एवं निर्बल वर्ग की रक्षा एवं सुरक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाय और उसके लिए आवश्यक है कि दोनों थानों के थानाध्यक्ष तुरन्त स्थानान्तरित किए जायं ।

दिनांक 15 फरवरी, 1982 को पूंछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15 फरवरी, 1982 को श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो मार्ग है रेनवो फैक्टरी तक ही बना है, इसके बीच में कोई अन्य सड़क, कोई गांव, अन्य स्थान नहीं है ।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर यह सड़क रेनबो फैक्टरी तक ही बनी है बल्कि....

श्री अध्यक्ष—

फैक्टरी तक ही नहीं बनी है ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

उससे आगे भी 150 मीटर के करीब दूरी से जाती है और इस सड़क के आस-पास रेनबो फैक्टरी ही नहीं बल्कि लगभग नौ फैक्टरियां और हैं । इसके साथ ही साथ यहां पर एक पावर हाउस सब स्टेशन है ।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा--]

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:--

"माननीय, यह सड़क रेनवो फैक्टरी तक नहीं बनी है बल्कि सड़क के अन्तिम रेनबो किनारे से फैक्टरी 150 मीटर दूर है और इस सड़क के आस-पास केवल रेनवो फैक्टरी ही नहीं बल्कि लगभग नौ फैक्टरियां और भी हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर एक पावर हाउस सब-स्टेशन है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी नं० आगे पृष्ठ 646 पर (ङ)।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982†

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् विधेयक, 1982 पुरःस्थापित करता हूं।

निर्वाचन आयोग के श्री सी० एल० रोज द्वारा सदस्यों को भेजे गए परिपत्र के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

माननीय, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था। आज जो कार्यवाही मिली है। विधान सभा को उसके साथ निर्वाचन आयोग के श्री सी० एल० रोज द्वारा भेजा गया एक परिपत्र भी मिला है जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च या इससे पूर्व आपत्तियां भेज दें, भेजी जा सकती हैं। आज 15 हो गई है। अब इससे पहले कैसे भेजी जा सकती है और दिल्ली आज कैसे भेजी जा सकती है। इसमें समय मिलना चाहिए तथा माननीय, यह जो परिपत्र है इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। यह अंग्रेजी भाषा में है। हमारे नियमों के अनुसार इसकी प्रतिलिपि हमें मिलनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष--

यह पत्र 6 मार्च की शाम को यहां प्राप्त हुआ था और उसके बाद से यहां छुट्टियां हो गई थीं और यह पत्र वितरित भी अनौपचारिक रूप से किया गया है। पिजन होल में नहीं रखा गया था। उसमें 15 तारीख जो निर्धारित की गई है वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की हुई है और उसमें घटाने बढ़ाने का कोई दायित्व हमारा नहीं है।

---

†दिनांक 18 मार्च, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

मान्यवर, आपके स्तर से निर्वाचन आयोग को सिफारिश की जाय कि इसकी तिथि बढ़ायें ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसमें हम लोग आपत्तियां कैसे आमंत्रित कर सकते हैं । इसलिए इसकी तिथि में बढ़ोत्तरी की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कारण हैं इसमें 212(ख) को आप देख लें इसमें यह है कि अगर अंग्रेजी में कोई प्रकरण या पत्र दिया जायेगा तो साथ में उसका हिन्दी रूपान्तर भी प्रस्तुत किया जायेगा, लेकिन उन्होंने इसका हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए आप अपनी तरफ से यह आपत्ति लिखने की कृपा करें कि इसका हिन्दी रूपान्तर भी संलग्न होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

जो कठिनाई आप अनुभव कर रहे हैं वही कठिनाई पहले अनुभव की गई और उसी कठिनाई के समाधान के लिए यह आपको अनौपचारिक ढंग से दे दिया गया । उसकी प्रति हिन्दी में नहीं प्राप्त हुई थी और वहां से मंगाने में और देरी उसमें हो सकती थी और आपको सूचना भी नहीं मिलती । हम आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल उनको सूचित करेंगे और यह निवेदन करेंगे कि इसका हिन्दी रूपान्तर भेज दें और अगर सम्भव हो तो समय बढ़ाने का कष्ट करें ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक अभी माननीय राजेन्द्र कुमार जी का कार्य-स्थगन का भी प्रस्ताव आया है, उस समय इस पर आप जब कहेंगे उसको हम सुन भी लेंगे और जो कहना या निर्णय होगा, वह भी बता दिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, हमने एक नियम 52 में दिया था । सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

श्री अध्यक्ष--

जो आपने कहा है, आज आपकी बात भी सुन लेंगे और कल उसके सम्बन्ध में आपको सूचित कर देंगे । (श्री रियासत हुसैन से) एक और था उसको मैंने रख दिया है और वह अभी रखा ही रहेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, सरकार कोई व्यवस्था करे और अगर कुछ नहीं कर सकती ह तो हमको मारने की ही व्यवस्था करे । वहां पर कुछ सामान नहीं जा रहा है और भुखमरी फैल रही है । वहां पर बच्चे और स्त्रियां भूखों मर रहे हैं । आप सरकार से कहें कि वह या तो कोई व्यवस्था करे, या फिर हमारे लोगों को जहर दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय डाक्टर अम्मार साहब, आपने विष्ट जी की बात सुनी । मारने की व्यवस्था के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन वहां पर आप जिलाने की व्यवस्था जितनी कर सकें वह अवश्य करें, यह मैं आपसे कहूंगा ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन की 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सेना के अधिकारी तथा लाइसेन्स शुदा असलहा विक्रेताओं द्वारा डाकुओं को हथियार दिए जाने के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना सर्वश्री राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी, कुंवर सिंह नेगी तथा कुबेर भंडारी की जनपद गोंडा में पुलिस तथा डाकुओं के मुठभेड़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना सर्वश्री शंकर सिंह, माता प्रसाद पान्डेय तथा दलगंजन सिंह की इसी विषय के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना हरिवंश सहाय की प्रतापगढ़ शुगर फैक्टरी का गन्ना न गिराए जाने के सम्बन्ध में है । पांचवीं सूचना श्री मोहन सिंह की प्रदेश में ट्रकों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है । छठीं सूचना श्री मित्रसेन यादव की ट्रकों की हड़ताल से निश्चित स्थान पर गन्ना न गिराए जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिए जाने के सम्बन्ध में है । इसमें जहां तक माननीय मोहन सिंह जी आपकी सूचना है उस पर 6-3-82 को वक्तव्य दिया जा चुका है ।

श्री मोहन सिंह--

अब परिस्थिति बदल गई है । यह मंत्रि मंडल के आपसी झगड़े का परिणाम है ।

श्री मुख्तार अनीस--

किसान अपना गन्ना नहीं ले जा पा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । जहां तक ट्रकों की हड़ताल के सम्बन्ध में है उसी पर विशेष शिकायत आपको दिखाई पड़ती है ।

श्री मसरूर जाफरी--

और भी विशेष हैं, मान्यवर । जनपद गोंडा में बहुत खराब स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं गोण्डा वाले सम्बन्ध में और ट्रकों की शिकायत के बारे में सूचना देने वालों में से एक-एक व्यक्ति को बोलने की अनुमति देता हूं । ऊपर से ले लें ।

गोंडा जिले में पुलिस डाकू मुठभेड़ तथा प्रदेश में ट्रकों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, गोण्डा जिले में डाकुओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक अधिकारी की भी मृत्यु हुई और कई अन्य लोग भी मारे गए और आज वहां पर स्थिति यह पैदा हो गई है कि जो असली डाकू हैं उनके बारे में तो यह खबरें आ रही हैं कि वह भाग गए और वहां पर 800 पी० ए० सी० के लोग गांव को घेरे हुए हैं । वहां पर चीख-पुकार मची हुई है और घेराबन्दी की गई है । मान्यवर, यह एक बहुत बड़ा अहम सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसको आप अनुमति दें ।

श्री शंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है । पूरे प्रदेश को विदित है कि वह पुलिस का जो अधिकारी मारा गया है वह एक नौजवान लड़का था, साहसी लड़का था और इसी कारण उसको मारा गया । वहां पर पूरे प्रदेश के पश्चिमी जिले के डाकू पहुंचे हुए थे । कुल दो सौ-ढाई सौ डाकू थे और खुले आम उनकी दावत हो रही थी । मान्यवर, वहां पर पन्द्रह हजार रुपये पटरा थाने को दिये जाते थे ।

यह नौजवान लड़का जो बड़ा ही बहादुर था, उसने पुलिस थाने में यह कहा कि आपके यहां गुंडे पनपते हैं, डाकू इकट्ठे होते हैं, तो कुछ लोगों ने साजिश करके उस बेचारे को आगे कर दिया और उस निहत्थे आफिसर को अपनी जान गवांनी पड़ी । पिछले वर्ष भी यहां इसी प्रकार की घटना घटी थी और उस पर मैंने यही सवाल उठाया था जिसका फल मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है आज उसी तरह की घटना घटी है । साजिश की वजह से वह नौजवान आफिसर मारा गया । इसके लिये शासन को पूरा प्रयास करके पता लगाना चाहिए कि वह कौन दोषी आदमी है जिसकी वजह से वह नौजवान मारा गया है। पूरे प्रदेश के डाकू वहां इकट्ठे हुए थे, वे कैसे इकट्ठे हुए थे, इसकी जांच करायी जाय मान्यवर, तेरह-तेरह और चौदह-चौदह साल के बच्चे मारे गये हैं । पूरे गांव में आग लगा दी गयी, पूरे गांव के निर्दोष लोगों को मारा गया । गांव की महिलाओं के साथ बदसलूकी की गयी और जानवरों तक को गोली मारी गयी है । गांव का एक भी घर सुरक्षित नहीं है और वहां की समस्या बड़ी गम्भीर है ।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, 18 आदमी मारे गये हैं जिनमें दो डाकू गुलाब और लालू मारे गये हैं । जब डी० एस० पी० को गोली लगी तब सारे डाकू भाग गये । जब सारे डाकू भाग गए और डी० एस० पी० के गोली लगने पर जो पुलिस वहां रही

[श्री मसरूर जाफरी—]

उसने उस गांव के लगभग सौ घरों में से 99 घरों को जला डाला। 14 साल तक के लड़कों तक को गोलीं मारी गयीं। जब माननीय मन्त्री जी, गृह राज्य मंत्री वहां गये तो पुलिस ने उनको मौके पर जाने तक नहीं दिया। अगर मौके पर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी जाते तो सारी स्थिति उनके सामने आती। मैं आपसे मांग करता हूं कि ट्रेजरी बेंचेज के 5 सदस्यों को आप मौके पर भेज दें, अगर वहां दो डाकुओं के सिवा तीसरा डाकू मरा होगा तो मैं इस सदन में एलान करता हूं कि अपनी मेम्बरी से त्यागपत्र देकर अपने घर चला जाऊंगा। जहां जो एक घर जो पक्का है उसे छोड़ कर शेष 99 घर जला दिये गये हैं। वहां की स्थिति चल कर देख तो लें।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद खलीस—

माननीय, अभी गोंडा जिले के जिस महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा हुई है वह एक बड़ा ही गम्भीर मामला है। अब मैं ट्रकों की हड़ताल के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं।

अनेक सदस्य—

पहले गोंडा के बारे में चर्चा पूरी हो जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय, अखबारों से हमें जो सूचना मिली उससे हमें यह सान्त्वना मिली कि पुलिस वास्तव में डाकुओं का सफाया करने में लगी हुई है लेकिन जैसा कि श्री मसरूर जाफरी साहब ने अभी निवेदन किया है कि मौके पर जाकर जांच करायी जाय और देखा जाय कि असलियत क्या है। उन्होंने शासन के सामने एक बड़ा चैलेंज भी किया है इसलिये शासन को चाहिये कि वह 5 विधायकों को वहां भेज दे। मैं मानता हूं कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, जैसा कि मेरा आभास है लेकिन मैं यह अवश्य चाहूंगा कि आप किसी न किसी तरह से इसकी जांच जरूर करा लीजियें। 5 विधायकों को वहां भेजने की बात माननीय मन्त्री जी स्वीकार कर लें। आप अपनी ही पार्टी के 5 आदमियों को नामजद कर दें और हेलिकाप्टर से उनको वहां भेज दें। उन पांचों सदस्यों से वहां की स्थिति अवगत कराकर कल ही हमको उनकी रिपोर्ट दे दीजिये। मैं केवल यही चाहता हूं कि सही तथ्य सदन के सामने आ जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि अम्मार रिजवी साहब इस बात को स्वीकार कर लें। 5 विधायक वहां चले जायं और सही तथ्यों से सदन को सूचित कर दें।

श्री दलगंजन सिंह—

माननीय इस प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ही पहले डाकुओं का संकट था लेकिन अब एक नया संकट पूर्वी जिलों में आ गया है और जो सूचना मिली है उससे यह बात बिलकुल साफ हुई है कि जिस पुलिस के बहादुर डी0 आई0 एस0 पी0 की हत्या हुई है उसको धोखे से और षडयंत्र के द्वारा इस अवस्था में पहुंचा दिया पुलिस ने, कि डाकुओं की गोलियों से अपने को नहीं बचा सका

था । जब डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी उसके बाद पुलिस ने वहां पर निहत्थे लोगों के साथ अत्याचार किया, डाकू कह कर लोगों को गोली से मारा, इसकी जांच आवश्यक है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, मैंने ट्रक हड़ताल के सम्बन्ध में दिया है । आज पूरे प्रदेश की हालत बड़ी गम्भीर हो गई है और जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनके दाम डेढ़ गुना होते जा रहे हैं । कल मैं देवरिया में था । हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी चीनी मिलों को ट्रकों ने गन्ना ले जाना बन्द कर दिया है और आज दो मिलें बेतालपुर और देवरिया की तो बन्द हो गई, 13, 14 देवरिया की जो और मिलें हैं वे भी बन्द हो जायेंगी । किसानों का गन्ना खड़ा है । गन्ना फूंकने की स्थिति आ रही है । उत्तर प्रदेश सरकार केवल अखबारों में यह बयान दे रही है कि उत्पीड़क कार्यवाही करके हड़ताल को दबाया जायेगा । इससे हड़ताल दबने वाली नहीं है । यह सरकार पार्टी के अन्दरूनी झगड़े की शिकार हो गई है । माननीय परिवहन मंत्री अखबार में यह बयान दिलवा रहे हैं कि उन्होंने केबिनेट में माल भाड़े के प्रस्ताव का विरोध किया था । केवल माननीय मुख्य मन्त्री और मुख्य सचिव के द्वारा यह लादा गया है । ऐसी स्थिति में सरकार इस पर तत्काल कार्यवाही करके कोई समझौता वार्ता करके इस टैक्स को वापस लेकर इस प्रदेश की जो जनता है उसके जीवन रक्षण के साथ खिलवाड़ बन्द करे, तत्काल उत्पीड़न कार्यवाही बन्द करे । एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है । इस पर वक्तव्य जरूर हो गया है लेकिन वक्तव्य के बाद स्थिति और भिन्न हो गई है । सरकार की ओर से उत्पीड़ित कार्यवाही शुरू हो गई । हड़ताल 100 फीसदी हो गई, सारी चीजों के दाम बढ़ गये, ऐसी हालत में सरकार का अभी क्या दृष्टिकोण है हड़ताल के बारे में क्योंकि ऐसी भी सूचना आई है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जो मालिक राजीव गांधी हैं उनके माध्यम से बात हो रही है । तो सरकार बताये कि जो स्थिति पैदा हो गई है, इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है, ताकि हमें भी मालूम हो जाय ।

श्री मित्रसेन--

श्रीमन् ट्रक हड़ताल के सम्बन्ध में मोहन जी ने गंभीर स्थिति का स्पष्टीकरण तो दे ही दिया, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश की 6 हजार भट्ठियां जिनमें 6 लाख मजदूर काम करते हैं बंद हो गई हैं । उन भट्ठियों में कोयला क्रय नहीं हो रहा है । भट्ठियों से ईंट सप्लाई न होने से निर्माण कार्य ठप्प हो गया है इनका बजट यूटिलाइज कैसे होगा । इरिगेशन, पी0 डब्लू0 डी0, माइनर इरिगेशन सब का काम ठप्प है । इसके साथ ही बीस रुपये कुन्तल लकड़ी 60 रुपये में बिक रही है । सरकार की कान में जूं नहीं रेंगती । आपने निर्देश दिये उसके बावजूद हालत यह है । सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं जनता तबाह और परेशान है । विभिन्न जनपदों, मंडलों में पूरी तरह से ट्रक हड़ताल है । इस विषय पर तुरन्त विचार होना आवश्यक है ।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय, यह ट्रक की हड़ताल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गयी है । अभी आपके सामने पहाड़ के एक सदस्य ने बताया कि वहां पर जीवनोपयोगी चीजें नहीं मिल रही हैं । स्थिति यह आ रही है । सीतापुर, लखीमपुर हरदोई आदि जिलों के किसान का सारा गन्ना रुका हुआ है । मिलों में गन्ना नहीं पहुंच

[श्री मुख्तार अनीस—]

रहा है । आलू की स्थिति बेकार हो गई है । कानपुर से कोई सामान नहीं आ रहा है । हड़ताल सफल है । यह तो माननीय मुख्य मंत्री और परिवहन मंत्री के आपसी संघर्ष का परिणाम है । बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है । ट्रकों की हड़ताल की वजह से महंगाई की हालत हो रही है, कोई सामान नहीं मिल रहा है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार से तुरन्त वक्तव्य आये और अविलम्ब इस पर कार्यवाही की जाय । ट्रक एसोसियेशन से क्या बात हो रही है इसकी सदन को सही जानकारी दी जाय । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, ट्रकों की हड़ताल के बारे में अभी जो और सदस्यों ने कहा, मैं उसी के सम्बन्ध में थोड़ा और प्रकाश डालना चाहता हूं । मैं आज किसी कारण से मेडिकल कालेज गया था, मैंने देखा कि वहां पर आक्सीजन सिलेन्डर नहीं हैं । ट्रकों के अभाव के कारण वहां पर आक्सीजन सिलेन्डर्स नहीं पहुंच रहे हैं । विगत दिवस मैंने भी इस सम्बन्ध में एक कार्य–स्थगन दिया था और आपने शासन को निर्देश दिया था कि उस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय । आज परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है । 48 घन्टे का मौका शासन को मिल चुका है कोई प्रभावी कार्यवाही हुई है अथवा नहीं ? यदि कोई कार्यवाही की है तो वह सदन में आना चाहिए । फिर हम इस बात पर विचार करेंगे कि आया उस कार्यवाही में कोई दम है अथवा नहीं, वह प्रभावी हुई या नहीं हुई । उसके बाद हम अग्रेतर सूचना आपको देंगे और जो सूचना हमने आपको दी है आप उन्हें शासन को सुनवा दें । आप शासन को इस तरह से पुनः निर्देशित कर दें । मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही अवलम्बनीय लोकमहत्व का है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह विषय पहली तारीख से शुरू हुआ है और आज 15 दिन हो गये हैं । इस सारे विषय को जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, नियम 52 के अन्तर्गत हमने चर्चा के लिये दिया था । हम यह समझते थे कि यह मामला मंत्री जी जल्दी से जल्दी निपटा देंगे । लेकिन हम लोगों को सूचना मिली है कि उन्होंने ट्रकों के लाइसेन्स कैंसिल करने शुरू कर दिये हैं । यह स्टेप हड़ताल को खत्म करने में हर्डल पैदा करेगा । सवाल सारे प्रदेश का है कि यहां पर ट्रक चले और सारे मसलों का समाधान हो । इसलिये श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि आज 5 बजे के बाद इस पर दो–ढाई घन्टे की चर्चा करा लें और शासन को निर्देश दे कि वह तब तक सारी चीजों को एकत्र कर ले, जिससे ट्रकों की हड़ताल समाप्त हो सके ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी—)

मान्यवर, अभी कार्य–स्थगन के सिलसिले में दो बिन्दु उठाए गये । एक गोंडा में जो पुलिस उप अधीक्षक शहीद हुये....

श्री मोतीलाल देहलवी—

य नहीं उठाया गया । बेगुनाह लोग मारे गये ।

श्री अम्मार रिजवी--

अगर इनको शहीद होने के लफ्ज से आपको कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी को कोई बात करनी होती है तो ये चश्मा लगा लेते हैं। अपर आपको समस्याओं का निराकरण करना है तो आप चश्मा उतार कर कहे ।

श्री अम्मार रिजवी--

मेरे चश्मे से आपको तकलीफ है तो मैं माफी चाहता हूं । लेकिन जो बात कही गई वहां की स्थिति के बारे में और नेता विरोधी दल ने भी कही । इस वजह से मुझे कहना पड़ रहा है । उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि कुछ सदस्यों की एक कमेटी वहां पर चली जाय, जो वहां की स्थिति को देख ले । मान्यवर, जहां तक इस सम्मानित सदन का प्रश्न है यह सर्वोच्च है और यहां के जो लोग हैं सारे प्रदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए और सही तथ्य उनके सामने आने चाहिए, क्योंकि वे फैसला करने में भागीदार हैं । लेकिन अगर हम इस सदन को एक इन्क्वारी कमेटी का रूप दे देंगे तो यह इतना बड़ा प्रदेश है हर बार कोई न कोई इस तरह की घटना होती रहेगी और....

एक सदस्य--

बेगुनाह लोग मारे गये हैं । इसलिए कहा गया ।

श्री अम्मार रिजवी--

अगर सदन की कमेटी वहां पर जाकर इन्क्वारी करे तो एक अच्छी परम्परा नहीं होगी । जो भावना माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं कि मामले की पूरी जांच हो और सही-सही तथ्य सामने आयें । माननीय शंकर सिंह जी ने यह भी स्वीकार किया है, जिनको कि मेरे ऐनक से तक्लीफ पहुंची थी कि पश्चिम में सब डाकू जो हैं वह पूरब की तरफ आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

इससे हम पीड़ित हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

यह बात साबित हो चुकी है कि दस्यु उन्मूलन के लिए सरकार कितनी जागरूक है उन पर दबाव पड़ रहा है । तो जहां तक कार्य-स्थगन का प्रश्न है जनरल एडमीनिस्ट्रेशन के बजट पर डिसकशन होने वाला है तो उसमें यह तमाम चीजें आ सकती हैं । जहां तक इन्क्वयारी का प्रश्न है हम किसी उच्च अधिकारी को भेज कर सारे तथ्यों को

(व्यवधान)

वहां से मंगा लेंगे

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरे को भी बोलने देंगे कि नहीं आपने अपनी अभिव्यक्ति कर दी, दूसरे को भी तो बोलने दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा और माननीय नेताओं ने कहा उसको जांच करके जो सही तथ्य होंगे वह आपके सामने सदन में रखे जा सकते हैं, जो सच्चाई है उसे हम छिपाना नहीं चाहते हैं । शासन को एक इतने अच्छे अधिकारी की जान गयी इसका अफसोस है । लेकिन इसमें कार्य-स्थगन के प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन में वह आ नहीं सकता है क्योंकि उस पर चर्चा हो चुकी है । नियमावली के अनुसार जो विषय सत्र में एक बार चर्चा के लिए आ चुका हो वह फिर नहीं उठाया जा सकता है । लेकिन शासन अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है हम लोग पूरा इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो लेकिन शासन इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि धमकी से या जोर जबरदस्ती से कोई चीज नहीं मनवायी जा सकती है । सारे प्रदेश की जनता के हित में यह जरूरी है उनके सामने झुकने का प्रश्न नहीं होता है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शासन जागरूक है । हम मानते हैं कि जागरूक है तो केवल यह बतला दीजिए कि इस 15 दिन की हड़ताल में आपने उसको काउंटर करने के लिए क्या व्यवस्था की ताकि प्रदेश में चीजों की कमी न हो ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने नियमावली से हम को अवगत कराया और कहा कि एक ही सत्र में कार्य-स्थगन दुबारा नहीं आ सकता । तो नियमावली के नियम 58, जो नियम 56 का ही विस्तार है उसमें लिखा है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे ।

तो यह उपवेशन और सत्र दोनों को एक ही में कर दे रहे हैं । माननीय मंत्री जी डाक्टर भी हैं और संसदीय मंत्री के पद से अपने इस प्रकांड पांडित्य के कारण ही हटाये जा चुके हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह कम से कम नियमावली को ठीक से देखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने इसके लिए निर्देशित भी किया है ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय मोहन सिंह जी ने मुझे खिताब दिया, फार्सी में एक वाक्य है वली वली खूबभी शिनासत । यानी वली ही वली को पहचानता है , क्योंकि उनमें वह सब शिफत मौजूद हैं, जिस चीज को वह पेश करते हैं अधूरी पेश करते है । मैं चाहूंगा

आपके द्वारा मोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा नियम 58 के खंड 5 को भी पढ़ लें जिसमें लिखा है प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो,

(व्यवधान)

तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव या कोई संकल्प पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उत्तर हो गया, प्रश्न हो गया, अब यह समाप्त हो गया, आप...

श्री हुकम सिंह—

जो नियम इन्होंने पढ़ दिया...

श्री अध्यक्ष—

जरूरत होगी तो हम देख लेंगे, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

नियम के अन्तर्गत आप अपनी व्यवस्था तो दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं और आप बैठ नहीं रहे हैं, इसमें क्या व्यवस्था है?

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

मेरा आपसे एक आग्रह है, अभी मन्त्री जी ने गोंडा का जिक्र किया। माननीय सदस्य ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि वहां पर 18 निर्दोष ग्रामीण जान से मार दिए गये हैं और डाकू भाग गये हैं। वहां राज्य गृह मन्त्री जी पहुंचे हैं, लेकिन वह ऐसा कोई निर्देश देकर नहीं आए हैं कि पुलिस के लोग निर्दोश ग्रामीणों को परेशान न करें। वहां पर कई घरों में आग लगाई गई है। पुलिस के लोग गांव को घेरे हुए हैं और मारपीट कर रहे हैं। तो इसका तत्काल कोई विकल्प निकाला जाना चाहिए ताकि इस तरह की ज्यादती न हो। इसलिए मैं चाहूंगा...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं कई बार आपके खड़े होने पर बैठ गया हूं, अब आप बैठ जाएं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

तो मैं चाहूंगा यह इस पर वक्तव्य दे दें, चाहे आज ही दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कार्य-स्थगन की सात सूचनाएं आई थीं, जिसमें से पांच मैंने अस्वीकृत की थी और दो के सम्बन्ध में मैंने आपसे सुनने की बात कही थी । एक जनपद गोंडा में पुलिस तथा डाकुओं की मुठभेड़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में और दूसरी ट्रक की हड़ताल से सम्बन्धित है ...

(व्यवधान)

बसवन्त सिंह जो हम भी जनता हैं कम से कम, अगर अध्यक्ष न भी मानें, आप बैठ जाएं । जहां तक ट्रक हड़ताल की बात है, इसमें एक वक्तव्य तो दिया गया । उसके बाद भी...

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, नई परिस्थितियां अब पैदा हो गई हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे कहने तो दीजिए । सुनिये तो, मैं एक वाक्य में कैसे सब बातें कह सकता हूं । यह सूत्र तो पाणिनी ही कह सकते हैं, मैं नहीं ।

(व्यवधान)

13 तारीख को कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विचार के समय मैंने आपके भावों को देखते हुए शासन को प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया था । पुनः यह सदन के समक्ष बात उठाई गई और जैसा रियासत हुसैन जी ने कहा अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या बात हुई । तो प्रभावी कार्यवाही के लिए जैसा मैंने आपसे कहा था और शासन को निर्देश दिया था, मैं शासन से चाहूंगा कि आज के उपवेशन में, सदन उठने तक वह सूचना दे दे सदन को कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

जहां तक गोंडा की घटना का सम्बन्ध है, आपने एक पक्ष रखा है और जो बात शासन को ज्ञात हुई थी उसकी ओर से रखी गयी और एक सदस्य ने मौके पर जाकर उसके अनुसार यहां अपनी बात रखी । माननीय नेता विरोधी दल ने भी अपनी बात रखी । तो कोई भी बात आगे सदन में कही जाए, शासन पक्ष अपनी ओर से इस सम्बन्ध में अपनी जानकारी वक्तव्य के रूप में दे दे, उसके बाद जो आवश्यक होगा, किया जाएगा ।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 55—शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 66—सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा अनुदान संख्या 78—स्पोर्ट्स विभाग

[समय 1 बजकर 1 मिनट]

*शिक्षा मन्त्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

55-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,34,68,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(मंत्री जी द्वारा बैठे-बैठे बोलने पर)

श्री मोहन सिंह--

माननीय, सदन में यह प्रक्रिया रही है कि जब कोई माननीय सदस्य बैठ कर बोलते हैं तो आपसे अनुमति ले लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अनुमति ले ली थी ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, मैंने बहुत पहले से ही अनुमति ले ली थी ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है यह कार्यवाही में आ जायेगा ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68, 52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,15,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आज बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य एवं स्पोर्ट्स विभागों का बजट इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं । शिक्षा के लिए वर्ष 1982-83 में लगभग 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से 36 करोड़ रुपया आयोजना के पक्ष में है और लगभग 9 लाख रुपये का प्राविधान पर्वतीय क्षेत्र के लिए है । जब भारत को आजादी मिली थी तो उस समय पहले वर्ष 1946-47 में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने, जो एक बड़े भारी शिक्षाविद थे और बड़े भारी राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया था और वह उस समय 3 करोड़ रुपये का था । आज शिक्षा की बढ़ोत्तरी के लिए, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे सारे प्रदेश में, चाहे वह देहात का इलाका हो चाहे शहरों का, चाहे पिछड़ा हुआ इलाका हो और चाहे पिछड़े हुए लोग हों, सब लोगों के पढ़ने-लिखने के लिए आज यह 401 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की गयी है ।

[चौधरी नौनिहाल सिंह--]

यह सर्वविदित है कि उस समय शिक्षा का बजट पूरे बजट का 11 प्रतिशत था जो आज 18.4 प्रतिशत हो गया है। हमारा प्रयत्न है कि प्रदेश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो और चाहे वह उच्च स्तरीय शिक्षा हो, सुविधाओं का विस्तार हम प्रदेश के सुदूर अंचलों तक में कर सकें जिससे हमारे सारे प्रदेश के निवासी चाहे वे कहीं पर रहते हों, उनके लिए शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध किया जा सके।

यह दुर्भाग्य की बात रही है कि स्वतन्त्रता के पहले हमारे देश और प्रदेश में शिक्षा की कमी थी। उस समय उन अभिभावकों के बच्चे ही पढ़ पाते थे जिसके पास ज्यादा रुपया होता था। शहरों में कुछ सरकारी विद्यालय भी चलते थे और शहरों में उन्हीं विद्यार्थियों को दाखला मिलता था जो अपने ढंग के धनी होने के नाते और एक परिवार में होने के नाते होते थे, उन्हीं को शिक्षा मिलती थी। आज यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हर वर्ग के बच्चों की, चाहे वे गरीब हों, हरिजन हों या पिछड़े हुये हों, उनको शिक्षा मिल सके। जिन गांवों की आबादी 300 व्यक्तियों की है वहां पर प्राइमरी पाठशाला जरूर खोल दी जाये, ऐसी प्रयास करेंगे।

(व्यवधान)

हमारी माननीया प्रधान मंत्री ने भी इस लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष बल दिया है और इसे अपने नये बीस सूत्री कार्यक्रम में 16वां सूत्र में स्थान दिया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि सार्वजनीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हर सम्भव प्रयत्न किए जाएं।

प्राइमरी स्तर पर 300 व्यक्तियों की आबादी की बस्तियों में एवं 1.5 किलोमीटर की परिधि में तथा मिडिल स्तर पर 800 की आबादी की बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अभी लगभग 12,000 प्राइमरी तथा 5500 मिडिल स्कूल खोलने की आवश्यकता है। वर्ष 1981-82 में 454 प्राइमरी स्कूल तथा 188 मिडिल स्कूल खोले गये। वर्ष 1982-83 में भी 406 प्राइमरी स्कूल तथा 87 मिडिल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। समाज के निर्बल वर्ग के बच्चों की शिक्षा सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से नये खुलने वाले विद्यालयों में कम से कम 20 प्रतिशत विद्यालय निर्बल वर्गों के क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रारम्भिक शिक्षा के पूरक कार्यक्रम के रूप में अनौपचारिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की जा चुकी है। यह योजना 9-14 वर्ष वर्ग के ऐसे बालक / बालिकाओं के लिये जो औपचारिक शिक्षा की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकें या जिन्होंने किसी आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच ही में पढ़ना छोड़ दिया है। ऐसे बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान समय में कुल मिलाकर 11,200 प्राइमरी एवं 2400 मिडिल स्तर के केन्द्रों के खोलने के आदेश दिये गये हैं। इनमें इनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त तक प्राइमरी स्तर पर पौने 3 लाख और मिडिल स्तर पर 7 हजार बालक-बालिकायें शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अभी विद्यालय भवन की कुछ चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने की। यह सत्य है कि विद्यालय के भवन जिस तरीके से होने चाहिये या उनमें साज-सज्जा जिस तरीके से होनी चाहिये, उनमें कमी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जो हमारे पुराने प्राइमरी स्कूल्स देहातों में बने हुये हैं, उनमें किसी की छत गिरी हुई है, किसी का कुछ

गिरा हुआ है । वर्ष 1981–82 में कुल 652 मिश्रित प्राइमरी स्कूल तथा 150 जूनियर हाई स्कूल के लिये जहां भवन विहीन ह, केवल पौने 7 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है । यह धनराशि उनके भवन हेतु स्वीकृत की गयी है । विगत वर्ष में भवन बिहीन विद्यालय के लिये इतना धन कभी स्वीकार नहीं किया गया है ।

आयोजनेतर पक्ष में 20 लाख रु0 के प्राविधान को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है, जो बाढ़ क्षेत्र में हैं और भी ऐसे जो बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालय हैं, उनके भवनों की मरम्मत हेतु 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । मैं अपने माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि यह सत्य है कि जितने विद्यालय देहातों के अन्दर प्राइमरी स्कूल या और संस्थायें जो खुलनी चाहिये, वह धनाभाव की वजह से हम उतना नहीं करवा पा रहे हैं । इसीलिए मैं अपने माननीय सदस्यों से चाहे वह विरोधी पक्ष में हों, चाहे अपने पक्ष में हों, मैं सबसे निवेदन करता हूं, मैं सबसे अपील करता हूं कि वह लोगों से प्रर्थना करें कि वह भवन निर्माण में सहायता दें । मैं इतना प्राविधान करना चाहता हूं कि जो लोग कमरे बनवा देंगे, जो स्कूल की बिल्डिंग बनवा देंगे, उसमें हम उनका नाम अंकित करवा देंगे और यह रचनात्मक बात है । सभी भाइयों से मेरी अपील है कि इसमें हमारी वह सहायता करें । जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें टाट-पट्टी की कमी है, वहां पर बच्चे जमीन पर बैठते हैं, 1981-82 में 120 लाख रुपये टाट–पट्टी खरीदने हेतु प्राविधान किया गया था । इस बात का भी मैंने आदेश दिया है कि जो भवन बनें, उस भवन के साथ–साथ में सारी साज–सज्जा का प्रबन्ध किया जाय ताकि वहां पर पढ़ाई–लिखाई ठीक से हो सके । ऐसे विद्यालय जिसमें टाट–पट्टी, बोर्ड आदि नहीं है, उसमे यह आवश्यक है कि जब भवन बनें, तो उसके साथ–साथ विद्यालय से सम्बन्धित जितनी सुख–सुविधा है, वह भी उपलब्ध कराई जाय । 1981–82 में 50 हजार बच्चों को पाठ्य पुस्तकें देने हेतु अनुदान स्वीकृत किए गए । 1982–83 में पौने तीन लाख बच्चों को यह सुविधा देना प्रस्तावित है । अभी तक, जब से यह हमारे जिला परिषद् के हाथों से बेसिक स्कूल सरकार के हाथ में ले लिया गया, तब से यह देखा गया कि बहुत से अध्यापक अध्यापन कार्य ठीक से नहीं करते हैं । इसलिये इन बातों को सोचकर ग्राम्य शिक्षा समिति बना दी गयी है कि ग्राम के जो चुने हुये लोग रहेंगे, वह अपने विद्यालयों को ठीक से देखेंगे कि बच्चों की शिक्षा का ठीक से प्रबन्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है । उन ग्राम शिक्षा समिति को प्रभावी बनाने के आदेश दे दिए गए हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र चूंकि वहां पर एक तो दूर–दूर विद्यालय हैं, स्कूल हैं, और अक्सर वहां अब तक एक ही अध्यापक नियुक्त थे, जो पढ़ाई का काम करते थे, अगर वह एक अध्यापक छुट्टी लेकर चला जाय, तो पढ़ाई रुक जाती है । इसलिये वहां पर एक सहायक अध्यापक रखने की भी आज्ञा दे दी गयी है । और यह निर्णय लिया गया है कि 1982 से जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, यह सार्वजनिक परीक्षा के रूप में ली जावेगी, जिससे कि यह परीक्षा में प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों व कक्षा 8 के छात्र/छात्रायें सम्मिलित होंगी । व्यक्तिगत परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में बैठेंगे । यह परीक्षा जनपद स्तर पर होगी यह निर्णय अध्यापक प्रतिनिधियों के विचार-विमर्श से किया गया है । हमारे नियोजन प्रणाली के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था इस वर्ष

[चौधरी नौनिहाल सिंह--]

प्रारम्भ की गई है। शिक्षा की प्रत्येक योजना जिला योजना का एक अंग है। अब जनपद स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकता के संदर्भ में उपयुक्त निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

अब मान्यवर, मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में कुछ कहूंगा। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं की मांग स्वाभाविक है। माध्यमिक शिक्षा के लगभग साढ़े 4 हजार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में लगभग 20 लाख बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा की मांगों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की जितनी शिक्षा विद्यालय हम खोलना चाहते हैं उनको खोलने में कठिनाई हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साधन इतने सीमित हैं कि चाहते हुये, हमारी सरकार चाहते हुये भी हर जगह विद्यालय खोल सके और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दे सके, ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। फिर भी निर्बल वर्ग के बारे में जो स्वयं विद्यालय खोलने में असमर्थ है बालिकाओं की शिक्षा की दृष्टि से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े हुये हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिये सुनियोजित रीति से नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु हम प्रयत्न करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे विद्यालयों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में हम कर सकें। खास तौर से बालिकाओं की शिक्षा के लिये। हमारे प्रदेश में लड़कों के लिये 85 प्रतिशत स्कूल हैं और लड़कियों के लिये 15 प्रतिशत हैं। यह बड़े दुख की बात है इसलिये मेरा प्रयत्न होगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा विद्यालय लड़कियों लिये इस वर्ष खोल सकें, खोले जायं। राजकीय स्कूल 1981-82 में 18 खुले थे वर्ष 1982-83 में 6 हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। उनमें आवश्यकतानुसार भवन, छात्रावास, प्रयोगशाला आदि के निर्माण की व्यवस्था की जायेगी। साजसज्जा की व्यवस्था हेतु जो अनुदान ज्यादा हो सकेगा दिया जायगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि तीन उत्कृष्ट विद्यालय जिनका रिजल्ट 75 प्रतिशत के उपर रहा है एक-एक लाख रुपया का अनुदान दिया जायेगा।

श्री मोहन सिंह—

तब आप नकल बढ़ा देंगे।

चौधरी नौनिहाल सिंह—

नकल करने की बात नहीं है। यह तो जुर्म है जो नकल कराते हैं, वह गलत करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये। पिछड़े क्षेत्रों में जूनियर हाई स्कूल अनुदान देकर खोलने की योजना है। 5 विद्यालय आगामी वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत खोलने का प्रस्ताव है। मान्यवर, 11 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं, उनमें मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्र खोले गये हैं यह इसलिये खोले गये हैं कि विद्यार्थी हाईस्कूल तक जब पढ़ लेता है तो आगे वह क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या है कि वह अध्यापक या इंजीनियर या डाक्टर बनना चाहता है इसको जानने के लिये उसके परिवार के लोग केन्द्र में ले जायेंगे जहां उसका टेस्ट करने के बाद केन्द्र के लोग बतायेंगे कि उसकी इच्छा क्या है। इस प्रकार यह केन्द्र भलाई के लिये खोले गये हैं।

मान्यवर, पाठ्यक्रमों में सुधार के लिये 10 प्लस 2 वर्षीय नए पाठ्यक्रमों को लागू करने की तरफ कार्यवाही की गयी है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिये 2 वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू करने के पूर्व वैज्ञानिक ढंग से व्यवसायिक सर्वेक्षण करने की योजना कतिपय जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। परीक्षाओं के सुचारु एवं सुविधाजनक संचालन के लिये प्राइवेट परीक्षार्थियों की परीक्षा पृथक से आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश का परीक्षाफल अब कम्प्यूटर के माध्यम

से तैयार कराया जा रहा है । परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन प्रणाली हाई स्कूल और इंटर दोनों ही स्तर पर संचालित है । इसके अतिरिक्त प्रश्न–पत्रों के ढांचे में भी सुधार किया जा रहा है ।

मान्यवर, शिक्षकों की नियुक्ति में पक्षपात तथा भाई–भतीजावाद समाप्त करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड की स्थापना कर दी गयी है और बहुत ही जल्द डिग्री कालेजेज के शिक्षकों के चयन के लिये भी घोषणा कर दी जायेगी ।

मान्यवर, इस बजट में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की सुविधा के लिये खास तौर पर ध्यान रखा गया है । सत्र जुलाई 1982 से ऐसे समस्त भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को हाई स्कूल कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है जिनके अभिभावकों की कुल वार्षिक आय 9 हजार रुपये से अधिक नहीं है । इस श्रेणी के छात्रों के लिये पुस्तकीय सहायता की धनराशि भी आगामी शैक्षिक सत्र से निम्नवत् संशोधित दरों पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है :––

कक्षा 1–5 तक 70 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष जो अभी 10 रुपये हैं,

कक्षा 6–8 तक 80 रूपये प्रतिछात्र प्रतिवर्ष जो अभी 15 रुपये है,

कक्षा 9–10 तक 90 रुपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष जो अभी 20 रुपये हैं,

कक्षा 11–12 तक 100 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष जो अभी 25 रुपये हैं ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के लिये देखा गया है कि अध्यापक जो मैदान के हैं वह वहां नही जाना पसंद करते हैं, जलवायु एवं चढ़ाई के कारण इसलिये उनको दिक्कत होती है । अतः पर्वतीय क्षेत्र के लिये अलग कैडर बनाया जा रहा है ।

मान्यवर, वर्ष 1981–82 में 4 अशासकीय महाविद्यालय खोले गये । इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों को अधिक से अधिक उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्ष 81–82 में बुंदेलखंड क्षेत्र में ललितपुर एवं जालौन जनपदों में एक–एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गयी । वर्ष 1982–83 में प्रदेश के मुख्य औद्योगिक काम्प्लेक्स नोयडा (गाजियाबाद) एवं ओबरा तथा महोबा (हमीरपुर) में एक–एक राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ।

मान्यवर, इलाहाबाद एवं प्रदेश के दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं वहां छात्राओं को रहने के लिय छात्रावास बनाये जांय । लेकिन जो संशोधन हमारे पास हैं उसके अनुसार इस प्रदेश में एक नया छात्रावास इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष बनवाने का प्रस्ताव है । इन संसाधनों से आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान दिया जाता है । मेहता शोध संस्थान, भरवारी में है । उसको 50 हजार रुपये अनुदान दिया जाता था । इस वर्ष एक लाख रुपये का आवर्तक अनुदान कर दिया गया है । इसी प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं की सुविधा के लिये 42 लाख रुपये की लागत से छात्रावास बनवाया जा रहा है । राज्य सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में 5 लाख रुपये का अनुदान इलाहाबाद विश्वविद्यालय को स्वीकृत करके दे दिया है । मान्यवर, सदन के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा सत्र अव्यवस्थित होने से प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों को बड़ी परेशानी हो रही है । इसको नियमित करने के लिये शासन

[चौधरी नौनिहाल सिंह---]

ने बड़ा प्रयास किया है और काफी सफलता भी इसमें मिली है । मैं सदन के माध्यम से सभी अध्यापकों व छात्रों से अपील करता हूं कि वे अपना सहयोग देकर शासन के इस कार्य में अपना हाथ बटायें इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का नया पाठ्यक्रम चालू किया गया । बहुत से जो राजकीय डिग्री कालेज हैं उनमें आज शहरों के अन्दर होने की वजह से वहां के बच्चों को रहने में बड़ी असुविधा दिखलायी पड़ी क्योंकि मकानों का किराया बढ़ गया है जो बच्चे शहरों में रहते हैं वह बड़ी परेशानी का अनुभव करते हैं । इसलिये राजकीय डिग्री कालेजों में आवासीय भावनी के निर्माण की एक योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें मैदानी इलाके में लगभग 30 लाख रुपये के निर्माण होंगे ।

मान्यवर, एक नया प्रयोग किया जा रहा है "इनसेट" के द्वारा । टेलीविजन पर सुदूर अंचलों में, पूर्व जिलों में खास तौर से, वहां पर टेलीविजन के द्वारा वहां के देहातों में टेलीविजन रहेगा और वहां के बच्चों को उसके द्वारा शिक्षा दी जायेगी । मान्यवर, दीक्षा विद्यालयों में यह परिवर्तन किया जा रहा है कि प्रत्येक जिले में एक बालक तथा एक बालिकाओं का दीक्षा विद्यालय रहे । भारत सरकार की "इनसेट" परियोजना मैंने प्रस्तुत कर दी है उसमें शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सकेगा और उनके करवाने की आज अखबार में सूचना भी आ गयी है । शिक्षण स्तर के उन्नयन के लिये यह भी आवश्यक हो गया है कि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, मूल्यांकन पद्धतियों, शिक्षा प्रणालियों तथा सामग्रियों व उपयोगिता तथा वैधता के बारे में निरंतर शोध एवं परीक्षण की प्रक्रिया चलते रहे । इसी लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया जा रहा है । मान्यवर, अपने प्रदेश मे एक कीर्तिमान और भी स्थापित हुआ है इस वर्ष खेलकूद में । इसके अंतर्गत कतिपय व्यायामशालाओं को अनुदान उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये कोचिंग और विजेताओं को छात्र-वृत्तियां आदि योजनायें संचालित हैं । भारतीय पद्धति के लाभप्रद व्यायाम और यौगिक आसन दीक्षा विद्यालयों एवं बेसिक स्कूलों के शिक्षा क्रम में अनिवार्य किये जा रहे हैं । शारीरिक शिक्षा और खेलकूद प्रतियोगितायें विद्यालय, जिला, मंडल तथा राज्य स्तर पर नियमित ढंग से आयोजित की जा रही हैं ।

वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हेतु 1 करोड़ 32 लाख रु0 का प्राविधान किया गया । राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष प्रदेश की विभिन्न छात्र-छात्राओं को, जिन्होंने खेल-कूद की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, निम्न प्रकार पदक दिये गये :---

1--मिनी खेलकूद प्रतियोगिता, मद्रास, कुश्ती में एक स्वर्ण पदक ।

2--तैराकी खेलकूद प्रतियोगिता, गांधी नगर (गुजरात) में एक स्वर्ण, तीन रजत तथा दो कांस्य पदक ।

3---शरदकालीन खेलकूद प्रतियोगिता, पटना (बिहार) में टेबुल टेनिस में एक स्वर्ण, फुटबाल में एक रजत, कबड्डी में एक कांस्य पदक ।

4---शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता, पुणे (महाराष्ट्र) में कुश्ती में पांच स्वर्ण, दो कांस्य, ऐथेलेटिक्स में 13 स्वर्ण, 6 रजत, 9 कांस्य तथा बालीबाल में एक रजत पदक ।

5---सी0 के0 नायडू ट्राफी प्रतियोगिता, गौहाटी में एक स्वर्ण पदक ।

इस प्रकार इस प्रदेश को खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि 22 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक, 14 कांस्य पदक हैं । प्रदेश में टेबिल टेनिस, कुश्ती, एथेलेटिक्स जूनियर एवं सीनियर दोनों वर्गों में तथा क्रिकेट में कुल मिलाकर 5 खेलों में टीम चैम्पियनशिप प्राप्त हुई है । इस प्रकार प्रदेश के छात्र/छात्राओं ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन देकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है ।

गरीब बच्चों को भोजन अच्छा मिले, आहार अच्छा मिले, उसके लिये पौष्टिक आहार योजना प्रदेश में चल रही है । इसमें 20 जनपदों में पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जा रहा है, 31 जनपदों में 6 से 11 वर्ष के बच्चों में बालाहार की योजना चलायी जा रही है । "केयर" के द्वारा यह सब चलाया जा रहा है ।

हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के क्रय करने एव संस्कृत पाठशालाओं तथा अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण तथा विकास अनुदान स्वीकृत करने की भी वर्ष 1981-82 में व्यवस्था की गयी है । उर्दू, हिन्दी तथा संस्कृत के विद्वानों को राज्य सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं । साहित्यकारों को सहायता देने की एक योजना भी चालू है जिसमें बहुत से साहित्यकारों को उनके आर्थिक कठिनाइयों में राहत मिल रही है । हिन्दी साहित्य के साहित्यकारों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा व्यवहृत हो रही पुरस्कार योजना के लगभग 4 लाख रु0 के वर्तमान प्राविधान को बढ़ाकर 6 लाख रु0 किए जाने का निर्णय लिया है । यह भी निर्णय लिया गया है कि संस्थान प्रतिवर्ष 1 लाख रु0 का एक पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए लेखक को देगा ।

अभी हमारे मुख्य मन्त्री जी ने संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में 1 लाख रु0 का पुरस्कार देने का निर्णय लिया था और वह उत्कृष्ट पुरस्कार संसार के अच्छे विद्वान जो संस्कृत में पुस्तक लिखेंगे, उनको दिया जायेगा । इसके लिये 1982-83 के बजट में व्यवस्था कर ली गयी है । अभी तक संस्कृत और उर्दू जैसे पाठशालाओं में चपरासी और क्लर्क का प्राविधान नहीं था, इस वर्ष से वहां पर चपरासी और लिपिक की व्यवस्था कर दी गयी है और ये उनको दिये जायेंगे । इसके लिये 8 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

और खाने का धन्धा बढ़ा दिया है ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, शासन की यह नीति है कि विद्यालयों में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा को ही पढ़ाने की अनुमति दी जाय । इस सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश दिये गये हैं कि जहां उर्दू बोली जाती है, जहां उर्दू भाषा को बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जहां पर 10 से लेकर 40 तक बच्चे हैं, वहां पर उर्दू पढ़ाने के लिये अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी ।

इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में भी कक्षा 6 से 8 तक आप्शनल सबजेक्ट के रूप में उर्दू को पढ़ाने की व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त यदि किसी कक्षा में 5-6 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उसके पढ़ाने के लिये भी व्यवस्था की गयी है । पूर्व माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसमें राजकीय अनुसन्धान केन्द्र तथा शिक्षा परिषद् एवं भाषा आयुक्त से सलाह ली जायेगी जिससे कि ठोस नीति विषयक निर्णय लिये जा सकेंगे ।

[चौधरी नौनिहाल सिंह—]

मान्यवर, जैसे कि हिन्दी की पुस्तकें सस्ते दर पर विद्यालयों में मिल जाती हैं क्योंकि उनकी छपाई में पसे कम खर्च होता है । परन्तु उर्दू की छपाई में कुछ कठिनाई महसूस होती है, उन पर खर्चा ज्यादा होता है । इसलिये निर्णय लिया गया है कि कीमतों के आधार पर सब्सीडी देकर उनकी छपाई की व्यवस्था की जाय, जिससे कि उर्दू की पुस्तकें छप सकें और बच्चों को उपलब्ध हो सकें ।

इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों को भी वैकल्पिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये, उर्दू को सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है । अध्यापक की सुविधा के लिये शासन ने कल्याणकारी प्राविधान किये हैं । अशासकीय शिक्षा प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अन्तर्गत कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान ही सुविधा, जैसे कि पेन्शन आदि की घोषणा शासन द्वारा की जा चुकी है । यह सहायता पूर्व माध्यमिक विद्यालयों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य कर गयी है । इसके अलावा उनको मकान का किराया तथा भत्ता भी दिया जायेगा । अब यह सुविधा सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के शिक्षण व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी प्रदान कर दी गयी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

कहां दी जा रही है ? कहीं नहीं दी जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

इस के अतिरिक्त सीमान्त एवं पर्वतीय विकास भत्ता भी उन्हें दिया जा रहा है ।

सभी डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों को उच्चतर वेतनमान में रखने को अनुमन्य किया गया है । सभी स्नातकोत्तर कालेजों के प्राचार्यों को दो हजार तक छात्र संख्या वाले मिश्रित डिग्री स्तर के कालेजों और 1400 छात्रों की संख्या वाले महिला डिग्री कालेजों के प्राचार्यों को 1500-2500 का वेतनमान अनुमन्य किया गया है ।

सहायता प्राप्त प्राईवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता, प्रशिक्षित ग्रेजुएट तथा प्रशिक्षित इण्टर पास अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनक्रम विधान सभा में बजट पर हुई बहस का उत्तर देते समय वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित किया जा चुका है । इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षकों, संस्कृत और अरबी के लिए भी वेतनमान पर शासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि शीघ्रातिशीघ्र यह निर्णय ले लिया जायेगा ।

सार्वजनिक पुस्तकालयों पर भी ध्यान दिया जा रहा है । कुछ दिनों पहले मान्यवर, मैं देश के दक्षिणी राज्यों में गया था । वहां मैंने देखा पुस्तकालयों की व्यवस्था को । गांव-गांव के अन्दर मूविंग लाइब्रेरी, बसों, मोटरों पर जाती है और देहातों में किसानों को, बच्चों को पढ़ने के लिए अखबार, किताबों आदि की व्यवस्था की जाती है । मेरा भी प्रयास है कि ऐसी लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में हम कर सकें ।

प्रौढ़ शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है । 15 से 35 वर्ष तक के निरक्षर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों तथा निर्बल वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने की योजना है ताकि वह व्यावहारिक कार्य स्तर को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रख सकें . देहात के लोग आज भी ऐसे हैं,जो चिट्ठियां, पत्र आदि नहीं पढ़ सकते इसीलिए यह

योजना बनायी गयी है ताकि वे वहां रहते हुए, अपना खेती-बारी का काम तथा अन्य काम करते हुए कम से कम इतनी शिक्षा मिल सके, जिससे वह लिख और पढ़ सके ।

श्री मोहन सिंह--

और ब्रह्मचारी जी इसके निदेशक बना दिये जायें ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को एक स्वतन्त्र इकाई बनाने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश के अन्य विभागों की तुलना में खेल-कूद एक नया विभाग है और सन् 1974 से इसकी शुरुआत की गयी तथा इसके बहुमुखी विकास के लिए खेल-कूद निदेशालय की स्थापना भी की गयी जिसके तहत अन्य योजनायें आरम्भ की गई हैं । देश के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किये और 81-82 में हांग-कांग में आयोजित जूनियर विश्वविद्यालय बवालीफाइंग में खेलने वाली भारतीय टीम में प्रदेश के 9 खिलाड़ी चुने गये ।

प्रदेश के चार लड़के योरोपी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किये गये । जकार्ता में भी फुटबाल की अखिल भारतीय टीम में शामिल किये गये । इसके अतिरिक्त जूनियर राष्ट्रीय हाकी टीम जीती । इस टीम में भी लखनऊ की हाकी टीम आगे रही । बच्चों के लिये छात्रावासों की व्यवस्था की जा रही है छात्रावासों में बच्चों के समुचित ढंग से रहने की व्यवस्था और उनके खाने की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है । इसमें प्रत्येक छात्र पर लगभग 5,000 रु० प्रति वर्ष की दर से सरकार द्वारा व्यय वहन किया जा रहा है । इसी भांति लखनऊ में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिये यह प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है और इसके साथ ही साथ तमाम समानान्तर सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ।

मूल्य वृद्धि के कारण स्पोर्ट्स कालेज की मद में वृद्धि की गई है । मान्यवर, मेरा प्रयास है कि क्रीड़ा के छात्रावास मेरठ, बरेली, लखनऊ में छात्रावास बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा इलाहाबाद की स्वीकृति इस वर्ष प्रदान किये जाने पर मैं प्रयत्नशील हूं । 1982-83 में बनारस में 5 लाख 16 हजार रु० की व्यवस्था की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की यह योजना है कि धन उपलब्ध हो तो उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर क्रीड़ांगन स्टेडियम बनवा सकें, जिसे वहां पर बच्चे ठीक से खेल-कूद सकें शहरों के अन्दर जिला मुख्यालयों पर बनाने की बात है । इसके साथ ही साथ देहात के क्षेत्र में, जैसे महमूदाबाद और दूसरे भी बड़े-बड़े गावों में हम यह सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं । सरकार के 10 स्टेडियम बनाने का विचार है और 17 निर्माणाधीन हैं । यह प्रयास किया जा रहा है कि धन जैसे ही उपलब्ध हो जाए अधिक से अधिक स्थानों पर स्टेडियम बनाये जायें । ग्रामीण अंचलों में 1982-83 में 48 नये ग्रामीण खेल-कूद केन्द्रों की स्थापना कराई गई है । इसके लिये 55 हजार रुपयों की व्यवस्था कराई गई है । झांसी में तरणताल निर्माण के लिये एक लाख रुपयों तथा सुल्तानपुर, गोरखपुर, बिजनौर व रायबरेली में बहुद्देशीय हाल बनवाने हेतु 9 लाख 99 हजार रुपयों की व्यवस्था की गई है । समिति वित्तीय संसाधनों के होते हुए भी निदेशन और प्रशासन, वेतन वृद्धि, नकदीकरण आदि के लिये निदेशन व प्रशासन प्रतियोगिताओं की संख्याओं में वृद्धि और अधिक उपकरणों की व्यवस्था के लिये संघों को प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान/उपकरण सामग्री सम्पूर्ति,

[चौधरी नौनिहाल सिंह---]

प्रशिक्षण शिविरों महिला खेल-कूद, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान नामक मदों पर 1981-82 की तुलना में 1982-83 में अधिक धनराशि की व्यवस्था करके प्रदेश में खेल-कूद की सुविधायें अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ।

मान्यवर, यह प्रदेश हमारा हिमालय से लेकर नेपाल तथा गंगा और यमुना के संगम के किनारे बसा हुआ है । इस प्रदेश में बड़ी-बड़ी नदियां भी हैं और यहां का मैदानी क्षेत्र उपजाऊ और बहुत ही सुन्दर है इसलिये यहां की संस्कृति का प्रचार और प्रसार सारे देश के अन्दर प्रख्यात है और सारे संसार के लोग हमारे प्रदेश का गुणगान करते रहे हैं । हमारे मनीषियों ने भी संस्कृत के श्लोकों में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है । यहां पर संगीत, नाटक, ड्रामा और नृत्य कला हमेशा अपनी विशिष्टता रखती रही है इसलिये यहां पर संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिये सांस्कृतिक कार्य विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी और उसमें राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, राज्य पुरातत्व संगठन, राजकीय अभिलेखागार, विधि संग्रहालय, राज्य ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी आदि सम्मिलित हैं । इनकी कार्य समीक्षा 1981-82 नामक पुस्तिका में आप सभी माननीय सदस्यों के पास प्रस्तुत है । राजकीय वास्तुकला विद्यालय का स्तर बढ़ाकर उसे महाविद्यालय कर दिया गया है जहां अब डिग्री स्तर की पढ़ाई हो रही है । भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के पुनर्गठन तथा राज्य में संगीत शिक्षण के सुधार एवं मान की हेतु संस्तुति देने के लिये एक समिति का गठन किया गया है । भारतेन्दु नाट्य केन्द्र का स्तर ऊंचा करके उसे एक स्वतंत्र अकादमी का रूप दिया गया है । अब इसके द्वारा एक वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का डिप्लोमा दिया जायेगा । लखनऊ जिले में मोहनलालगंज तहसील में हुलासखेड़ा स्थल पर उत्खनन का कार्य तेजी से किया जा रहा है । वहां से कुषाण तथा मौर्यक लीन पुरातात्विक महत्व की वस्तुयें प्राप्त हो रही हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी से टी० यू० 124 भारतीय वायुसेना का राजहंस वायुयान उपहार में प्राप्त हुआ है । उसे राज्य संग्रहालय, लखनऊ के परिसर में प्रदर्शित करने की कार्यवाही की जा रही है । लोक कला विद्याओं का अध्ययन तथा उसका प्रोत्साहन एवं लोक संगीत, लोक नृत्य तथा लोक नाट्य कला से सम्बन्धित सामग्री तथा साहित्य प्रकाशित करने आदि के लिये जनजाति एवं लोक कला अकादमी की स्थापना प्रदेश के प्रमुख नगरों में आडिटोरियम का निर्माण, मण्डलीय मुख्यालयों पर सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना तथा मुद्रा समिति की स्वतंत्र इकाई की स्थापना की योजनायें शासन के विचाराधीन हैं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य जहां पर अनेकों पुरातत्व के समान हमारी जमीन के नीचे दबे पड़े हैं, उनके अन्वेषण का कार्य, उनके निकालने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है । जैसे ललित कला का संरक्षण व उसका विकास करना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ में अपना यह अनुदान प्रस्तुत करता हूं ।

श्री किरनपाल सिंह---

मान्यवर, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

[इस समय 1 बजकर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--सांस्कृतिक कार्य विभाग--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78--स्पोर्ट्स विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, बड़े गौर से मैंने अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का लिखा हुआ और पढ़ा हुआ भाषण सुना । उस नये भाषण में हमें उम्मीद थी कि नयी नीतियों की घोषणा होगी, लेकिन नीतियों की घोषणा नहीं हुई । सिर्फ यह बतलाया गया कि 401 करोड़ रुपया हमारे पास है और किस-किस तरह से इनको खर्च करने जा रहे हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हिन्दुस्तान के आजाद होने के समय से बात शुरू की और यह कहा कि हमारा आज का बजट आजादी वाले साल के बजट से कहीं अधिक है । लेकिन आज के जो हालात हैं, आज जितनी महंगाई है, जो जरूरतें हैं, जो जनसंख्या है उसको देखते हुये तुलनात्मक दृष्टि से अधिक नहीं है । इसमें कोई नई क्रान्तिकारी बात उन्होंने नहीं की है । मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद हमारे देश के नेताओं ने, जिनके ऊपर देश और प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने शिक्षा के ऊपर इतना वजन, इतनी तवज्जह नहीं दी और इतनी दूरदर्शिता से काम नहीं लिया जितना कि लेना चाहिये था । इसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारा समाज और हमारा प्रदेश एक अजीब स्थिति में पहुंच गया । मान्यवर, शिक्षा की स्थिति, किसी देश या प्रदेश के लिए, उसके समाज की स्थिति को अवगत कराता है और शिक्षा की नीति उस देश की दिशा को अवगत कराती है । हमारी शिक्षा की जो नीति है उसकी क्या देन है, कुछ उदाहरणों से आपको पता चल जायेगा । हमारी शिक्षा की देन यह रही है कि एक व्यक्ति जो इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्शन होने के काबिल है वही 396 का मुलजिम बनने के भी काबिल है । आर्म्स ऐक्ट 25 का मुलजिम भी है । हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री इस शिक्षा की ही देन हैं जिनके टाइम में 100 से ज्यादा पुलिस सिपाही, आफिसर मारे जायें और वही यहां राज्य के सबसे काबिल मंत्री हैं । एक व्यक्ति जो परीक्षा में नकल करके पास होता है वही अध्यापक बनने के बाद परीक्षा में नकल को रोकने की कोशिश करता है । वही नकल रोकने के लिए अध्यापक बन जाते हैं । हमारे समाज में विरोधाभास शिक्षा की वजह से इतना हो गया है । हमारे यहां एक साहित्यकार या गीतकार समाज को साहित्य और गीत देता है । वही फिल्मों का गीतकार, साहित्यकार हो जाता है । हमारे यहां पूजारी और पंडित हमारे धर्म प्रचार के लिये होते हैं, भाई-चारे बढ़ाने के लिए होते हैं लेकिन वही इन्सान का खून बहाने और उसको जख्मी करने में सब से आगे रहा करते हैं । हमारे यहां का व्यक्ति जो नारी संरक्षण गृह का अधीक्षक होने के लिए काबिल ठहराया है वही नारी के जिस्म फरोसी के लिये काबिल ठहरता है । जो नारी की बार-बार रक्षा की बात करते हैं, हमारे समाज में ऐसी बात बन गई है कि उसी नारी को बहेज न मिलने की वजह से जला दिया करते हैं । एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का सम्मान करने में तौहीन महसूस की जाने लगी है । मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है । जब भी कभी इस प्रकार की बात होती थी तो बुजुर्ग लोग कहा

[श्री किरन पाल सिंह--]

करते थे कि इसकी तालीम ही ऐसी रही है, इस को शिक्षा ऐसी रही है, इसका कसूर नहीं है ।

आज हमारे समाज में मौरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य कहां पर पहुंच चुके हैं । समाज की सेवा की भावना, सेन्स आफ कामन सिटीजनसिप, कहां लोप हो गई है । चरित्र निर्माण कहां हो रहा है श्रम की महत्ता कहां रह गई ? सब तरह से हमारे समाज का अवमूल्यन हो रहा है । यह सब शिक्षा की बात है । मैं जानना चाहता हूं क्या इस सब के लिए शिक्षा जिम्मेदार नहीं है । यदि शिक्षा इन सब चीजों में सुधार नहीं ला सकती है तो ऐसी शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं है । इन तमाम चीजों को देखते हुये, हमारे समाज की स्थिति को देखते हुये और हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउन्ड को देखते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस दिशा में अमूल चूल परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचा । शिक्षा बजट पेश करने से पहले शिक्षा शास्त्रियों, काबिल छात्र नेताओं, वाइस चान्सलरों, प्रिन्सिपलों या अध्यापकों का कोई सम्मेलन बुलाया गया, उन से कोई जानकारी ली गई कि शिक्षा में क्या परिवर्तन होने चाहिये । सेक्रेटरीज और डाइरेक्टरों के निर्देश पर हमारे सामने यह बजट बना कर पेश कर दिया । मैं मांग करता हूं कि तमाम समस्याओं को सोच समझ कर, देश और समाज की समस्याओं का पुनर्मूल्यांकन कर, शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति को देखकर, शिक्षा शास्त्रियों, काबिल छात्र नेताओं, वाइस चान्सलरों, प्रिन्सिपलों की राय जान कर, शिक्षा की नीति तय की जाय, शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाय । आज शिक्षा का उद्देश्य कुछ नहीं है । अब्जेक्टिव तय किये जायं । प्राथमिकता तय की जाय । प्राथमिक आब्जेक्टिव, सेकन्डरी आब्जेक्टिव तय किये जायं । इस आधार पर हमारी शिक्षा की नीति बने और उसका कार्यान्वियन हो तब हम उसकी समीक्षा विधान सभा में करें तो अच्छी बात होगी । इस बजट को, मैं निवेदन करूंगा, वापस लेकर एक अच्छा बजट, क्रान्तिकारी बजट, जो रैडिकल रिकन्स्ट्रक्शन और ट्रान्सफारमेशन करे, आप विधान सभा में लायें तब उसे पास करने के लिए हम लोगों से कहें ।

माननीय, जैसी शिक्षा हमारे प्रदेश में मिल रही है और इस शिक्षा की जिम्मेदारी कैसे-कैसे काबिल लोगों ने ली है मैं आपको मिशाल देना चाहता हूं । माननीय, जब कोई मंत्री या मुख्य मंत्री या कोई व्यक्ति विधान सभा में यदि कोई घोषणा करे तो उस व्यक्ति को, मंत्री को, वह व्यक्तिगत राय नहीं मानी जानी चाहिये, वह सरकार की राय हुआ करती है ।

माननीय, हमारी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जो कि प्रदेश के दुर्भाग्य से आज इस प्रदेश की गृह मंत्री हैं, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी ने इस विधान सभा में घोषणा की थी कि यहां पर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा और यह भी कहा था कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में हमने दो-तीन महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं । पहला उन्होंने यह बताया था कि विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में सरकार का एक आदमी रखा जायेगा जिससे कि जो उससे शिक्षकों का उत्पीड़न और प्रताड़न होता है एक्सप्लायटेशन होता है, वह नहीं हो पायेगा । दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि हम इसके लिये (नियुक्तियों के लिए) एक कमीशन का गठन कर देंगे । इसके बारे में अभी कुछ नहीं किया गया है । आज स्थिति यह है कि नये शिक्षा मंत्री जी सदन के बाहर कुछ बयान देते हैं और सदन के अन्दर कुछ और बयान हो जाता है । आज उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात न तो सरकार के विचाराधीन है, न विचाराधीन रही है और न ही भविष्य में विचाराधीन होने वाली है । मैं पूछना चाहता हूं कि पुराने शिक्षा

मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसको क्रियान्वित किया गया ? नहीं किया गया । क्यों नहीं किया गया ? दूसरी बात यह है कि पुराने शिक्षा मंत्री ने यहां पर जो बयान दिया था उसको आज के शिक्षा मंत्री ने नकारते हुए जो बयान दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । मान्यवर, इन सब बातों से पता चलता है कि इनके पास शिक्षा की कोई नीति नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई दिमाग नहीं है । यहां पर ऐसे लोग सरकार में हैं जो तरह-तरह का बयान देते हैं । बाहर कुछ कहते हैं और यहां पर सदन में कुछ कहते हैं । इनमें शिक्षा के इन्तजाम करने का माद्दा नहीं है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ये शिक्षा के आब्जेक्टिवस की बात करते हैं, इनके पास शिक्षा के बारे में केवल एक ही उद्देश्य और डाइरेक्टिव है जिसके निर्देशन में चाहे भारत सरकार हो या सूबे की सरकार हो, जो शिक्षा के बारे में इनका पुराना रिकार्ड मिलता है वह है केवल भारतीय संविधान का आर्टिकल 45 जिसमें कहा गया है कि देश में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य फ्री शिक्षा दी जायगी । यह लीगलाइज उद्देश्य है । इस डाइरेक्टिव के लिए जो कि सन् 1952 में संविधान अख्तियार किया गया हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था कि 10 साल के अन्दर हमारा यह उद्देश्य पूरा हो जायेगा । लेकिन आज 35 साल बीत जाने के बाद भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है ? नहीं हो पायी है ।

प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे सूबे की बहुत खराब हालत है । हमारे यहां प्राथमिक शिक्षा में दो तरह की शिक्षा दी जा रही है । एक पब्लिक स्कूलों में तथा दूसरे जनसाधारण की बेसिक स्कूलों में । पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ऊंचे स्तर की शिक्षा दी जाती है और दूसरे स्कूलों में गरीब बच्चों को, कमजोर वर्ग के बच्चों को हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाती है । इसके बारे में मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) के लोगों ने, इनकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संविधान में यह संशोधन कराया था कि हिन्दुस्तान सेक्यूलर और डेमोक्रेटिक ही नहीं बल्कि एक सोसलिस्टिक कन्ट्री भी होगा । तो फिर यह दो प्रकार की शिक्षा पद्धति क्यों है ? पहले ही यहां पर अमीरी और गरीबी की खाई बहुत चौड़ी है और फिर इस तरह की शिक्षा देकर उसको और गहरा किया जा रहा है और हमारे बच्चों को दोहरी पद्धति से शिक्षा दी जा रही है । हम शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस शिक्षा पद्धति को जो प्राथमिक स्तर पर हमारे बच्चों को दी जा रही है उसको तुरन्त समाप्त किया जाय । यह घोषणा होनी चाहिए कि कान्वेन्ट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है वह समाप्त हो जायेगी और उनको हिन्दी माध्यम से पढ़ाया जायेगा । अंग्रेजी वहां नहीं चलेगी या फिर प्राइमरी स्कूलों में भी गरीब के बच्चों को पब्लिक स्कूल के स्तर की शिक्षा दी जायेगी । हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है । हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने दौरा किया और उनके बयान भी अखबारों में छपे तो उन्होंने खुद पाया कि स्कूलों में कहीं पर छत नहीं है, कहीं पर दीवारें टूट रही हैं, बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं है, टीचर्स के बैठने के लिए कुर्सी और मेज नहीं है, रोशनाई नहीं है तथा जो और दूसरी आवश्यक चीजें होती हैं वह नहीं है । तो इस तरह से हमारे स्कूलों की वयनीय स्थिति है । आजादी के 35 साल बाद भी मामूली चीजें मुहैया नहीं करा पाये हैं । जैसे किसी देश के निर्माण के लिए उसकी नींव उस देश की शिक्षा होती है, उसी प्रकार शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा होती है तो हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की यह हालत है वह इतनी कमजोर और निरीह रूप में चलाई जा रही है जो उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं इससे हमारी आने वाली

[श्री किरनपाल सिंह–]

पीढ़ी का क्या होगा ? यह बड़े अफसोस की बात है कि आज जहां नाच-गान होते हैं जो अय्याशी के अड्डे हैं वह शीशे और संगमरमर के महलों में चलते हैं और जहां हमारे देश के भविष्य का निर्माण होता है वहां पर टाट-पट्टी भी नहीं है भवन, छत नहीं है तथा पेड़ के नीचे चलते हैं तो इससे ज्यादा और शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है ।

हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी शिक्षकों की स्थिति दयनीय है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी शिक्षकों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । उनको समाज में आज कोई इज्जत नहीं है उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है उसका कारण है कि उनको कोई स्टेट्स नहीं मिला है, उनकी तनख्वाह और उनकी सिक्योरिटी और प्रोन्नति के कोई चांस नहीं है । मैं चाहता हूं कि सारी प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करके उनको स्वायत्तशासी संस्थाओं को दे दें । इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल जो कान्वेंट चला रहे हैं वह पैसे वाले लोगों तक सीमित है, गरीब उसमें नहीं जा सकता है वह गरीबों के निर्माण के लिए नहीं है ।

अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि दो करोड़ रुपया भवनों के लिए दिया गया है । जो स्कूल जिला परिषदों मे मिले थे उनके रखरखाव की जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी है । उसके लिये दो करोड़ रुपया देने की व्यवस्था की है मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है मेरे और साथी भी यहां बैठे हैं मेरे बुलन्दशहर में एक पैसा भी भवनों के मरम्मत के लिये नहीं दिया गया है । मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा पैसा आया है लेकिन उसका बटवारा नहीं हो रहा है क्योंकि कोई मीटिंग नहीं हुई है । सारा साल निकल गया है अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई । तो आपने इसकी जांच कराई कहीं भी मरम्मत नहीं हुई है आप बुलन्दशहर की ही जांच करा लीजिये ।

मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं । माध्यमिक शिक्षा हमारे प्रदेश में बहुत पापुलर है इस वजह से पापुलर नहीं है कि शिक्षा अच्छी दे रहे हैं । शिक्षकों का संगठन है उसकी वजह से माध्यमिक परीक्षक संघ द्वारा समय-समय पर आवाज उठाई जाती है इसकी वजह से माध्यमिक शिक्षा पापुलर है न कि अच्छाई के कारण । मैं सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने की मांग करता हूं । पिछले सालों में जब हमारी जनता पार्टी की सरकार थी कांग्रेस (आई) के लोग विपक्ष में बैठते थे तब शिक्षा पर जब कटौती का प्रस्ताव पेश किया था तो जोरदार शब्दों में मांग की थी कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये, उससे सामाजिक भावना बनेगी, उससे एकीकरण की भावना बनेगी, अखंडता की भावना बनेगी, भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा । सबको तरक्की का मौका मिलेगा और प्राइवेट मैनेजमेंट के कारण व्याप्त तमाम दोष दूर होंगे । मैं सब प्राइवेट मैनेजमेंट को गलत नहीं बताता हूं, फिर भी उसमें तमाम भ्रष्ट तत्व भरे हुये हैं । जो भी अनुदान मिलता है, उसका विद्यालयों की तरफ प्रवाह न होकर मैनेजमेंट के सदस्यों के घर की ओर हो जाता है । मैंने बहुधा देखा है कि जिनके घर झोपड़ी के थे, मैनेजर शिप में उनके पक्के मकान बन जाते हैं । जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी और यह भी कह दिया था कि इस दिशा में हमने यह यह कदम उठा लिए हैं तो सरकार को, वर्तमान शिक्षा मंत्री को भी उसी दिशा में आगे कदम उठाना चाहिए था । उनको क्या दिक्कत आ गई कि वह शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने से अब पीछे हट रहे हैं । राष्ट्रीयकरण से शिक्षकों का शोषण समाप्त होगा और इसके अलावा भी तमाम लाभ होंगे, शिक्षा और समाज की उन्नति होगी । शिक्षक जो पूरी सर्विस ऐडहाक में चलता है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी, कोई पेंशन

नहीं है, वह उनको मिलने लगेगी । उनमें सेंस आफ सिक्योरिटी डेवलप होगा और वह अच्छी तरह से अपना अध्यापन कार्य कर सकेंगे । इसके साथ ही मैं यह बात भी बिना कहे नहीं रह सकता हूं कि आपको शिक्षकों की ट्यूशनबाजी को सख्ती के साथ रोकना होगा । आज प्राइवेट मैनेजमेंट में शिक्षक सारे दिन ट्यूशन करते हैं, स्कूलों में बहुत कम पढ़ाते हैं । तो उनके इस प्राइवेट धन्धे को सख्ती से रोक दिया जाय ।

अब मैं कुछ माध्यमिक शिक्षा के बारे में और कुछ कहना चाहता हूं । यह सरकार अफसरों के चंगुल में फंसी हुई है । मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूं । इस सरकार ने पिछले साल में एक आदेश जारी किया था कि असहायताप्राप्त विद्यालयों म नई नियुक्तियां बन्द कर दी जायें । यह आदेश जारी हो गया, उसके बाद तुरन्त एक दूसरा आदेश जारी हुआ कि जो चुनाव की प्रक्रियायें पूरी हो चुकी हैं, उनको छोड़कर यह आदेश लागू होगा यानी नई नियुक्तियां नहीं होंगी । इसके बाद तीसरा आदेश यह जारी हुआ कि प्राइवेट मैनेजमेन्ट भी अध्यापकों की नियुक्ति कर सकते हैं और तात्कलिक व्यवस्था कर सकते हैं । जहां वह जरूरी समझें ऐडहाक एप्वाइन्टमेंट कर सकते हैं । यह उन्होंने किया और एप्वाइन्टमेंट भी किये थे । यह आदेश जारी ही हुआ था कि एक चौथा आदेश आया कि प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति बन्द की जाय और केवल विद्यालय निरीक्षक ही नियुक्ति करेंगे और वह भी उस स्थिति में करेंगे जहां किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाए या प्रोन्नति से उसका स्थान रिक्त हो गया हो । यह आदेश जारी हुआ था कि एक और नया आदेश आया कि नया मानक स्थापित करके--छात्रों और अध्यापकों का अनुपात निकाल कर जो भी अध्यापक सूबे में फालतू हैं उनको मुक्त कर दिया जाय यानी उनकी छटनी कर दी जाय । जब अध्यापकों की छटनी की बात आई तो इस पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने शोर मचाया, जो कि एक ताकतवर संघ है । इससे सरकार घबड़ा गई और उसने एक छठा आदेश यह जारी किया कि छटनी नहीं की जायेगी, उन सब का समायोजन कर दिया जायेगा । इसके बाद जब माध्यमिक शिक्षक संघ और तगड़ा पड़ा उसका जूता पड़ा, तो यह आदेश सातवें कर दिये गये कि अब छटनी नहीं होगी जैसा है वैसा रहेगा । तो किसी एक ही मामले में एक ही विषय में थोड़े-थोड़े समय बाद सात आदेश होते हैं । शिक्षा मंत्री को मालूम भी नहीं होता है कि क्या आदेश हो गये हैं ? यह निराशाजनक व खेद की बात है । यहां बैठे हुये अधिकारी लोग आदेश कर देते हैं और हमारे स्कूलों और इनमें पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों की क्या दशा होती है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

अब मैं मान्यता समिति के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मान्यता के बारे में शिक्षा मन्त्री जी ने बहुत ही उदारता दिखाने की बात कही है । हमारे प्रदेश में जो मान्यता समिति गठित है तो वह जिस विद्यालय की मान्यता की संस्तुति कर देती है, उसको फाइनल मान लिया जाना चाहिए । होता यह है कि मान्यता समिति ने संस्तुति कर दी, वह सरकार के दफ्तर में आ गयी । छोटे-छोटे अफसरों के सामने विभिन्न स्कूलों के हेड मास्टर्स और प्रिन्सिपल अपना नाक और मत्था रगड़ेंगे उनका उत्पीड़न होगा, तब उस विद्यालय को मान्यता दी जाती है ।. . .

एक सदस्य--

मुद्रा की बात भी होती है ।

[श्री किरनपाल सिंह--]

वह तो सही है कि मुद्रा की बात भी होती है लेकिन जब कभी भ्रष्टाचार की बात आती है तो सामने बैठने वाले लोग बौखला जाते हैं, चौक जाते हैं । इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में कम से कम इस सरकार के लोग किसी जिक्र को सार्थक नहीं समझते हैं । जब मान्यता समिति में विधायक भी हैं और सरकारी अधिकारी भी हैं जो सरकार को अपनी संस्तुति करती है तो फिर उनकी संस्तुतियों को पूर्ण रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये । यदि आप इस समिति की संस्तुतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो इस मान्यता समिति का कोई लाभ ही नहीं है । कहा जाता है कि संसाधनों की कमी के कारण हम संस्तुति किए गये स्कूलों को मान्यता नहीं दे सकते हैं तो जितने सरकार के साधन हों उतने ही स्कूलों को मान्यता देने की बात उस समिति को कह दी जाय कि इतने विद्यालयों से ज्यादा की वे संस्तुति न करें और उसी के अनुसार बजट में एडजेस्ट हो जाय । दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिस दिन से मान्यता मिले उसी दिन से सरकार लेक्चरार्स और टीचर्स के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । कई केसेज में ऐसा होता है कि उनको मान्यता दिए जाने के उपरान्त 4 साल तक भी ग्रान्ट-इन-एड नहीं मिली है । मान्यता मिलने के बाद मैनेजमेंट के ऊपर सैलेरीज के भुगतान की बड़ी दिक्कत आ जाती है ।

अपर बेसिक शिक्षा के बारे में निवेदन है कि जब जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी मान्यता मिल जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान दिया जाना शुरू कर देना चाहिए । जब जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल हो जाता है तब उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान मिलने का प्रश्न नहीं होता है । इसलिए उनके अध्यापक 100-100 और 80-80 रुपये जो फीस से आता है उस पर गुजर करते हैं और उसका बहुत बड़ा भाग सरकारी खजाने में पहुच जाता है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार मेरे इस प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे ।

एक घोषणा यह भी की गई कि जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित होगी । यह कदम सरकार का स्वागत योग्य है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा कोई खिलवाड़ नहीं है । पहले भी यह निर्णय हुआ था उस समय ऐसे ही रिजल्ट्स आये थे लेकिन न जाने किस दबाव के कारण फिर उस निर्णय को बदल दिया गया । उस समय प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा जो हाई स्कूल्स-इन्टरमीडिएट कालेज चलाये जाते थे, उनके स्कूलों के बच्चे पास नहीं हुए थे व जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थी ज्यादा पास हो गये थे । तो पता नहीं किस दबाव में यह किया कि घरेलू परीक्षायें हुआ करेंगी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से शिक्षा के साथ खिलवाड़ न करें, इस समय जो फैसला आपने लिया है उसी पर आगे तक कायम रहें और उसे लागू करें ।

एक बात और मैं शिक्षा के हित में, विद्यार्थियों के हित में, अध्यापकों के हित में, अधिकारियों के हित में और सरकार के भी हित की कहना चाहता हूं और वह यह कि आपका जो यह इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल का बोर्ड है, यह इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसे आप तोड़ दीजिए ।

(व्यवधान)

एक सदस्य --

विकेन्द्रीयकरण कर दिया है ।

श्री किरनपाल सिंह--

विकेन्द्रीयकरण से कुछ होने वाला नहीं है । आप इसे तोड़ कर हिल के लिए अलग बोर्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलग बोर्ड पश्चिमी प्रदेश के लिये अलग, बुन्देलखन्ड के लिए अलग बोर्ड बनाये, तभी शिक्षा ठीक प्रकार से चल सकेगी । आज समय से न तो रेजल्ट डिक्लेयर हो पाते हैं और इन्तजाम ही ठीक हो पा रहा है ।

(व्यवधान)

मुझे कुछ समय और दे दीजिए मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं ।

श्री मोहन सिंह--

इन्हें मान्यवर, कुछ अधिक समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप 5 मिनट और बोल लें ।

श्री किरनपाल सिंह--

यह जो आपने कम्प्यूटर सिस्टम चालू किया है यह भी गलत है । इससे जो लड़के फेल होते हैं वे पास हो जाते हैं और जो पास होते हैं वे फेल घोषित हो जाते हैं । इससे बेकारी भी बढ़ी है । तमाम लोग इसके कारण बेकार हो गये हैं ।

समय कम है, कुछ सुझाव में उच्च शिक्षा के बारे में भी देना चाहता हूं । आज उच्च शिक्षा की हालत भी अच्छी नहीं है । कहने के लिए तो विश्वविद्यालय स्वायतशासी संस्थायें हैं, पर उनमें राजनैतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है । जब वाइसचान्सलर की नियुक्ति होती है तो उसमें भी सरकार का आदमी ही रखा जाता है क्योंकि उसके चयन हेतु 3 आदमी होते हैं, एक हाई कोर्ट का नुमाइन्दा होता है, एक राज्यपाल महोदय का नुमाइन्दा होता है और एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल का नुमाइन्दा होता है । इसमें राज्यपाल का नुमाइन्दा नहीं होना चाहिए और उसकी जगह विधान सभा के अध्यक्ष या विधान सभा का नुमाइन्दा होना चाहिये जो सरकार की गुडबुक्स में होता है वही वाइस चान्सलर बन जाता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

वह नुमाइन्दा राज्यपाल का होता है या चान्सलर का ?

श्री किरनपाल सिंह--

कुलाधिपति का होता है और राज्यपाल ही कुलाधिपति होता है ।

एक बात और कहना चाहता हूं । वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों को सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है । मेरा सुझाव यह है कि उनको जब रुपया दिया जाये तो लम्पसम दिया जाये और उसको खर्च करने का उनका

[श्री किरन पाल सिंह—]

पूरा अधिकार रहे, वे जिस तरह से चाहें उसे खर्च करें अपनी जरूरत के अनुसार आज अगर कोई नियुक्ति करनी होती है या किसी पद का सृजन करना होता है तो उसके लिए सरकार का एप्रूवल लेना पड़ता है। टाइम टेबिल भी अगर फिक्स करना होता है तो उसके लिए भी सरकार का एप्रूवल लेना पड़ता है। उनको ऐसे कामों की अनुमति होना चाहिए। इसके बाद एक और अंकुश लगाने की बात मैं कहना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी अपने हिसाब से कोई भ्रष्टाचार करे, कोई अनियमितता करे, तो उसको विधान सभा की परिधि के अन्दर ले आने के लिए नया विधान सरकार को बनाना चाहिए। इसके बाद डिग्री कालेज के शिक्षकों के बारे में कहना चाहता हूं। उनकी हालत यह है कि जब मैं आज हाउस को आ रहा था, तो प्रोफेसर लोग धरने पर बैठे हुए थे। यह अच्छी स्थिति नहीं है। आज से कई वर्ष पूर्व जब विद्यार्थी शिक्षा पाता था, तो वह सोचता था कि प्राथमिकता शिक्षक बनने के लिए देना है। लेकिन आज जो स्थिति है वह ऐसी नहीं है बल्कि आज स्थिति यह है कि शिक्षा प्राप्त छात्र, अध्यापक बनने की अपनी आखिरी चवाइस रखता है। हमारे यहां डिग्री कालेज के अध्यापकों की और तमाम अध्यापकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिस प्रकार से हमारे समाज में परिगणित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों की स्थिति है, सदियों से दबे हुए हैं, उसी प्रकार से नौकरी पेशा लोगों में शिक्षक लोग भी दबे हुए हैं, उन्हीं की जैसी शिक्षकों की भी हालत है। इनको उभारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा और हमको ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी अध्यापकों को उस स्थिति में लाना होगा, जिस तरह से अमेरिका के फारेन सेक्रेट्री श्री हेनरी किसिंगर ने दुनिया में बहुत ताकतवर आदमी होने के बाद भी अपने देश के लोगों को यह धमकी दी थी कि मेरी बात मानो वरना तो मैं इस फारेन सेक्रेट्री-शिप को छोड़कर अपने पुराने हार्डवर्ड विश्वविद्यालय में वापस चला जाऊंगा और वहां अध्यापन कार्य करने लगूंगा। शिक्षकों की स्थिति हिन्दुस्तान में जब मैं अच्छी समझूंगा जब कि हमारे देश के शिक्षक भी इस तरह की धमकी देने के काबिल हो जायं और समाज में इज्जत पा जायं। यू० जी० सी० ने एक ग्रेड दे दिया 8–10 साल पूर्व, उसी से आप मुतमईन हो गये। यह भी देखना होगा कि उसके बाद कितनी महंगाई बढ़ी है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। उनको मंहगाई-भत्ता नहीं है, उनको सेलेक्शन ग्रेड नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश टण्डन—

सबसे आराम देह नौकरी शिक्षकों की है।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर इनको मालूम नहीं है कि हमारे समाज में शिक्षकों की क्या दुर्गति है। इनकी समाज में क्या इज्जत है। कृपया सुनें कि जब मैं डिग्री कालेज में लेक्चरर हुआ, तब मुझे 300 रुपया में लगाया गया था, जब कि बैंक का चपरासी साढ़े 5 सौ रुपया लिया करता था। इसके बाद मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज के बारे में कभी-कभी वाइस चांस्लर कि डिसीजन को, शिक्षा विद के फैसले को हमारे अदना अधिकारी उसको बदलने यहलए समीक्षा करने के लिए बैठते हैं। यह बहुत डिप्लोरेबुल बात है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा की दुर्गति का कारण यह भी है, जिसे वयं ।और उनके बाप-दादाओं का कभी शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है,

कोई सरोकार नहीं रहा है, जिसको सोशल नीड्स, रियलिटीज, डिफिकल्टीज और इनके समाधान का मालूम नहीं है, उनको कह दिया जाता है कि शिक्षा की तरक्की करो। प्रदेश की शिक्षा की तरक्की ऐसे लोगों के हाथ में नहीं हो सकती। शिक्षा का बजट बुद्धिजीवी, शिक्षा विदों और प्रोफेसरों के हाथ में दो। शिक्षा नीति बनाने में न टीचर्स से न कभी शिक्षा से सम्बन्ध रखने वालों से कोई राय मांगी जाती है, न उनको कंफीडेंस में लिया जाता है और जो नीति कोई बनाता है और उसका कार्यान्वयन करने के लिय दूसरे लोगों को सौंप दिया जाता है, इससे एक बहुत बड़ा लेकुन आ जाता है। इसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए हमारी शिक्षा के गिरते हुए स्तर के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा।

बात तो बहुत हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के स्टूडेंट और विद्यार्थी को दोष दिया जाता है, लेकिन मैं यह समझता हूं, जहां तक समझ पाया हमारे यहां का विद्यार्थी, हमारे यहां ही नहीं बल्कि विश्व में एक दयनीय स्थिति का जीव है। आप कल्पना करें, जो विद्यार्थी को शिक्षा देने की बात की जाती है, उस शिक्षा को देने बात की जाती, जिसको आउट डेटेड सभी कहते हैं कि यह आउट डेटेड हो चुकी है, सार्थक नहीं है। जितने भी कमीशन आज तक बैठे उन सब की राय यही थी कि उनमें आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए यह तो विरोध पक्ष की भाषा होनी चाहिए। आपको तो कहना चाहिए कि यह कर रहे हैं। यह करने जा रहे हैं। शिक्षा के विषय में राधा कृष्ण कमीशन, मुदालियर कमीशन और एजुकेशन कमीशन आफ इण्डिया बैठे सबने अलग-अलग से किसी ने प्राइमरी शिक्षा पर किसी ने उच्च शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट दिया, शिक्षा को इन्टीगरल होल नहीं लिया। मान्यवर, आज विद्यार्थी जब इनका ज्ञान प्राप्त करता है, जो उनका स्वार्थ है जो दिलचस्पी थी वह खत्म हो जाता है। मान्यवर, आप देख लें, विद्यार्थी पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है और नतीजा आने पर वह नौकरी के लिए घूमता फिरता है और निराश हो जाता है आज यह चीज शिक्षा जगत की अभिन्न अंग बन गई हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश की क्या हालत है जितने भी शिक्षण संस्थायें हैं यूनीवर्सिटी या कालेज का दिवस 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होते हैं। विद्यार्थी जब अपने कालेज को अधिक दिन खोलने के लिए कहता है तो यह सरकार उनको उच्छश्रृखंल कहती है। मान्यवर विद्यार्थी जब इन्टरमीडिएट में आता है तो कोशिश करता है कि हमारे कालेज खुले रहें कोर्स पूरा हो। आप को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मालूम होगा कि हमारे यूनीवर्सिटी में मुट्ठीभर लोगों के कारण एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग घबड़ा जाते हैं और जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनका नुकसान होता है और कालेज या यूनीवर्सिटी बन्द कर दी जाती है और उनका भविष्य जो पढ़ने वाले हैं अंधकार में डाल देते हैं।

मान्यवर, एक चीज में यह कहना चाहता हूं कि शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में एक अलिखित संहिता होती थी कि शिक्षक विद्यार्थी को ध्यान देकर पढ़ाते थे आज यह चीज देखने को नहीं मिलती है। परीक्षा आ जाती है कोर्स पूरा नहीं होता है। सभी जानते हैं कि नकल कराते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। मान्यवर, मैं एक उदाहरण मेरठ का देना चाहता हूं। मेरठ में एक कालेज के

[श्री किरनपाल सिंह--]

प्रिंसिपल ने तय किया कि इस साल नकल नहीं होगी। ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसको सपोर्ट किया, नकल रुकी लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के बच्चों ने नकल किया। प्रिंसिपल ने रिपोर्ट किया यूनीवर्सिटी से बजाय नकल करने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के उनको नम्बर दिये और उनके मार्क्स का समायोजन कर दिया। इस तरह की परीक्षा के विषय में अशोक मेहता और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई है। उसका अध्ययन करें और उनकी सिफारिशों का इक्जीक्यूट करें। चूंकि लाल बत्ती मान्यवर, हो गई है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं।

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, शिक्षा से मानव का निर्माण होता है। शिक्षा के बजट पर चर्चा हो रही है। आज हमको पक्ष और विपक्ष का भेदभाव छोड़कर वह बात कहनी चाहिए जिससे समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, शिक्षा का हित हो। मेरे साथी अध्यापक हैं और मैं भी एक अध्यापक हूं। शिक्षा के बजट पर कटौती का प्रस्ताव जब पेश कर रहे थे तो प्रारम्भ में कि शायद श्री मोहन सिंह के नेतृत्व में कोई नया प्रेसीडेन्ट बन गये और शिक्षा के बजट को कम करने की जगह पर बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे किन्तु ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो कुछ बहुमूल्य विचार दिये वह विचार करने योग्य हैं। परन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 21 महीनों के कार्यकाल में इस सरकार ने शिक्षा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

मान्यवर, प्रबन्ध समितियां जब अध्यापकों का उत्पीड़न करती हैं तो उसके सम्बन्ध में सबसे पहले हमारे साथी ने कहा था कि शिक्षा का हम लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का किसी देश में लक्ष्य वही होता है जो राष्ट्रीय लक्ष्य होता है। हमारे देश में जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। हमारी सरकार ने सदन में पहली बार उस दिशा में 1980 में विधेयक लाकर व्यवस्था किया। विद्यालयों में शिक्षा तंत्र, उसका ढांचा इस प्रकार बनेगा जो जनतंत्रीय आधार पर होगा जिसमें किसी जाति, किसी व्यक्ति और किसी परिवार का एकाधिकार नहीं होगा। यह बात अलग हो सकती है कि जिस द्रुत गति से हमारे साथी अपेक्षा कर रहे हैं उसके अनुसार न चल पा रहे हों। लेकिन जब आपने 3 सालों में गाड़ी को पटरी से उतार दिया था तो उसको पटरी पर लाने और ठीक ढंग से शिक्षा को चलाने का दायित्व हमारा ही है।

मान्यवर, मुख्य बात शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कही गयी है। इसीलिये सरकार ने घोषित किया और स्वीकार किया है कि हम शिक्षा के राष्ट्रीयकरण द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि किसी को भ्रम हो कि अध्यापक को राष्ट्रीयकरण से कुछ सहूलियत बढ़ने वाली है तो मैं चूंकि शिक्षकों का एक प्रतिनिधि हूं इसलिय जानता हूं कि राष्ट्रीयकरण से अध्यापक को कुछ मिलने वाला नहीं है। चूंकि राजकीय अध्यापकों के बराबर ही वेतन, पेंशन, हाऊस रेन्ट और चिकित्सीय सुविधायें सब को समान रूप से दी जा रही हैं। हम राष्ट्रीयकरण इसलिये चाहते हैं कि अमीर और गरीब के बच्चों के लिये इस देश में एक तरह की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये इसीलिये सरकार ने राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ते हुये प्रभावशाली कदम बढ़ा रही है कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के चयन के लिये शिक्षा सेवा आयोग के गठन का फैसला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने लिया है और विशेष कानून हमारी सरकार ने बनाया है जो अधिनियम की शक्ल में बना दिया गया है । मान्यवर, मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि जब वह जवाब देंगे तो घोषणा करेंगे कि शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम होगा । राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में जिसकी आजादी के बाद से निरन्तर इस देश में मांग की जाती रही है । तो आयोग बनाकर जहां राष्ट्रीयकरण का मार्ग बना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जब यह अध्यादेश जुलाई 1981 में लागू हुआ तो उसके अन्तर्गत कठिनाई निवारण आदेश लागू हुआ, तो प्रबन्ध समिति से नियुक्ति का अधिकार लेने और आगे क्या होगा इसका प्राविधान किया गया है कि यदि किसी स्कूल में कोई स्थान खाली होगा तो नीचे से सीनियरिटी से वह पद भरा जायेगा । इस बात को जब मैंने पहले कहा था तो उसको नौकर-शाही ने लागू नहीं किया था । इस प्रदेश में अनेक विद्यालय आज भी ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य के स्थान पर तेरहवें स्थान का आदमी काम कर रहा है । इसका कानून बने साल भर हो गया लेकिन उसको लागू नहीं करने देते । अगर कानून को इसी प्रकार तोड़ने की बात होगी तो निश्चित रूप से जन मानस क विश्वास कानून व्यवस्था से उठ जायेगा ।

हमारी सरकार ने अनेक प्रगतिशील और क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं । लेकिन जनता पार्टी के शासन काल में नौकरशाही जो बे लगाम थी, मनमाना काम करती थी, उन कानूनों को कार्यान्वित नहीं होने दिया, उसी रूप में जिस रूप में यहां बने लेजिस्लेचर में जिस रूप में बना या ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने, जब उधर के लोग सत्ता में थे तो अध्यापकों का खून जेलों में बहाते थे और हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह स्वीकार किया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है । उस समय उधर के साथी जो अध्यापकों का खून जेलों में बहाते थे, काला कानून बना कर अध्यापकों से विद्यालय खाली करा रहे थे और वह चले गये । लेकिन हमारी सरकार ने कानून बनाकर कि अगर कोई बेरोजगार होगा, छटनी का शिकार होगा तो उसको किसी विद्यालय में समायोजित किया जायेगा । इसके लिए भी हमारी सरकार ने कानून बनाया और वह इसके लिए बधाई की पात्र है ।

अभी पिछले दिनों इस प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों के लिए अनेक क्रान्तिकारी सुविधाओं की घोषणा की है । शिक्षकों के वेतन-मान में सुधार का फैसला किया है तथा 16 साल के बाद सेलेक्शन ग्रेड देने का निश्चय किया गया है । राज्य कर्मचारियों के बराबर चिकित्सा सुविधा, हाउस रेंट की सुविधा की बात की है । किसी के मरने पर उसके एक बालक को नौकरी में लेने की बात की है । सामूहिक बीमा योजना की राशि को साढ़े बारह से बढ़ा कर 25 हजार करने का फैसला किया है । एक साथ इतने अल्पकाल में इतने क्रांतिकारी कदम आजादी के बाद से नहीं उठाये गये । इसके लिए हमारी यह सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है और मैं इस सरकार को बधाई देता हूं ।

इसके अलावा हमारे व्यायाम शिक्षा के अध्यापकों से, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि खेल-कूद का विकास करेंगे उनके वेतन में 1972 से विसंगति चली आ

[श्री पंचानन राय—]

रही थी लेकिन पहली बार उन विसंगतियों को दूर करने का निश्चय किया गया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

मान्यवर, एक मांग हमारे प्रदेश में बहुत लम्बे अर्से से चली आ रही थी कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए . . .

(व्यवधान)

एड और टैक्स्ट–बुक, पाठ्येत्तर सामग्री और पाठ्य पुस्तकें उत्पादन मूल्य पर उपलब्ध करायी जायें। इस प्रदेश के प्रकाशक और शिक्षा सहायक सामग्री को बेचने वाले कृत्रिम अभाव बता कर मूल्य बढ़ा देते थे। हमारी सरकार ने 1976 में सबसे पहले यह फैसला किया था कि पाठय पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और हिन्दी और अंग्रेजी का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन प्रकाशकों की थैली के सामने इस प्रदेश का पिछला शासन बिका और 3 साल तक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ और मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार गणित की पुस्तकों का दोबारा हुआ जब यह सरकार सत्ता में लौटी है। इसके लिए यह शासन बधाई की पात्र है इससे विद्यार्थियों को राहत मिली है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप खुद इस बात से वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में शिक्षा कार्यालय नहीं है। किराये के मकानों में दफ्तर चलते हैं। पिछली बार इस विभाग ने फैसला किया कि शिक्षा कार्यालय के लिये 20–21 जिलों का एक काम्पलेक्स बनाया जाय।

मान्यवर, अब समय आ गया है जब हमको शिक्षा के माध्यम को निर्धारित कर देना चाहिए। आज अंग्रेजी पद्धति का चलन है। अंग्रेजी हमारी संस्कृति पर चोट कर रही है। सम्पन्न लोगों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं और गरीब के प्रतिभावान बच्चे कुण्ठा के शिकार हो रहे हैं। इसलिये मैं शासन से मांग करता हूं कि कम से कम माध्यमिक स्तर तक यह अनिवार्य कर देना चाहिये कि हिन्दी ही में शिक्षा दी जायेगी।

(मेजों का थपथपाया जाना)

गरीब के प्रतिभावान बच्चे अच्छी अंग्रेजी न बोल पाने के कारण, अंग्रेजी बोल पाने के अभाव में अच्छे पदों को पाने में पिछड़ते चले जा रहे हैं और वहीं पर अमीर के बच्चे, सारी सुख–सुविधाओं से सम्पन्न लोगों के बच्चे, जो कि प्रतिभा से हीन हैं, समाज में प्रभावशाली लोगों के बच्चे, जो कि प्रतिभाहीन हैं परन्तु उसके बाद भी उच्च पदों को आसीन करते हैं। इसलिये इस प्रदेश में शिक्षा का माध्यम कम से कम माध्यमिक स्तर तक हिन्दी ही होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त अल्प संख्यक सेवारत कर्मचारी जो कि बहुत गरीब हैं उनकी जब चाहें सेवा समाप्त कर दी जाती है। इस बारे में सेन्ट जाबियर का जो फैसला हुआ था उसे लागू नहीं किया गया है। इस प्रदेश की सरकार से हमारा निवेदन है कि अल्प संख्या में काम करने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों को हाई स्कूल तक का जो जजमेन्ट हुआ था उसका पालन किया जाय।

हमारे विष्ट जी का अनुरोध है तो मैं चाहता हूं कि संस्कृत अध्यापकों को उच्च शिक्षा के संस्कृत अध्यापकों के समान ही वेतन व सारी सुविधायें दी जायं। आज भी वे विज्ञान भवन के सामने धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को उनकी मांगों को समाप्त करना चाहिये। इसके अतिरिक्त मेरी मांग है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो निराशाजनक शिक्षा का बजट आज प्रदेश के सामने प्रस्तुत किया है, इससे ज्यादा इस प्रदेश का दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता ।

मान्यवर, मंत्री जी शिक्षा को लोक पीटते-पीटते ऐसी गीता को पढ़ गये कि कोई भी प्रदेश को बताने वाली नई चीज इस सरकार के पास नहीं है । क्या अच्छा होता कि सामाजिक परिवर्तन की बात करते-करते अपने शिक्षा विभाग में होने वाला घोर अन्धकार जो है, उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी कह देते, तो इस प्रदेश का भला हो जाता ।

मान्यवर, इस विभाग में कोई सेवा नियमावली नहीं है । मान्यवर, इसके बारे में इतना काफी कहना है । अभी हमारे पंचानन राय जी बोल रहे थे और अब है नहीं, उठ कर चले गये, नहीं तो उन्हीं से कहता कि ये जो जेल हो आये हैं यह इस बात का सबूत है कि वे इस सरकार से कितना प्रसन्न है । यह तो यहां अपनी नौकरी बचाने के लिये ऐसा बोल गये और कहते रहे, तो कोई बात मुझे नहीं कहनी है । सबको अपनी नौकरी की चिन्ता है क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी बात माननीय इन्दिरा गांधी तक पहुंचेगी जिसने "हां" की है उसकी तो नौकरी बनी रहेगी, और जिसने "हां" नहीं की है, उसकी नौकरी का क्या होगा, वह तो भविष्य ही बतलायेगा ।

मान्यवर, आज अध्यापक जो हैं उनमें नये आये लोगों की प्रोन्नति हो जाती है और जो 20-20 सालों से सेवा करते चले आ रहे हैं वह आज भी अस्थायी की श्रेणी में हैं, उनको आप स्थायी भी नहीं कर पाये हैं । यह शिक्षा विभाग का ज्वलन्त उदाहरण है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम परीक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं । मान्यवर, यह कोई नई बात नहीं है । जो 1947-48 तक के विद्यार्थी रह चुके हैं, सबको मालूम है कि सबने वर्नाक्यूलर की परीक्षा पास की है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दो तरह के पर्चे होते हैं एक ही क्लास की परीक्षा के लिये । परीक्षा पद्धति में आप सुधार करने जा रहे हैं, दो तरह की परीक्षायें ले रहे हैं, एक प्राईवेट परीक्षार्थियों की ओर रेगुलर विद्यार्थियों की ।

[समय 3 बजकर 1 मिनट]

माननीय मंत्री जी के सामने यह प्रश्न बार-बार हमने उठाया है कि हमारे यहां गढ़वाल के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक हैं दो साल उनको हो गए हैं और तीन-साढ़े तीन हजार ट्रान्सफर उन्होंने कर दिए हैं । जुलाई-अगस्त में बिना सरकार की अनुमति के उपनिदेशक ने विज्ञापन दिया कि एल0 टी0 और जितने भी दूसरे अध्यापक हैं सरकारी उनका ही चयन किया जायेगा और सी0 टी0 ग्रेड में जो शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने चुनौती कर रखी है कि 5 हजार हमको दीजिए और नियुक्ति लीजिये । कोई विद्यालय वहां पर ऐसा नहीं है जिसमें गरीब कर्मचारियों की कोई सुनवाई हो । राजकीय इन्टर कालेज एकेश्वर, का एक क्लर्क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--]

है जिसका दो महीने में 5 बार ट्रान्सफर किया जाता है और बिचारा यहां से वहां घूमता है । इस तरह से इन गरीब कर्मचारियों के ऊपर इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है । मान्यवर, यही नहीं गढ़वाल तो ऐसा उदाहरण हो गया है कि गढ़वाल जिले के एक प्रशिक्षक थे उनको वहीं डी0 आई0 एस0 बना दिया गया । लोगों ने विभाग में बहुत कुछ कहा लेकिन इनके शिक्षा विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी । आप कहते हैं कि हम कानून को चलाने वाले हैं तो गढ़वाल जिले में किस कानून के अन्तर्गत यह हो गया और जब हम कहते हैं कि इसको हटा दीजिये, तो केवल मुस्कराहट के सिवा और कुछ नजर नहीं आता । यही मंत्रियों का हाल है और यही अफसरों का हाल है । आज जितने भी एप्वाइंटमेन्ट और जितने भी कर्मचारियों को ट्रान्सफर किया जाता है उसका यह एकमात्र उदाहरण है कि आज किस तरह से शिक्षा विभाग में करप्शन हो रहा है बल्कि यह कहना चाहिए कि जितना शिक्षा विभाग में करप्शन हो रहा है उतना भारतवर्ष में भी नहीं मिलेगा ।

(श्री हरदेव के कुछ कहने पर ।)

श्री गौरीशंकर भैय्या--

यह जब शिक्षा मंत्री थे तो ऐसी कोई बात नहीं थी । आपको किसी बात की कोई जानकारी रहती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह आपके जिले से आते हैं । बहुत सारी बातों की जानकारी उनको ऐसी ही हो जाती है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

आज शिक्षा विभाग में अध्यापकों के साथ जितनी धांधली है और इस प्रकार का व्यवहार शिक्षा विभाग में निरन्तर हो रहा है और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और न होगा । मान्यवर, मैं उधर के साथियों से कहना चाहता हूं कि यदि वह इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कल उनकी भी बारी आयेगी तो इस तरह की यह परम्परा बढ़नी नहीं चाहिए । शिक्षा की दिशा में मोल भाव बढ़ रहा है । शिक्षा विभाग में 1-1 आदमी का चयन रुपये लेकर किया गया । मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन प्रसंग आ गया इसलिए कहना पड़ रहा है । लेकिन प्राइवेट स्टूडेन्ट्स के लिये परीक्षा प्रश्न-पत्र अलग बनेंगे और रेगुलर स्टुडेंट्स के लिये परीक्षा प्रश्न पत्र अलग बनेंगे । अर्थात् दो तरह के नागरिक आप बना रहे ह । आप कहते हैं कि परीक्षा में कुछ नया काम कर रहे हैं, आखिर यह कौन सी परीक्षा प्रणाली है कि कुछ लोगों के लिये तो अलग प्रश्न पत्र हो उसी परीक्षा के लिये कुछ लोगों के लिये अलग प्रश्न पत्र हो । हां, यह ठीक है कि कुछ लोगों को जो परीक्षा कापियां जांचते हैं और कुछ अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिये यह एक नया काम किया जा रहा है । मान्यवर, इसको आप गर्व की बात भले ही समझते हों लेकिन मैं तो समझता हूं कि इससे बढ़ कर लज्जा की बात कोई नहीं है कि एक ही परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न पत्र दिये जायं । माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरा निवेदन है कि आप इस शिक्षा पद्धति को सुधार दें तो बड़ी कृपा होगी । इस प्रदेश में लड़कों के साथ दो प्रकार का व्यवहार हो रहा है । प्राइवेट परीक्षा देने वालों के साथ अलग

व्यवहार हो रहा है और रेगुलर परीक्षार्थियों के साथ अलग व्यवहार हो रहा ह । इससे प्रदेश के लड़कों का मनोबल गिर रहा हैं । इसको सुधारने का काम अगर आप कर दें तो बह ज्यादा उत्तम होगा ।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रान्तीयकरण विद्यालयों की बात है, वहां जितने भी अध्यापक हैं उनकी तमाम समस्यायें हैं जिनका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा हैं । सरकार के पास ऐसी कोई सूची भी नहीं है । न मालूम कितने रिटायर हो गये, कुछ को पेंशन तक नहीं दी गयी उनका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया । मान्यवर, क्या इन समस्त प्रश्नों पर क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके ध्यान नहीं देंगे ?

मान्यवर, इसके साथ ही साथ विद्यालयों की बात आयी और प्राइमरी शिक्षा की बात आयी । प्राइमरी शिक्षा के लिये तो यह सरकार क्या कोई भी सरकार हो नीचे के स्तर तक उसको स्वीकार करने को तैयार है ही, तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गयी । अध्यापकों के मनोबल को बनाने के लिये, अध्यापकों के स्तर को बनाने के लिये मान्यवर, सरकार को दृढ़ रूप से कार्य करना होगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षक संघ के शिक्षक पांच दिवसीय हड़ताल पर बाहर खड़े हैं । इसी तरह के समान योग्यता और समान वेतन के आधार पर अपनी तनख्वाह की मांग को लेकर कुमायूं विश्वविद्यालय के करीब 76 कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गयी हैं । वहां की क्या स्थिति है । माननीय मंत्री जी को चाहिये था कि इस पर भी प्रकाश डालें । उनका भविष्य क्या होगा, उनके साथ न्याय की बात क्या होगी ? आप गर्व के साथ कहा करते हैं कि अध्यापकों की तरक्की के लिये हम तमाम चीजें करने जा रहे हैं । लेकिन क्या यह गर्व की बात है कि संस्कृत के अध्यापकों को कई महीने से तनख्वाह तक नहीं मिल रही है ? आखिर यह आपकी कौन सी नीति है ? अगर संस्कृत के अध्यापकों को आप चौथी श्रेणी का नागरिक मानते हों तो बात दूसरी है, वह अलग बात है । लेकिन चौथी श्रेणी की नागरिकता में भी वे लोग नहीं आते ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय नौटियाल जी, आप अपना तजुर्बा बयान कर रहे हैं ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

मैं ज्ञान दे रहा हूं ताकि उनके ऊपर इसका कुछ तो प्रभाव पड़े । जहां तक तजुर्बे की बात ह, आपने, मान्यवर, बात छेड़ दी तो कह ही दूं । स्वर्ण पदक, स्वर्ण मैडल लेने की बात की कि हम गौहाटी से ले कर आये हैं । जो मैनेजर वहां भेजा गया उनसे रुपये ले कर लोगों का चयन किय है । ठीक है आप जीत कर आ गये मैं बधाई देता हूं । लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है । किस प्रक्रिया के अनुसार आपने चयन किया । आप उस प्रक्रिया को अगर ठीक नहीं रखेंगे तो आज किसी की बारी आयेगी कल किसी और की बारी आ सकती है । मैंने शुरू किया था अच्छे के लिए । आपने शुरू किया तो देख लीजिए । अभी दो बिलों का उदाहरण माननीय पंचानन राय जी ने दिया और कहा कि इन्होंने बनाये । आपने याद दिला दिया । वे दोनों बिल जब मैं शिक्षा मन्त्री था मैंने उस समय पायलट किये थे । उस समय हो गये । अभी तक रुके हुये क्यों हैं । जिसमें पहले निर्णय हो चुका है उसे रोके क्यों बैठे हैं । मैं जानता हूं क्यों रोके हैं । इसलिए कि कोई गुरगा नहीं मिला, जो गुरगा वहां

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--]

उसका अध्यक्ष बनेगा और रुपया दे कर चयन करायेगा। इस प्रकार के गुरगे को ढूढ़ने के लिए अभी तक इसको रोके हुये हैं नहीं तो कभी का फैसला हो गया होता। शिक्षा में इस प्रकार के लोगों को प्रवेश दिलाना, जो इसके लिए योग्य नहीं हैं, जो योग्यता नहीं रखते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा के साथ, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय में सोच लीजिए और जो उसके मेम्बर बने, अध्यक्ष बने, कम से कम वह शिक्षा जगत में जाने-माने लोग होने चाहिए जिन पर यह आक्षेप न लगे कि रुपये ले कर स्वार्थ सिद्धि से कार्य हो रहा है।

पांच दिवसीय अध्यापकों के महासंघ का बाहर कैम्प लग चुका है। पर्वतीय अंचल में हाहाकार मचा हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर सचमुच में इस प्रदेश की रक्षा करना चाहते हैं, सचमुच में इस प्रदेश का भाग्य बदलना चाहते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में एक नई नीति, एक नया पाठ्यक्रम, एक नई सूझबूझ, नई दिशा को ले कर कार्य करें। हम सब उसमें साथ देंगे। नई पद्धति, नये सिरे से विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री मेरी इन बातों पर ध्यान दे कर अविलम्ब इस पर कोई कार्यवाही करेंगे तो मैं आभारी हूंग.। इसी प्रकार से इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कहना चाहता हूं कि रुपये दे कर इस प्रदेश का और भी कुंडा क्यों कराना चाहते हैं। जो रुपया दिया था उसका तमाशा देख लिया और रुपया दे करके तमाशा क्यों देखना चाहते हैं, वरना इसमें रुपया देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आप सहित सदन के सभी सदस्यों को नमस्कार करते हुये अपनी चर्चा शुरू कर रहा हूं।

श्रीमन्, मैं आज इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था जब तक सुचारू रूप से न हो तब तक कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इस विषय पर, आपके माध्यम से पूरे सदन से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सुझाव दें, विचार करें और शिक्षा की व्यवस्था को दलगत राजनीति से अलग रख कर इसमें अपने सुझाव दें। मैं इस अवसर पर माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वे एक ऐसे शिक्षा मन्त्री हैं जिनका परिवार और स्वयं वे शिक्षा जगत में रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक सेवायें की हैं। हर चीज को वे समझते हैं। बातचीत करने पर यह मालूम हुआ कि जो हम चाहते हैं उसके प्रति उनकी पूरी जागरूकता है। यह विश्वास रखने की बात है कि अपने साधनों के अधीन रहते हुये वे शिक्षा जगत में उसी तरह से सेवा करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिये उनको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमन्, अगर मेरी बात आप सब लोग ठीक तरह से सुन लें क्योंकि मैंने कभी आरोप और प्रत्यारोप अपने किसी भाषण में नहीं किया है और न करूंगा। मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। शिक्षा के लिये 18 प्रतिशत जो आपने रकम रखा है उसके लिये धन्यवाद तो है ही लेकिन कुछ और रुपया इसके लिये चाहिए था क्योंकि शिक्षा हमारे दूर हो रही है, इसको हर युद्धस्तर पर ठीक करने की

जरूरत है । मान्यवर, बड़ा ही अच्छा रहा कि माननीय नौटियाल साहब भी बोले और भी बहुत से लोग बोले । मेरा पहला सुझाव यह है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह तय कर दें, हम आपके साथ हैं, अध्यापकों के साथ हैं, अगर सरकारीकरण के पक्ष में लोग थे और चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे, नौटियाल साहब ने भी सरकारीकरण की उपलब्धि के बारे में खूब कहा । आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा का सरकारीकरण हुआ है तो उसके बारे में क्यों माननीय सदस्य गुणगान करते हैं, रोते फिरते हैं । श्रीमन्, आज व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है । अध्यापकों के लिये कहा जाता है कि प्रबन्ध समिति उसको हटा रही है, उसको नोटिस दे रही है । (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे 2/4 मिनट अधिक दीजियेगा क्योंकि मैं इसी पर बोलता हूं और यही मेरी कमाई है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको समय तो अधिक दे दूं लेकिन घड़ी नहीं मान रही है ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सम्मान तो अपने से ही मिलता है । सरकार ने तो बहुतों को सम्मान देकर भेजा है लेकिन वे अपने आप अपमानित हुये हैं । काम होना चाहिए, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए । अध्यापकों और विद्यार्थियों के अन्दर गुरु-शिष्य का सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए । लेकिन यह कौन करे । जो गुरुजन हैं वे परिश्रम करें और विद्यार्थियों को विद्यार्थी बनायें तो हम सब सुविधा देने के लिये तैयार हैं । मैं सारे सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अध्यापक जाकर पढ़ायें और इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें । अनुशासन के सम्बन्ध में अभी किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा । अनुशासन कैसे स्थापित हो । सरकार स्थापित नहीं कर सकती । प्रबन्ध समिति से क्या हो सकता है । आप हमें यह बतायें कि प्रबन्ध समिति के पास क्या अधिकार रह गये हैं । उनके पास कोई अधिकार नहीं है । सारे अधिकार सरकार में निहित हैं । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यू० पी० की गवर्नमेंट को चलाने का पूरा मुहकमा अध्यापकों को दे दिया जाय ? मैं इसके पक्ष में हूं लेकिन वे इसकी जिम्मेदारी तो लें । लड़कों को अनुशासन में रखें । जो लड़के आज सड़कों में चले जाते हैं उनको वे रोकें । हम सब सुविधा देने के लिये तैयार हैं, हो नहीं सकता । प्रिंसिपल पड़े हुये हैं लेकिन वे अपने लड़का को सुधार नहीं सकते हैं ।

अपने लड़कों को अपनी बात नहीं बता सकते हैं, तो काम कैसे चलेगा । यह इस सरकार के वश की बात तो है नहीं । मैं सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि इस ओर सभी को विशेष ध्यान देना है । मुझे एक बात और कहनी है, विश्वविद्यालयों की बात आती है, विश्वविद्यालय के कामों में कम से कम हस्तक्षेप शासन का होना चाहिए ताकि वह अपनी नियमावली और व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा का प्रबन्ध कर सकें । दूसरी बात मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, चार अरब कितना रुपया हम उस पर खर्च कर रहे हैं अपने प्रदेश में और पूरे देश में कितना होगा, यह तो कल्पना करने की बात है । मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या हम विद्या पढ़ा रहे हैं या अविद्या पढ़ा रहे हैं ? इतनी बड़ी धनराशि खर्च करके हमने उनको केवल अविद्या या कुविद्या ही पढ़ाया है और उनके अनुशासन को खींचकर कहां से कहां

[श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी--]

कर दिया है । इस तरफ हम आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और सरकार को अच्छे-अच्छे सुझाव देने चाहिए । मैं एक बात शिक्षा मन्त्री से चाहता हूं, क्योंकि कहा है--

"अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानां तु विमानना,
मीणितत्र मविस्यंति, दुर्भिक्ष मरणं ध्रुवम ।"

कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर पूज्यों का अनादर होता है और अपूज्यों का सम्मान होता है, वहां पर दुर्भिक्ष, भय और मरण यह तीनों मिलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा ख्याल है कि जब मैंने आपको अवसर दिया, तो पूज्य का ख्याल रखा ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

श्रीमन्, इस वक्त मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से चाहता हूं कि आप अपने समय में एक काम अवश्य करें और कर भी रहे हैं कि आप संस्कृत शिक्षा को उसका उचित स्थान दें, उसको उत्तम से उत्तम स्थान दें । क्योंकि हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और उसकी जननी संस्कृत भाषा है । आप देखें कि आज संस्कृत किस अवस्था में पड़ी हुई है, एक दम मूर्छित अवस्था में यह गौरवमयी भाषा पड़ी हुई है । आज संस्कृत के पंडित, विद्वान, जो अपनी पाठशालाओं में आपकी मान्यताओं और गौरव को लिए हुए बैठे हैं, घोर उपेक्षित दशा में पड़े हुए हैं । ऐसी भाषा को समुन्नत करना अत्यन्त आवश्यक है । प्राचीन काल में संस्कृत के महत्व, प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं । एक बार राजा भोज कहीं जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक लकड़हारे को लकड़ी का बोझ लिए जाते हुए अपने कन्धे पर देखा, तो राजा ने उससे संस्कृत में यह कहा कि--स्कन्धौ वाधति । तो उस लकड़हारे ने उस पर यह कहा--स्कन्धौ न वाधते राजन्, यथा बाधति बाधते अर्थात् मुझे अपने स्कन्ध पर लकड़ी का बोझ उतना नहीं दुख रहा है जितना 'वाधति' शब्द । जो आपने कह दिया है । उसमें राजा को वाधते कहना चाहिए थ । तो एक समय में इस देश में संस्कृत का ऐसा प्रचार था । तो मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का पद दें । उत्तर प्रदेश में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बतिय ते रहियेगा संस्कृत कहां चलेगी, वह कहां से कहां चली जायेगी और हिन्दी बिखर जायेगी । जब आपको संस्कृत शब्दों की जरूरत पड़ेगी । तो आप उसे कहां से हिन्दी में लायेंगे । तो मैं अन्त में शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं । हां, एक बात इनके विभाग की जरूर कह देना चाहता हूं, कोई काम ऐसा नहीं है जो जाने पर शिक्षा मंत्री जी न कर दें, शिक्षा सचिव भी उन्हें और हमें वैसे ही अच्छे मिले हुए हैं । लेकिन जो इसके उपसचिव (उच्च शिक्षा), श्री खन्ना और शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) हैं उनके बारे में हमें शिकायत है । अब मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं । हमने एम० एस० सी० (एग्रो नामी) का प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे यहां पर एम० ए० में यह कर दिया जाय । इसी प्रकार से अपने यहां पर बी०ए० में मिलेट्री साइन्स कराने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया । उस पर एक दिन मंत्री जी ने आदेश दे दिए कि तुरन्त मान्यता दे दी जाय लेकिन वे कागज उप-सचिव के

यहां गये और उन्होंने उनको धर लिया । वे भी समझने लगे हैं कि जो कुछ काम हो रहा है, वह नीचे की मशीनरी द्वारा ही हो रहा है । हमारे शिक्षा मंत्री जी बड़े ही निष्कपट व्यक्ति हैं, उनकी सफलता भी निश्चित है, लेकिन अगर वे अपनी इस मशीनरी को दुरुस्त नहीं करेंगे तो सब काम चौपट हो जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार शिक्षा के सम्बन्ध में रखने का अवसर दिया और शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

सबसे पहले मेरा निवेदन है कि शिक्षकों के जीवन को सुधारने के बारे में जो संविद की सरकार ने, ठाकुर टी० एन० सिंह ने, जो फैसला किया था, उसकी याद दिलाना चाहता हूं । और वह यह है कि उससे इन बंधुआ मजदूरों को मुक्ति मिली थी । मान्यवर, मैं 1953 से अध्यापक हूं । हम लोगों की दशा सुधारने का काम सबसे पहले संविद की सरकार ने किया था, इस बात को शायद भाई पंचानन राय जी भूल गये हैं । आज जो हमारी शिक्षा की दुर्दशा हो रही है उसका मूल कारण प्राइमरी एजूकेशन है और उसका साथ ऐसे असामाजिक व्यक्तियों से है जिन्होंने यह व्यवस्था कर दी है जिससे प्रदेश में बड़ी ही अनुशासन हीनता फैली हुयी है । एक बार द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है । तो उसने उत्तर दिया कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं । तो उसके गुरु ने एकलव्य को आदेश दिया कि अगर मुझे गुरु मानते हो और पहचानते हो तो अपना अंगूठा काट कर दे दो । इस पर उसने कहा कि यद्यपि मैंने आपसे तो शिक्षा नहीं ली लेकिन आपकी मूर्ति से अवश्य ली तो भी मैं अगूठा दूंगा । तो उसने अपना अंगूठा ऐसे गुरु तक को दिया जिसने मूर्त रूप में शिक्षा नहीं दी । तो वह एक सही शिक्षा का परिणाम था । वर्तमान शिक्षा का दोष किसके ऊपर है ? एक मात्र देश की व्यवस्था पर है जिसने उन्हें शासन में बिठा दिया है और आज भी शासन करने की साजिश कर रहे हैं ।

प्राइमरी एजूकेशन के बारे में हमारी सरकार कहती है कि हमने इसको फ्री कर दिया है । आज छोटे-छोटे गांवों में भी नरसरी स्कूल चलाये जा रहे हैं जिनमे 5-5 रुपया फीस लगती है । आपके संरक्षण में देवरिया जनपद में एक जीवन मार्ग स्कूल है जिसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि 4 एकड़ 62 डिसमल जमीन एलाट की गयी । उसको मान्यता दी और उस जमीन पर भवन बनाने के लिए पैसा भी दिया और दूसरी ओर आंसू बहाये जाते हैं कि गरीब बालकों को शिक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं । होता यह है कि एक के लड़के तो ऐसी जगह पढ़ेंगे जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है और जहां पर बड़े-बड़े एयर कन्डीशन्ड कमरे होंगे, मोटर्स होंगे, पिकनिक्स की सुविधायें होंगी पुस्तकें होंगी और दूसरे के बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे जहां पर टाट पट्टी तक भी न होगी ।

श्री हरदेव--

क्या माननीय रुद्रप्रताप सिंह जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे कभी विद्यालय से भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गये थे ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

वर्ष 1953 से 80 तक मैं उस स्कूल में मास्टर और प्रिंसिपल रहा हूं और एक भी आरोप मेरे जीवन में नहीं लगा है, अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप सत्य साबित हो जाये तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा में इन्होंने एक और 40 का रेशियो रखा है, 40 बच्चों पर एक टीचर । एक टीचर कैसे 40 बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि यह रेशियो एक और 25 का होना चाहिए । ऐसे बहुत से बी० टी० सी० अध्यापक हैं जो बेकार हैं, उनको रखा जाये ताकि स्कूलों में पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके ।

जो स्कूल पैसा लेकर पढ़ाते हैं उनको मान्यता न दी जाये । मैं तो चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आप ऐसे स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दें जो स्कूल पैसा लेकर पढ़ाते हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर हमारे यहां जो यह पुस्तिका बटी है, इसके अनुसार हाई स्कूल बालकों के 4,598 हैं और बालिकाओं के स्कूल 812 हैं । छात्रों की संख्या 26, 89, 379 है और छात्राओं की संख्या 8,66,809 है । इस प्रकार से अगर देखा जाये तो 30 प्रतिशत को ही यह सरकार शिक्षा दे पा रही है । श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम यह सरकार हर वक्त जपा करती है, जिस देश की प्रधान मंत्री एक महिला हो, वहां पर शिक्षा बालिकाओं की केवल 30 प्रतिशत हो, यह कितने शर्म की बात है । छात्राओं के केवल 812 स्कूल हैं, जबकि छात्रों के 4,598 हैं । हमारी मां-बहिनों ने क्या गुनाह किया है जो उनकी शिक्षा की ओर इस सरकार का ध्यान नहीं है ।

जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, केवल बैठे रहने के और खाने और सोने के ।

(व्यवधान)

मैंने एक विद्यालय की मान्यता के लिए प्रार्थना-पत्र दिया, उसका कुछ नहीं हुआ, आपको उसे मान्यता देना चाहिए

(व्यवधान)

महिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होने के नाते हम उनसे बात भी नहीं कर सकते डरते हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, कहीं उल्टे कोई आरोप न लगा दें । इसीलिए उनसे बात भी नहीं कर पाते ।

(व्यवधान)

(हंसी)

मान्यवर, यहां एक मान्यता समिति है जो मान्यता देती है । इसको समाप्त कर देना चाहिए, इस समिति की आवश्यकता नहीं है । यह समिति जिसको चाहती है उसको मान्यता देती है जिसको नहीं चाहती नहीं देती है । कई-कई बार लोगों तोचक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी काम नहीं होता । आप इस समिति को भंग

कर दीजिये और यह सारे अधिकार आप अपने शिक्षा सचिव को दे दें, वे बहुत ही ईमानदार हैं, वे जिसको चाहें मान्यता दें, जिसको न चाहें न दें। मान्यता देने का अधिकार आप अपने शिक्षा सचिव को दे दें।

आप ग्रान्ट दें या न दें, लेकिन मान्यता की शर्तों में आप कड़ाई करें। मान्यता देने की बात आप करें। अभी अपने संस्कृत विद्यालयों की बात कही थी। हमारे जनपद में भवानी छापर संस्कृत विद्यालय है। 78 हजार रुपया उसको सालाना ग्रान्ट मिलती है। वहां पर अध्यापक और लड़के नाम की कोई चीज नहीं है। अगर हैं तो मैनेजर नाम की चीज है जो ग्रान्ट लेते हैं। इसकी इन्क्वायरी करा लीजिये, तो आपको मालूम हो जायगा। अभी तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 25 हजार का बीमा कराने की बात अध्यापकों के बारे में आपकी सरकार सोच रही है।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसे रेलवे में है, अगर कोई कर्मचारी अपनी सेवा से दो वर्ष पूर्व रिटायरमेन्ट ले लेता है और अपने सयाने क्वालीफाइड लड़के की उस पद के बदले में दे देता है, तो उसी तरह से उसका लड़का अगर क्वालीफाइड एम0 ए0, बी0 ए0, बी0 एड0, है और जब वह सेवा से मुक्ति पा जाता है और अपने लड़के को चाहता है कि वह योग्यतानुसार सेवा में हो जाय, तो उसके बदले में नौकरी मे आ जायें, तो उसको अवसर दे दिया जाना चाहिए। अब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं विज्ञान की शिक्षा की तरफ। बार-बार हमारे शिक्षा मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐसा कहते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है। लेकिन बिना विज्ञान व कृषि के किसी का काम नहीं चल सकता है। मुझे देवरिया जनपद का ज्ञान है, आजगढ़ का भी ज्ञान है। मान्यवर, हमारे इलाके में 35 किलो मीटर के अन्दर कोई ऐसा इन्टरमीडिएट कालेज नहीं है, जिसमें कृषि और साइन्स पढ़ाया जाता हो। धन्यवाद है आपकी सरकार को, कि आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया के लोगों ने 5-5 हजार रुपया देकर प्रवेश किया और उसी डिग्री कालेज में जा कर आपने चाय पानी किया। मुझे भी निमन्त्रण मिला था, मैं मारे लज्जा के नहीं गया। उसमें 5-5 हजार रुपया लेकर ऐडमिशन लिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश के एक एम0 एल0 ए0 यहां आये और माननीय मन्त्री जी से मिले। राजस्व मन्त्री जी से चिट्ठी ले कर गये डी0 एम0 के पास, डी0एम0 ने कहा कि ऐडमिशन हो जायगा। लेकिन व्यवस्थापक और प्रेसीडेन्ट ने 25 हजार रुपया उनसे डोनेशन ले लिया लेकिन बाद में जब सब लोग जान गये, तो वापस कर दिया और बैंक डोर से फिर प्रिंसिपल और कमेटी ने एडमिशन करके फिर 25 हजार रुपया ले लिया और लाखों रुपया देवरिया में ऐडमिशन में लिया गया, बी0 एड0 और बी0 एस0 सी0, ए0 जी0 के ऐडमिशन में। वी0 आर0 डी0 स्नातकोत्तर महा विद्यालय देवरिया में अभी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, जिसको चाहा है ऐडमिशन कर दिया है। इसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये। 10 करोड़ रुपया वी0 एस0 सी0 ए0 जी0 और बी0 एड0 के प्रवेश में उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट ने लिया है। अगर इसमें झूठ हो, तो मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। भाटपार रानी में मदनमोहन स्नातकोतर महा विद्यालय में यदि बी0 एस0 सी0 एग्रिकल्चर खुले तो यह स्मगलिंग देवरिया में बन्द हो सकती है।

परीक्षा की बात में कहना चाहता हूं। जूनियर हाई स्कूल परीक्षा भी आप करा रहे हैं। बताइये कि लड़का शुरू से ही नकल का रिहर्सल करने लगेगा। मैं तो जानता हूं कि डायरेक्टर और शिक्षा निदेशक ने यह अक्ल नहीं दिया होगा

[श्री रुद्र प्रताप सिंह—]

बल्कि किसी रजिस्ट्रार वगैरह ने दिया होगा। मैं तो यह कहूंगा कि इसको आप तुरन्त बन्द कराइये। हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षा साथ-साथ कराइये और जो यह परीक्षा व्यक्तिगत और रेगुलर अलग-अलग हो रही है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। अनेक कालेजों का रिजल्ट कम्प्यूटर सिस्टम की वजह से गलत निकला, बाप, बेटा हो गया और बेटा बाप हो गया। मैं आपके बजट का घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कम से कम आप यह काम करें कि इस साल जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा बोर्ड से न करावें और बी० आर० डी० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज की जांच करवा लें।

*श्री भोला पान्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, शिक्षा मनुष्य को उसकी सामाजिकता की तरफ, उसके उत्तरदायित्व की तरफ और स्वस्थ जीवनो पार्जन की तरफ ले जाने में उपदेशक होता है। शिक्षा मानव जीवन को विकास के रास्ते पर एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने का काम करती है और इस प्रक्रिया में, इस शिक्षा में जो इस प्रदेश के विद्यार्थी समाज को, शिक्षक समाज को एक प्रगतिशील रूप-रेखा तैयार करके जो बजट रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय मन्त्री जी को मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देना चाहता हूं। कटौती का प्रस्ताव मैं श्रीमन्, सुन रहा था और एक तरफ शिक्षा की प्रगति नामक पुस्तक भी मुझे पढ़ने को मिली। मुझे खुशी हुई कि जो प्राइमरी एजूकेशन है, उसके ऊपर इस बजट का अधिकांश पैसा खर्च करने का प्रारूप तैयार किया गया है। यह भी पढ़ने को मिला कि डेढ़ किलो मीटर की दूरी पर अगर प्राइमरी स्कूल नहीं है, तो वहां पर खोलने का प्राविधान किया जा रहा है।

मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक अपने नौकरशाही के ऊपर, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रभुत्व का ध्यान रखते हुये, जब तक अपने प्रशासन पर निगरानी नहीं रखेंगे, तब तक इस राजाज्ञा की अवहेलना हमेशा होती रही है और होती रहेगी। दूसरी बात श्रीमन् जी, विरोधी पक्ष के लोगों के द्वारा सुनने को मिली प्रबन्ध समिति के भ्रष्टाचार के बारे में, कोई भी व्यक्ति इससे इन्कार नहीं कर सकता कि कोई ऐसी ताकत नहीं है कि इससे इन्कार कर सके कि प्रबन्ध समिति में व्यापक भ्रष्टाचार की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि पहले 80 प्रतिशत सरकार खर्च करती थी और 20 प्रतिशत प्रबन्ध समिति खर्च करती थी और अब तो पूरा का पूरा सरकार खर्च वहन करने लगी है। शिक्षा में कौन सी आखिर परेशानी आ जा रही है? पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया है। मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में उतनी ही न्यायसंगत शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना होगा, जितना कि और प्रदेश में माना गया है। दूसरी बात जो सुनने को मिली है कि जो शिक्षकों के ऊपर विरोधी पक्ष के जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वह मुझे सुनने को मौका मिला है। शिक्षकों को जो प्रतिष्ठा कांग्रेस सरकार ने दिया, वह तीन वर्ष के अन्दर लोक दल और जनता पार्टी की सरकार ने उसको खत्म किया। मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं और पूरे प्रदेश की जनता से कि शिक्षकों को केवल समाज के अन्दर सम्मानजनक संज्ञा देने की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि उनकी आने वाली भावी पीढ़ियों में बनी दृष्टि से विचार कर रही हैं। इसलिए वह बधाई के पात्र हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में माननीय मन्त्री जी से एक बात कहना चाहता हूं जो प्रबन्ध समिति के बारे में ह और आपके विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में है। लगभग डेढ़ वर्ष हो गया कि माननीय मुख्य मन्त्री के आदेश से सुदिष्ट बाबा इन्टर कालेज, रानीगंज, बलिया में रिसीवर नियुक्त करने की राजाज्ञा गयी हुयी थी, परन्तु माननीय मुख्य मन्त्री के आदेश के बावजूद भी आज तक उस कालेज में रिसीवर नहीं नियुक्त हो पाया जब कि सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी कि वहां पर रिसीवर नियुक्त करना है। मैं नहीं जानता कौन सी राजनीतिक अड़चन, कौन सा व्यवधान आ रहा है।

विद्यार्थी की कोई जाति नहीं होती है न कोई बिरादरी होती है। छात्र संघ और उनकी एकता ही उनकी जाति हुआ करती है। पूरे प्रदेश के अन्दर छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। अनुशासन पैदा करने के लिये, छात्र संघ की गरिमा और जो पूजा की स्थली है उसकी गरिमा के लिये तत्काल चुनाव कराया जाना चाहिये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जनता पार्टी के शासन के दरम्यान विश्वविद्यालय और कालेजों के अन्दर जो छात्र जागरूक थे, उनके प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय जो विद्यार्थी प्रतिभावान हैं, जो कुछ बन सकता है, प्रवेश न देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया। आप देखें अब तो कांग्रेस पार्टी का शासन है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय छात्र संगठन के श्री श्याम किशोर शुक्ला का ऐडमिशन न लेने का फसला जनता पार्टी ने लिया था। इसको समाप्त करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, ब्रह्मचारी जी ने कहा और बहुत से लोगों ने कहा संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, चाहे वह हिन्दी हो, चाहे अपभ्रंश हो, सब की जननी संस्कृत है। मेरी मांग है कि जो हिन्दुस्तान की विरासत है उसे द्वितीय राष्ट्र भाषा बनाया जाय। मेरी पुरजोर मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से। मान्यवर, यह सरकार इसलिए बधाई की पात्र है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान जो अध्यापकों की छटनी की जाती थी इस सरकार ने यह योजना बनायी कि जो अध्यापक छटनी से निकाले जायेंगे उनको कहीं न कहीं समायोजित किया जायेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने विधेयक बना दिया, सरकार ने योजना बना दी लेकिन आपकी नौकरशाही ने उल्टे तरीके से उसका कार्यान्वयन करना शुरू कर दिया और सारी जगहों पर छटनी हो रही है। आज उनके समायोजन करने की कोई योजना आपके अधीन नहीं है। श्रीमन्, इस छटनी से जो बेरोजगार हो जायेंगे उनको बचाने के लिए न्याय संगत होगा अगर शिक्षा विभाग से जितने भी अध्यापक छांटे जायं उनको कहीं न कहीं समायोजित करने की एक व्यावहारिक योजना आप बनायें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां नकल हुआ करती थी लेकिन वहां पर रेडिकल चेंज हुआ और नकल को रोका गया। मैं नहीं कहता कि विश्वविद्यालय और कालेजों के परिसर पर पुलिस चौकी बना दी जायं। लेकिन इतना कह सकता हूं अगर विद्यार्थी परीक्षा हाल में नकल करता है तो उसके अन्दर आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके कारनामें और उनके तहत आपके विभाग के जो क्रिया–कलाप हैं उनको भी देखा जाय, उनकी जांच की जाय।

[श्री भोला पाण्डेय---]

श्रीमन्, सी० बी० आई० ने यह रिपोर्ट दिया और माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने रिपोर्ट दिया कि इन-इन जगहों पर परीक्षा के सेन्टर नहीं बनाये जा सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उन्हीं जगहों पर एक हफ्ते पहले सेन्टर बनाने की घोषणा कर दी गई है ? यदि परीक्षाओं में धांधली को रोकना है तो इन सेन्टरों को आप बदल दें ।

मान्यवर, प्रबंध समिति के सम्बन्ध में मैं मांग करता हूं कि बलिया जनपद में सतीश चन्द्र महाविद्यालय है जहां 4 प्रिंसिपल कार्यरत हैं । वहां के सेक्रेटरी, जो एम० एल० ए० रह चुके हैं, को मान्यता दी गई है कि आप सारे कार्य कर सकते हैं । लेकिन वहां जिलाधिकारी और राजनैतिक दबाव के कारण ऐसी परिस्थिति है शिक्षा व्यवस्था वहां सुचारु रूप से नहीं चल सकती है । यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है । मान्यवर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में और भी कई प्रबंध समितियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आजकल विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस छावनी बनाई जा रही है, छात्रों को अव्यवस्थित ढंग से वहां रखा जाता है जिससे छात्रों में हीन भावना व्याप्त हो रही है, इसलिए मंत्री जी विश्वविद्यालयों और कालेजों को पुलिस छावनी न बनाया जाय ।

अंत में मैं मान्यवर, प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और शिक्षा मंत्री की सेवा में उच्चारण कर रहा हूं--

खून पसीना किया बाप ने एक जुटाई फीस,
आंख निकल आयी पढ़-पढ़ कर नम्बर पाये तीस ।
शिक्षा मंत्री ने सिनेट से कहा अजी शाबाश,
सोना हो जाता हराम जो ज्यादा होते पास ।
फेल पुत्र का पिता दुखी है, सर धुनती है माता,
जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता ।

यह नागार्जुन की कविता है जिसको आज भी कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा ।

श्रीमन्, हमारे शिक्षा की आज जो हालत हो गई है, उसमें विश्वविद्यालय का परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो कहता है कि हमारे एक जानवर ने कहा है कि जल्दी आना । हमने कहा वह कौन जानवर है तो उसने कहा कि जो परीक्षा लेंगे, इक्जामिनर । तो अब इक्जामिनर के लिये जानवर शब्द हो गया है ।

मान्यवर, कक्षा 5 तक के छात्रों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन छात्रों से भारी बस्ते ढुलाना आप बंद करें । शुद्ध लिखना और शुद्ध उच्चारण करवा कर सिखा दें, तीन 'स' जो होते हैं उनको विद्यार्थी को सिखा दें, ह्रस्व

और दीर्घ की शुद्ध मात्रायें सिखा दें तो बड़ी कृपा होगी। आपकी हालत यह है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के डीन आफ दि फैकल्टी आफ आर्ट्स से मेरी मुलाकात हुई। उनसे जब मैंने बात की तो मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि उसके द्वारा पढ़ाये गये विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं बल्कि मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि डीन साहब को जानकारी नहीं थी कि मैं जो कह रहा हूं वह बात सही है कि गलत।

घाट से पकड़कर लोगों को ले आते हैं और विश्वविद्यालय में एप्वाइंटमेंट दे दिया जाता है, जैसे हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में भट्ट जी को ले आये। 70 साल की उनकी उमर है। उनसे एक कागज इलेक्शन कमीशन को लिखाया था कि हमारे यहां चुनाव बंद कर दिया जाय, बहुगुणा जी का, विद्यार्थियों को इस चुनाव की वजह से बाधा पड़ेगी, इसलिए उनको लाया गया। माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर गढ़वाल के चुनाव में, बहुगुणा जी के चुनाव में विद्यार्थियों से बाधा पड़ी तो आज पूरे प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की परीक्षायें होने जा रही हैं। चारों तरफ लाउडस्पीकर बज रहे हैं। मैं हर शहर की बात आपको बता रहा हूं, कहीं पर लाउडस्पीकर बंद नहीं है। यह चुनाव का समय नहीं है बच्चों के इम्तहान का समय है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप एक वायरलेस भिजवायें और जो यह डिस्टरबेंस हो रहा है पूरे प्रदेश में उसको बंद करवाने की कृपा करें। मेरे भाई भोला पांडेय जी ने जो बात कही है कि शिक्षा का जनवादीकरण किया जाय और शिक्षा संस्थाओं के अंदर विद्यार्थियों की यूनियन्स को पुनः नियमित किया जाय और चुनाव कराये जायं। मैं उनकी इस बात का तहेदिल से समर्थन करता हूं। श्रीमन्, विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं के अंदर पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है इम्तहान के लिए। यह विचार एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री श्री सी0पी0 रामास्वामी अय्यर के हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि आप विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र में पुस्तकें लेकर जाने की आज्ञा दीजिये तो नकल बंद हो जायगी। आज तो हालत यह हो गई है कि इक्जामिनेशन हाल में बैठे हुए विद्यार्थी इनविजीलेटर को छूरा दिखाकर बुलाते हैं और कहते हैं कि जरा देखिये इस किताब में इस सवाल का उत्तर कहां पर लिखा है। आप पुस्तक लेकर इक्जामिनेशन हाल में विद्यार्थियों को जाने की इजाजत दे दें तो जिस बच्चे ने साल भर पढ़ा नहीं होगा वह जवाब ढूंढ़ने में रह जायगा।

चूंकि आज शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है इसलिए आज वन अवर विफोर इक्जामिनेशन, जैसी किताबें छप रही हैं। इनको बंद कराइये। सब तरह के विधेयक यहां पर आ जायेंगे लेकिन इस तरह का एक छोटा सा विधेयक नहीं आयेगा जिससे ऐसी पुस्तकें बंद की जायें। इसके अलावा जो गेस पेपर होते हैं उनको बंद किया जाय। मान्यवर, दीदी जी ने मंत्री जी को चार्ज दिया था। दीदी के जमाने में यह विभाग होम साइंस बना दिया गया था। तो अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां गढ़वाल में, पर्वतीय प्रदेश में पिछली सरकार ने यह तय किया था कि एक पृथक पर्वतीय कैडर लागू किया जायगा। आज आप भी बोल रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये पृथक् कैडर लागू करेंगे। अगर आप किसी बहुत दूर के निवासी को उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ के दूरस्थ ग्राम में एप्वाइंटमेंट देते हैं तो वह वहां जाता है और जाकर ज्वाइन करता है और लखनऊ आता है तथा 5, 7 हजार रुपया खर्च करके ट्रांसफर करा लेता है। लिहाजा हमारे पर्वतीय प्रदेश के अंदर

[श्री विद्या सागर नौटियाल---]

तमाम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के सैकड़ों पद खाली हैं। जो अध्यापक इन पदों पर थे वे यहां चले आये और उनकी जगह पर नयी नियुक्तियों में, जैसा कि शिवानन्द नौटियाल जी ने कहा, वहां पर 5, 5 हजार रुपये की मांग की जा रही है। आप विद्यार्थियों को आप इलाहाबाद बुलाते हैं, लखनऊ बुलाते हैं। हमारे विद्यार्थियों की हैसियत नहीं है कि वे इलाहाबद और लखनऊ दौड़ सकें। आप पहाड़ के विद्यार्थियों को पहाड़ के अंदर बुलाकर वहां सेलेक्शन कीजिए। मुसीबत मां-बाप को होती है, वे अपने खेत रेहन रखकर बच्चों को भेजते हैं, और ट्रेंड नौजवानों को घर में बेकार बैठना पड़ता है।

जिस समय यह सरकार कायम हुई थी, आपने हमारे जिले में बी० टी० सी० के स्कूल बन्द करा दिया। मैंने दीदी से कई बार कहा परन्तु उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत दिनों के बाद बी० टी० सी० का स्कूल खोला गया। अब आपने वहां के बेसिक स्कूलों के लिए 150 अध्यापक बाहर से बुला लिए। आपने ऐसे बाहर से आये हुए 150 अध्यापक आपने नियुक्त कर दिए वहां पर। अब अगले साल के लिए फिर आप वहां पर बी० टी० सी० के क्लासेज को बन्द करने जा रहे हैं। तो आपकी शिक्षा में अन्य विभागों की तरह यही अराजकता है। यहां मैदानी क्षेत्रों में बी० टी० सी० पास अध्यापक को काम नहीं मिलता है। आपको पता ही नहीं है कि हमारे कितने बी० टी० सी० छात्र बेकार घूम रहे हैं, जो स्कूल हम खोल रहे हैं उसके लिए कितने नये अध्यापकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, कितने अध्यापक उस वर्ष पेंशन प्राप्त कर लेंगे जिसके अनुरूप आप बी० टी० सी० की शिक्षा लोगों को दे सकें। आपको स्वयं ही इसका ज्ञान नहीं है और न इसके लिए आप प्रयत्नशील हैं।

मान्यवर, हमारे यहां एक स्पोर्ट्स कालेज है। माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां के प्रिन्सिपल 16 जनवरी से 31 जनवरी तक छुट्टी पर रहे। 2 फरवरी को त्रिजुगी नारायण पान्डेय ने तनख्वाह ड्रा की। उन्हें तनख्वाह ड्रा करने का कानूनी अधिकार नहीं था। पर वहां के प्रिन्सिपल ने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। इसी तरह से एक फर्म है मान्यवर, ईगल स्पोर्ट्स के नाम से। इसके जरिये से लाखों रुपये का सामान खरीदा गया है स्पोर्ट का। जब इस फर्जी फर्म के बारे में यहां पर विधान सभा में सवाल आया तो मान्यवर, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और एक नया बोर्ड लगा लिया। यहां लखनऊ में ही लालबाग, यदि कभी आप जायं तो आप भी नयनाभिराम दृश्य देखेंगे कि वहां पर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। इसकी एक तरफ तो लिखा हुआ है कि "को-वर्कर स्पोर्ट" और दूसरी तरफ लिखा हुआ है "ईगल स्पोर्ट"। मान्यवर, दोनों फर्म बोगस हैं और शिक्षा विभाग इनके द्वारा ही सामान खरीदता है। स्पोर्ट के एंग्लो इंडियन स्कूल के जो इंस्पेक्टर हैं, वे मंत्री जी के बहुत निकट हैं ऐसा उनका कहना है। जिस दौरान माननीय मंत्री जी के पुत्र की शादी थी, उसी दौरान इंस्पेक्टर साहब इलाहाबाद में अपने घर पर थे परन्तु उन्होंने उस दौरान का टी० ए० चार्ज कर लिया और लिख दिया कि उस दौरान वे पर्वतीय क्षेत्र के दौरे पर थे। ये श्रीमान जो ढाई हजार रुपया माहवार अपने टी० ए० का प्रतिमह लेते रहते हैं और वे महीने में आधा दिन अपने दफ्तर में नहीं रहते। हमें इस बात का पूरा पता इसलिए है कि हमारे जो सैनिक स्कूलों के बच्चे हैं वे जब प्रदेश के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनकी टी० सी० पर जब तक उनके हस्ताक्षर न हों तब तक अन्यत्र, प्रदेश से बाहर उनकी मान्यता नहीं होती है। तो उनकी अनुपस्थिति के कारण सैनिकों की ओर से मांग हुई कि उनके यहां इस तरह से गड़बड़ हो रही है, इसे ठीक किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि वे मेरी बातों पर ध्यान देकर हमें कृतार्थ करें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

जनाबेआला, मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे शिक्षा मन्त्री के 1982-83 के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया है। मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश का दिल है और मध्य क्षेत्र पुराने लखनऊ में है, वह लखनऊ में है, वह लखनऊ का एक दिल है। मान्यवर, जहां तालीम की हालत, खास करके बेसिक स्कूलों की हालत तो बहुत ही खराब है, इसलिए उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लखनऊ में जहां मदरसा फुरकानियां, नदवां कालेज, मदरसा नाजमियां जो कि दिल में बसा हुआ है और जिनके प्रबन्धक आज भी विश्व की सभाओं की रहनुमाई कर रहे हैं। वे इलाके भी इतने पिछड़े हुए हैं जिनकी ओर हमारी सरकार को सोचने की जरूरत है।

बेसिक स्कूलों की इतनी दुर्दशा है कि लगभग 50 फीसदी स्कूलों की बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, टाट-पट्टियों का कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारी सरकार ने जो रुपया नगरमहापालिका को दिया था, एक साल गुजरने को है, वह रुपया ज्यों का त्यों पड़ा है। इसमें भी सोचने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में शाहमीना रोड पर बालिकाओं का हाई स्कूल 20 साल से है लेकिन वह इन्टरमीडिएट नहीं किया जा सका। योगेश्वरमठ बाल विद्यालय है, हम लोग दौड़ते-दौड़ते थक चुके हैं लेकिन अनुदान नहीं दिया गया। अतः इनकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाये। इसके साथ-साथ और स्कूल खोले जायें। बजट में भी हमारे क्षेत्र की तरफ कोई हौसला-आफजाई नहीं की गई है। हमारी सरकार व पार्टी ने जो वायदा उर्दू के सिलसिले में किया है, हिम्मत करके उसको पूरा करें।

मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आर0 आई0 जी0 एस0, शारदा अरोरा के भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें हैं। पिछले साल एक दर्जन से अधिक शिकायतें की थीं और मंत्री जी ने जांच-पड़ताल भी कराई थी जिसमें 6 नियुक्तियां उन्होंने निरस्त कर दी थीं जिसका कोई एडवरटाइजमेन्ट नहीं किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में अब कार्यवाही की गई है और इन नियुक्तियों को गलत करार दिय गया। लेकिन इसके बावजूद वह आज भी अपनी जगह पर जमीं हुई हैं। सी0 टी0 ग्रेड की 15 जगहें खाली हैं, वह अभी तक भरी नहीं गई हैं। दो-तीन बार टीचरों को बुलाया गया है, जनता की ओर से बराबर हमको शिकायतें मिल रही हैं। टी0 ए0 बिल्स 6-6 महीने पड़े रहते ह। मैं कहूंगा कि इनकी जांच कराई जाये और जिनकी वजह से यह पड़े रहते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। उनका ट्रांसफर भी मंत्री जी ने इन शिकायतों के बारे में, 11-2-82 को कर दिया था लेकिन कुछ अधिकारी उनसे मिले हुए हैं और बराबर वह उसकी मदद कर रहे हैं। जो भी शिकायत हम लोग भेजते हैं रातों-रात उन तक उसकी फोटोस्टेट कापी पहुंचा दी जाती है। इनके मदद करने वालों में से मान्यवर एक हैं, श्री गणेश शंकर चौधरी,

[श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—]

विशेष सचिव, शिक्षा, एक हैं श्री सी० एस० कोठारी, डीलिंग सहायक, शिक्षा निदेशक । अनुभाग, श्री बी० के० खन्ना, पी० ए०, शिक्षा निदेशक, श्री कान्त मिश्रा सहायक शिक्षा निदेशक, जो उसकी दिन-रात मदद कर रहे हैं और शासन के फैसले को खटाई में डाले हुए हैं । मुझे खेद कि कोई सूचना कोर्ट को नहीं पहुंचाई जाती है, सरकारी वकील खड़े रहते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, कोर्ट से स्टे मिल जाता है । यह बड़े खेद का विषय है, मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्ट अधिकारियों की मदद कर रहे हैं, कार्यवाही करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त इनके एक ही जगह रहने से जो आफिस के लोग हैं उनको शक है कि उनके ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको बराबर निकालने की कोशिश कर रही हैं और अपनी जगह पर बराबर बनी रहने के लिए माननीय मंत्री जी पर दबाव डाला जा रहा है । लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी किसी भी हालत में दबाव में नहीं आयेंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जिसे स्टे मिला हुआ है, उनको लखनऊ में किसी दूसरी जगह नियुक्त कर उनको सस्पेन्ड करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें । मैं आशा करता हूं कि इस ओर जरूर ध्यान दिया जायेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही करेंगे । इन शब्दों के साथ में इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं । धन्यवाद ।

श्री गौरीशंकर मैय्या—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें शिक्षा बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । तथा होली की भी बधाई देता हूं । मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं, इसके पहले मैं कह देना चाहता हूं कि यह प्रदेश की परम्परा रही है कि हमेशा कोई शिक्षाविद्, अध्यापक, लेक्चरर प्रदेश का शिक्षा मंत्री हुआ करता था लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो मैनेजमेन्ट का रिप्रेजेंटेटिव है और जिसका शिक्षक संघ विरोधी है, आज प्रबन्ध समिति को हटाने के लिए सड़कों पर लड़ाई चल रही है उसी का प्रतिनिधि आज शासन की तरफ से शिक्षा मंत्री बना हुआ है और मैनेजमेंट को मजबूत बनाने का काम कर रहा है इसके लिए मैं माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को बधाई देना चाहता हूं ।

शिक्षा के सम्बन्ध में दो तीन बातें बहुत कही जाती हैं । एक तो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का मामला उठाया जाता है और कहा जाता है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए । बड़े लोग तो अपने लड़कों को ऐसी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाते हैं जिससे निकल कर वे जन्म जन्मांतर उसी में लगे रहें । मेरे ख्याल से राष्ट्रीयकरण की दिशा में शासन शक्ति लगा कर कौन सा नया विकल्प शिक्षा पद्धति में निकाल सका है । शासन की अपनी पूरी शक्ति राष्ट्रीयकरण में न लगा कर उसका कोई विकल्प खोजने की दिशा में लगाये जाना चाहिए ।

दो तरह की शिक्षा पद्धति पर जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित है, उससे मैं अपने को जोड़ता हूं । जहां के लड़के शासक बन कर निकलते हैं वे तो कमरे में, पंखे के नीचे कुर्सियों पर बैठ कर शिक्षा ग्रहण करते हैं और दूसरी पद्धति वाले टाट पट्टी पर बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाद में अपनी किस्मत से टाट-बोरी आदि ढोने का ही काम करते हैं । इनके लिये दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है कि कुर्सियों पर बैठने वाले उनको कुचला करें और वे उसको बर्दाश्त

करते रहें । अगर माननीय मंत्री जी में हिम्मत हो तो वे इस तरह से संविधान को कुचल कर घोषणा करें कि प्राइमरी स्कूलों में जो लड़के पढ़ते हैं केवल उन्हीं में शिक्षा दी जायेगी और किसी दूसरी शिक्षा संस्था को हम चलने नहीं देंगे । एक पुस्तिका सरल भारती नामक सरकार की तरफ से निकली है, उसी संदर्भ में उसके कुछ हेडिंग्स आपको पढ़ कर सुना देता हूं । पाठ 5वीं में आया है गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है । यह जनसंघ का नारा रहा है । दूसरी बात में कहना चाहता हूं, जो हां, पाठ्य क्रम में है, पाठ नं0 9 में कहा है, आप की नीति का ये पालन कर रहे हैं, कुत्ता बहुत वफादार जानवर है । वह घर की रखवाली करता है तथा अपने मालिक को अपना भगवान समझता है । शिक्षा डाइरेक्टर कुत्ते की भाषा समझ रहे हैं, बच्चों की भाषा समझें या न समझें । पाठ नं0 13 में सबसे आब्जेक्शन वाली बात है । उसमें है हिन्दू, सिक्ख, ईसाई । इसमें मुसलमान गायब कर दिया गया है । आज तक पढ़ते थे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई । शिक्षा मंत्री जी पढ़ा रहे हैं भारत देश में रहने वाले, हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, उत्तर में हों या दक्षिण में हों आपस में हैं भाई भाई । यही है देश हमारा प्यारा, कहना यही तिरंगा है । मुसलमान सब गायब हो गए ह । क्या शिक्षा का यही तरीका है, मान्यता है ? क्या उनको आपत्ति नहीं हुई कि यह कहां से लिया गया ? किस आधार पर मुसलमान गायब कर दिये ? थर्ड क्लास पुस्तकें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं । एक बात में और कहना चाहता हूं । "चोरी मत करो" । कांग्रेस वालों के लिये नहीं है । बच्चों को पढ़ाया जा रहा है । इस संदर्भ में कहना चाहता हूं । इसमें लिखा है । बच्चो चोरी करना बहुत बड़ा पाप है । कानून और अपराध से बच्चों को नहीं डरवायें, धर्म, कर्म पाप से डरवायें । लोकतांत्रिक देश में, धर्म समभाव वाले देश में यह हो कि गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, यह पढ़ें तो इस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

मैकाले साहब ने एक पद्धति दी । मान्यवर, दो चीजें अंग्रेजों ने की । मैकाले साहब ने इस देश में अंग्रेजियत बड़े पैमाने पर लागू करने के लिये एक शिक्षा पद्धति का नाम दिया । और वर्तमान शिक्षा पद्धति उसी रूप में चल रही है । एक कलेक्टर हुआ करते थे डा0 ह्यूम । जब लोगों का असंतोष बढ़ने लगा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तो असंतोष शमन करने के लिये डा0 ह्यूम ने कांग्रेस की संस्था बनायी जो आगे चल कर राजनीतिक दल बना और दुर्भाग्य से शासन में है । दो चीजें, डा0 ह्यूम की कांग्रेस पार्टी और डा0 मैकाले की शिक्षा पद्धति, अभी तक चल रही हैं । हमें कोई बात नहीं करनी है । इस सम्बन्ध में दोनों के जनक अंग्रेज रहे हैं ।

एक बात जरूर कहना चाहता हूं । मैं प्राथमिक शिक्षा पर आना चाहता हूं । मैं अध्यापकों का विरोध नहीं करता इस प्रदेश और देश में शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाने क एक कारण प्राथमिक शिक्षा है और उसे पढ़ाने वाले मास्टर और उसे देखने वाले डिप्टी साहब हैं । मास्टर पढ़ाने नहीं जाते और डिप्टी चेकिंग करने नहीं जाते । बच्चे बस्ता ले कर चले जाते हैं । कोई देखने वाला नहीं । इस पर चेक होना चाहिये । मैं अपने जनपद बलिया की बात बताता हूं । होली में आपने कुली को वेतन दिया होगा । होली में बलिया जनपद में माननीय शिक्षा मंत्री जी नोट कर लीजिये, दो महीने का वेतन प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों का बकाया था । चीनी नहीं दी । प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को होली का वेतन नहीं मिला । वेतन मिलता तो सामान खरीदते, वह नहीं खरीद सके ।

[श्री गौरी शंकर भैय्या—]

और सारी बातें हो गई हैं । टाट नहीं, भवन नहीं, ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं ।

माध्यमिक शिक्षा में आना चाहता हूं । दो तरीके माध्यमिक शिक्षा में काम कर रहे हैं । एक तो वे स्कूल जिनको मान्यता दी गई है, ग्रान्ट इन ऐड में चल रहे हैं और दूसरे वे स्कूल जो टेम्पोरेरी मान्यता में चल रहे हैं । पहले तरह के स्कूलों में अध्यापकों का वेतन 400,500 है । आपको जानकारी होगी शिक्षा मंत्री जी कई ट्रस्टों के मालिक हैं । दूसरे तरह के स्कूलों में अध्यापकों का तनख्वाह 100 रुपये है जिसे एड नहीं दी जाती है । उनमें पढ़ाने का काम करते हैं ।

[इस समय 4 बज कर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।]

तो मैं चाहूंगा कि इस दिशा में यदि आप कुछ कर सकें तो उसे आपको करना चाहिये । उच्च शिक्षा के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा । अपने यहां के एक टाउन डिग्री कालेज के बारे में कहना चाहूंगा । (लाल बत्ती होने पर) । मान्यवर, अभी मैं केवल पांच मिनट ही बोला हूं ।

श्री अध्यक्ष—

10 मिनट हो रहे हैं । दो मिनट और बोल लें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय सदस्य भोला पाण्डेय ने सदिष्ट बाबा डिग्री कालेज की बात कही । श्रीमन्, मैं माननीय मैनेजर सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां पर एक भी न तो डिग्री कालेज था न इंटर कालेज था न कोई और कालेज चल रहा था, उस एक अकेले आदमी ने एक-एक पैसा इकट्ठा करके डिग्री कालेज बनवाया है । माननीय भोला पांडेय को उनसे न मालूम बचपन की कोई परेशानी हो तो मैं कह नहीं सकता हूं । मान्यवर, हमारे टाउन डिग्री कालेज में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैंने इसके सम्बन्ध में एक अल्प सूचित प्रश्न भी यहां पर किया था । वह टाउन डिग्री कालेज कायस्थ पाठशाला के रूप में चलता है । उनका कहना है कि आप कोई सवाल कीजिए, मैं भी कायस्थ हूं और मंत्री जी भी कायस्थ हैं, मेरा कुछ होने वाला नहीं । वे एक लाख रुपया लेकर लखनऊ में घूम रहे हैं जो कि निदेशक को और मंत्री जी के किसी रिश्तेदार को देकर मामले को रफा-दफा करवा देना चाहते हैं । वहां पर एक सतीश चन्द्र डिग्री कालेज है जिसको कि गवर्नमेंट ने ले लिया है । इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । भोला पाण्डेय को इसकी जानकारी नहीं है । । चाहे भोला पाण्डेय रहें या आनन्द पाण्डेय रहें, दोनों लूटने का ही काम करते हैं । उस कालेज को गवर्नमेंट ने ले लिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हम अध्यापकों को भी फेमिली पेंशन देंगे । लेकिन वह अभी तक नहीं दी जा रही है ।

श्री भोला पाण्डेय—

रांची चले जाइये ।

श्री गौरी शंकर भंय्या--

रांची तो आपके लिये दूर पड़ेगा । यहीं नूर मंजिल में चले जाइये । मान्यवर, एक बालाहार की योजना आप चला रहे हैं । बालाहार मंत्री जो खाते होंगे हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन हमारे जिले में कोई नहीं खाता है । हमारे यहां गधा भी उसे नहीं खाता है । उसके बजाय जो आप पहले बच्चों को 2-2 और 4-4 रुपये स्टाइपेन्ड देते थे, वह फिर से लागू कर दीजिये । इस बाल हार को मास्टर लोग अपने घर ले जाकर जानवरों को खान को देते हैं, बच्चे उसे नहीं खाते हैं ।

मान्यवर, जर्मनी में शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट था । वहां हिटलर के जर्मन में जब अध्यापक बच्चों से पूछता था कि बच्चों बताओ सिंगापुर कहां है तो बच्चे पिस्तौल निकालते थे और नक्शे पर से उस स्थान को उड़ा देते थे । यह उस समय की आवश्यकता थी । हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है । इस शिक्षा पद्धति को आप आदमकद बनायें, एक आदर्श बनायें और हिन्दुस्तान के परिवेश में उसे लागू कीजिए ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मैं शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का विरोधी हूं लेकिन उसके परिवर्तन की मांग करता हूं । जो लोग राष्ट्रीयकरण की बात करते है, वे परोक्ष रूप से शिक्षा पद्धति के उद्देश्य को इसी तरह से चलते रहने देना चाहते हैं । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

श्रीमन्, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति लाने वाला बजट है । इसलिये मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, हमारे विरोधी दल के भाई जब बोलने के लिये खड़े होते हैं तो वे बहुत सी बातें भूल जाते हैं । जब जनता शासन आया तो हमको भी उस वक्त दुख हुआ था कि देश के लोगों के लिए वाकई में बहुत बुरा हो गया । लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उसने इनको भी कसौटी पर कसे जाने का एक मौका दे दिया । अब 31 महीनों में इनको सरकार कसौटी पर कसी गई और जनता ने बता दिया कि वह कितनी खरी और कितनी खोटी है । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अभी मुससे पहले लोकदल की सरकार में जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, वह भाषण दे रहे थे । लेकिन क्या यह गलत है कि आपके ही जमाने में दो साल तक विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं हो पायी । आज हमारे बीच में स्व0 जयप्रकाश नारायण जी नहीं है, मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले, लेकिन उन्होंने जो देश में आन्दोलन शुरू किया था, उस आन्दोलन में क्या यह सही नहीं है कि हमारे प्रदेश की एक नस्ल को उसने बर्बाद कर दिया । मैं कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर कहा है, कि जब यह उच्च शिक्षा मंत्री थे तो परीक्षाएं दो साल तक नहीं हुईं, तो मैं आपके मूढ़पने को शिक्षित करने के लिए कहना चाहता हूं कि जब पहली बार समय पर परीक्षा हुई है तो वह हमारे समय में हो हुई हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मुझे बड़ा खेद है, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं । माननीय सफीउर्रहमान भाई ने जाने किस आवेश में आकर स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण पर कुछ कीचड़ उछालने की बात कही है....

(व्यवधान)

इस पर मुझे बड़ा खेद है । यह दुनिया की परम्परा है और इस माननीय सदन की भी परम्परा रही है कि जब कोई आदमी स्वर्गीय हो जाता है तो उसके बारे में कोई अपशब्द नहीं कहे जाते हैं यही हमारी संस्कृति और तहजीब है । इसलिए मैं आपकी केवल इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप माननीय स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के बारे में, यदि हम कुछ कहने का साहस करें, तो क्या आप उसके कहने की इजाजत देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने प्रश्न सुन लिया है । अब और क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है । माननीय स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण, माननीय स्वर्गीय नेहरू जी यह सब तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं जो इस देश के गौरव हैं, उनकी बात तो जाने दीजिए, किसी भी स्वर्गीय के सम्बन्ध में कोई भी आपत्तिजनक बात है, तो उसे न तो मैं सदन में कहने की इजाजत दे सकता हूं और न वह आज्ञा देने के योग्य है और न कही जा सकती है ।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

बशर्ते कि वह अपशब्द हो ।

श्री अध्यक्ष--

जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, मैंने सुना । पहले जो बातों का सम्बन्ध है, इतने जोरों से बोल रहे थे कि मैं ठीक समझ नहीं पाया हूं । उसको अब मैं देख लूंगा । कार्यवाही में कोई भी बात यदि सम्मान के प्रतिकूल होगी तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मैं यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था कि, मैंने जब स्वर्गीय जय प्रकाश जी का नाम लिया तो यह शब्द भी कहे थे कि भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे । मैंने केवल इतना ही कहा था कि उस समय जो आन्दोलन

शुरू किया गया, उसमें छात्रों को भी साथ लिया गया और उससे हमारे प्रदेश की एक नस्ल खराब हो गयी । मैंने उनकी शान के खिलाफ न तो सोचा है और न सोच सकता हूं । इस पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं :––

"वह जब भी देखा है तारीख में अहदो का ।
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई ।।

आप दूसरे की आंख का तिनका देखने के पहले अपनी आंखों को शहतीरें देखें ।

कल जिन्हें बैठने का सलीका न था ।
अब वह महफिल से हमको उठाने लगे ।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपके माध्यम से मैं कुछ अहम समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं इस बात को कहने में गर्व समझता हूं कि मैंने काशी में जन्म लिया है और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है । इस नाते मैंने संस्कृत पढ़ी है, और उससे प्यार है । यह इस देश और दुनिया की प्राचीनतम भाषा है और उसकी शिक्षा के लिए जो सरकार ने किया है, वह बधाई की पात्र है । वर्ष 1979–80 में 1015 संस्कृत पाठशालाओं को राजकीय अनुदान मिल रहा था, वर्ष 1980–81 में शासन द्वारा 33 अन्य संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान सूची पर लाया गया । इस प्रकार सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की संख्या 1048 हो गयी है । वर्ष 1981–82 में 60 पाठशालाओं को अनुदान सूची पर लाने की प्रस्तावना है । इसका मैं स्वागत करता हूं ।

दूसरी बात मैं अरबी और फारसी मदरसों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, जहां पर हम और हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं । वर्ष 1979–80 में इन सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 198 थी जो वर्ष 1980–81 में बढ़कर 209 हो गयी थी लेकिन वर्ष 1981–82 में भी वह 209 ही रही । इसका मुझे बड़ा दुःख है । आपके दिल में हमेशा माइनोरिटी के मफाद की बात रही है, हमेशा उनके हित की आवाज उठायी है लेकिन आज भी 125 ऐसे अरबी मदरसे हैं जो असहायता प्राप्त हैं, जबकि उन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है । इनमें 23 अरबी मदरसे ऐसे हैं उनको 1979–80 में ही अनुदान सूची में ला दिया गया था, परन्तु वर्ष 1981–82 में अनुदान नहीं मिला । 22 अगस्त, 1981 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन मदरसों को अनुदान की राशि का भुगतान करने का लिखित आदेश भी दिया, लेकिन आज तक इन मदरसों को अनुदान नहीं मिला है । भारतीय संविधान की धारा 30 के अन्तर्गत माइनारिटीज के स्कूल्स को अल्प संख्यक स्वरूप की मान्यता देने का शासन को अधिकार है । लेकिन उसमें एक बात यह भी कही गयी है कि ऐसी अल्प संख्यक संस्थायें जिनकी स्थापना माइनोरिटीज के ही लोगों ने की हो, उनको ही यह मान्यता मिलेगा । शुरू में जब स्कूल स्थापित किया गया था, तो वह माइनोरिटीज के लिए लेकिन सद्भाव ख्याल से बाद में एक–आध दूसरे लोगों को भी शामिल कर दिया तो इसी बुनियाद पर इन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली । इस सरकार से पहले कुछ स्कूलों को उपरोक्त मान्यता दी गई है जब स्कूल के संविधान में यह संशोधन कर दिया गया कि आइन्दा किसी अन्य मजहब के आदमी इसके सदस्य नहीं रहेंगे ।

[श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—]

वाराणसी में एक एंग्लो ओरियेन्टेल मुस्लिम हायर सेकेन्डरी स्कूल है जिसे अभी तक अल्पसंख्यक स्वरूप नहीं प्रदान किया गया अगर पहले की सरकार ने संस्था के संविधान में संशोधन करके मान्यता प्रदान किया है तो इस सरकार को भी करना चाहिए क्योंकि वाराणसी के उपरोक्त स्कूल ने भी तदनुसार संशोधन कर लिया है ।

"अशरार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं,
कुछ शेर मगर तुमको सुनाने के लिए हैं ।" जो सुना चुका हूं

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप सबको बोलने की इच्छा है तो 10–10 मिनट के स्थान पर 5–5 मिनट का अवसर दूंगा ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं यद्यपि शिक्षा का अवमूल्यन भी आज कम नहीं हुआ है, तो भी मेरा यह निश्चित मत है कि सामाजिक और राजनीतिक एवं चारित्रिक अवमूल्यन को यदि रोका जा सकता है तो इसी के जरिये से रोका जा सकता है । आज शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है । व्यापार, मान्यतायें, नियुक्तियां, विषयों की स्वीकृति, प्रोन्नति के माध्यम से हो रहा है । प्रबन्ध समिति और प्रधानाचार्यों में बराबर मुहन की स्थिति है । आज विद्यालयों में कलम की जगह कट्टे चल रहे हैं, स्याही की जगह खून खप रहा है । शिक्षा जगत की जो नींव प्रारम्भिक शिक्षा है उसको मजबूत बनाने की अवश्यकता है । आज स्थिति वहां की यह है कि अगर अध्यापक हैं तो विद्यार्थी नहीं हैं अगर विद्यार्थी हैं तो अध्यापक नहीं हैं, और अगर दोनों ही हैं तो भवन नहीं हैं । ऐसी स्थिति आज प्राइमरी शिक्षा को देखने में आ रही है । मेरे यहां जब माननीय जयराज गौतम जी गये थे, हमने उनको एक प्राइमरी पाठशाला का निरीक्षण भी करवाया । जब वे गये तो उन्होंने खुद देखा कि वहां कई अध्यापक नहीं थे । मुझे पता चला है कि उनको निलम्बित किया गया है और कुछ प्रशासनिक कार्यवाही भी हो रही है । ऐसी ही दशा अन्य जगह भी है । जिस भवन की नींव ही नहीं रखी जायेगी उस पर भवन कैसे बन सकेगा । इसलिए आज प्रारम्भिक शिक्षा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । आज अध्यापक राजनीति में उलझे हुये हैं, माननीय विधायकों और मंत्रियों के आस-पास चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं के आगे मंडराते रहते हैं । पढ़ाई के कार्य में रुचि नहीं लेते ।

आज मान्यवर, अध्यापिकाओं की हालत यह है कि वे स्कूलों में नहीं मिलेंगी, वे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के यहां मिलेंगी

(व्यवधान)

पढ़ायेंगी विद्यालयों में, नियुक्ति विद्यालयों में होगी, पर उपस्थिति अधिकारियों के यहां होगी । यह हालत आज है ।

भवनों की व्यवस्था ठीक नहीं है । वहां पर टाट पट्टियों के बारे में अभी भाई गौरी शंकर भैय्या ने बताया ही है । बैठने को स्कूलों में टाट पट्टी तक नहीं हैं । जिस विभाग की नीव हिल रही हो, उस पर भवन कैसे बनाया जा सकता है और वह कैसे टिका रह सकता है ।

माध्यमिक शिक्षा का भी स्तर बहुत गिर रहा है । वहां पढ़ाई लिखाई दिखायी ही नहीं पड़ती । जिस प्रकार का वातावरण वहां है उससे आगे आने वाली पीढ़ी की क्या आशा की जा सकती है । आज वे शिक्षा मन्दिर अनेकों बुराइयों के अड्डे बने हुये हैं । उसका असर बच्चों के ऊपर बड़ा खराब पड़ रहा है । आज की शिक्षा पाया हुआ नवयुवक नौकरी के लिये दर-दर विधायकों के पास और मंत्रियों के पास दौड़ लगाया करता है। आज की शिक्षा पाकर विद्यार्थी स्कूलों को तोड़ रहे हैं, मन्दिर और मस्जिदों में ताड़ी पी रहे हैं, स्कूलो में कलम की जगह कट्टा चलाय जा रहा है, लड़के विलायती रिवाल्वर और कट्टा लेकर परीक्षा के दिनों जाते हैं और अपने अध्यापकों को दिखाकर खूब नकल किया करते हैं । आखिर इसका क्या असर होगा भावी पीढ़ी पर, इसकी परिकल्पना भी आज नहीं की जा सकती ।

उच्च शिक्षा की भी हालत बिगड़ती जा रही है । गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज है । आप उनके प्रति बड़े दयालु हैं । उच्च न्यायालय ने सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 21 दिन का मौका दिया इस प्रदेश की सरकार पर मेरा यह निश्चित आरोप है कि आपने उनको बचाव मौका दिया और उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का पक्ष प्रकट नहीं किया जिसका नतीजा यह है कि वहां का रजिस्ट्रार अनुचित ढंग से पद का लाभ ले रहा है ।

एक बात और कहना चाहूंगा समय कम हैइसलिये संक्षेप में कह रहा हूं । संस्कृत के अध्यापकों की दीनहीन दशा की तरफ आप ध्यान दें । आज वह अनशन पर बैठकर भिक्षाटन नहीं कर रहा है सुना करते थे कि पहले सीधा दिया जाता था आटा, दाल दिया जाता था । यदि आप संस्कृत भाषा की रक्षा नहीं कर पायेंगे, उन अध्यापकों की रक्षा नहीं कर पायेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जायेगा । इसको आपको करना चाहिये । उनकी दयनीय परिस्थिति को देखकर यदि आप देंगे तो कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे यह देकर आप अपने यश में वृद्धि करेंगे । भारतीय संस्कृति और समाज को जीवन देकर भारतीय समाज को आप इसके द्वारा सबल करेंगे । आप हरिजनों और महिलाओं के पुजारी है और महिला के नेतृत्व में तो आप चल ही रहे हैं। तहसील स्तर पर अनिवार्य कन्या विद्यालय की स्थापना करें और महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा के अंधकार को दूर करें और उनमें प्रकाश पुंज पैदा करें । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री कैलाश टंडन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षा के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं एक ऐसी नगरी से चुनकर आया हूं जो मोक्ष की नगरी है, संस्कृत की नगरी है, शिक्षा की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राजधानी अनादि काल से कही जाती है । हमारा निर्वाचन क्षेत्र गंगा के किनारे-किनारे बरुणा तक फैला हुआ है । प्राचीन काल से, अनादि काल से संस्कृत की शिक्षा यहां दी जाती रही है ।

मैं माननीय मंत्री जी से बहुत सी बातें न कह कर संस्कृत के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा । वाराणसी में संस्कृत के तीन विद्यालय हैं । एक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, जिसका केन्द्र द्वारा संचालन होता है, दूसरा काशी विद्यापीठ, तीसरा संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान संस्कृत के अध्यापकों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, 18-9-51 के शासनादेश द्वारा यह पारित किया गया कि आचार्य, शास्त्री, उत्तर मध्यमा, पूर्व माध्यमा को आपने मान्यता प्रदान कर दिया लेकिन उनको वेतनक्रम इसका नहीं दिया जा रहा है । यह सारा का सारा कागजात पर है । श्रीमन्, मेरी जानकारी के अनुसार 6 सौ संस्कृत के छोटे-छोटे विश्वविद्यालय चल रहे हैं । आज उनकी स्थिति क्या है । 75 रुपये से 120 रुपया तक उनके अध्यापकों को वेतन दिया जा रहा है । सरकार वह पैसा प्रबन्धकों के पास भेज देती है और प्रबन्धक लोग अध्यापकों का शोषण करते हैं । उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है । तीन-तीन महीने पर शासन द्वारा पैसा दिया जाता है । माननीय मंत्री जी ने कुछ घोषणायें कीं कि लिपिक और चपरासी दे रहे हैं । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ अध्यापकों का वेतन बैंक द्वारा दिया जाय ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह ऐसी भाषा है, उर्दू के बारे में विरोध हो सकता है, हिन्दी के बारे में तामिलनाडू, कर्नाटक और उड़ीसा में विरोध हो सकता है लेकिन संस्कृत के बारे में तामिलनाडू, कर्नाटक कन्या कुमारी से लद्दाख और राजस्थान से बंगाल तक कहीं विरोध नहीं हो सकता है । यह ऐसी भाषा है जिसने मुझे पाप क्या है पुण्य क्या है, इस भाषा ने जीवन और मृत्यु का ज्ञान दिया है और एक बात और है अभी गौरी शंकर भैय्या कह रहे थे कि किताबी बात कह रहा हूं फिरकापरस्ती की बात कही गई । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज शिक्षा का प्रचार और प्रसार कम होने के कारण अपराध बढ़ रहा है । आज पाप क्या है पुण्य क्या है इस बात की शिक्षा नहीं दी जा रही है । हमारे संस्कृत के सारे डिग्री कालेज काशी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे । मगर अब दयानन्द डिग्री कालेज और बसन्त महिला कालेज को छोड़कर सभी डिग्री कालेज हमारे जनपद के गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये गये हैं । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि विद्यापीठ को पूर्ण विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाय जहां विज्ञान, कानून, आर्ट, कृषि एवं चिकित्सा की भी पूर्ण शिक्षा दीक्षा हो । हमारे जनपद के संपूर्ण विद्यालय विद्यापीठ से सम्बन्धित किये जांय, गोरखपुर से हटाकर। इस सम्बन्ध में काशी विद्यापीठ के प्रस्ताव भी शासन को भेजे जा चुके हैं । मान्यवर, हमारी नगरी सांस्कृतिक है । वहां आज भी काशी के कुछ घरानों के नाम हैं । डाक्टर सम्पूर्णानन्द के जमाने में संगीत एकाडमी कायम हुई मैं चाहूंगा कि काशी की यह कला जो लुप्त होती जा रही है, यह अव्यवहारिक है कि काशी के उन घरानों के लोगों को लखनऊ संगीत की शिक्षा लेने आना पड़े, इसलिये मैं चाहूंगा कि जो बनारस में ठुमरी, दादरा आदि के जो घराने हैं उनकी विद्या लुप्त न हो इसलिये माननीय मंत्री जी अपने शासनकाल में काशी में संगीत एकाडमी की शाखा की स्थापना करें जिससे काशी के घरानों के बच्चे उसमें संगीत की शिक्षा दीक्षा ले सकें ।

मान्यवर, काशी खेल में भी बहुत आगे है। अभी घोषणा की गयी है कि वहां होस्टल बनाये जायेंगे तो इसी तरह मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि काशी में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की जाय चूंकि काशी को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि ओलम्पिक हाकी खेल में काशी का ही एक छात्र जो सेन्ट्रल फारवर्ड से खेलता था, उसने गोल मारकर हमारे देश की ख्याति को बढ़ाया है।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा में मूल परिवर्तन की बातें बहुत की जाती हैं लेकिन क्या परिवर्तन हो, इसके बारे में किसी ने नहीं कहा। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि स्कूलों में अध्यापक पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिये इन्टर तक के छात्रों को जो अध्यापक कोचिंग करके पढ़ाते हैं और 100-100 रुपये फीस घरों पर हर एक छात्र से लेते हैं जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति की ताकत के बाहर है, इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस तरह डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगायी गयी है, उसी तरह मंत्री जी शिक्षा में कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगायें और इसके लिये चाहे अध्यापकों का वेतन बढ़ाना हो तो वह बढ़ायें। ऐसा करने से शिक्षक स्कूल में ठीक से पढ़ायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम नरायन एडवोकेट--

मान्यवर, आपने मुझे जो कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मैं मंत्री जी और सम्मानित सदस्यों के सामने कुछ रचनात्मक सुझाव रखना चाहता हूं।

मान्यवर, 1976 के बाद गांव में शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में एक खतरनाक व्यवस्था लागू कर दी गयी है कि जमींदारी ऐक्ट में धारा 195, 196, 197 में उन्हें भूमि देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। चूंकि गांव आजादी के पहले और आज भी उपेक्षित हैं। गांवों में अधिक विद्यालयों की स्थापना किये जायं और प्रदेश तथा देश में विद्यालयों की स्थापना के लिये उनके भवनों के लिये भूमि की आवश्यकता है। 1976 के बाद जो भी कांग्रेस सरकार थी उसने जमींदारी ऐक्ट में ऐसा परिवर्तन किया जिससे कि गांव की शिक्षा संस्थाओं को भूमि देने के बारे में भारी उपेक्षा की गयी। पहले जो भी गांव में भूमि निहित होती उसका पहला एलाटमेन्ट मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को होता था। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह व्यवस्था खत्म कर दी गयी है। मौजूदा शिक्षा मंत्री जी ने आज कहा कि हम गांवों को खुशहाल और शिक्षा युक्त देखना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अभी उन्होंने आह्वान किया है कि जो लोग भवन बनायेंगे तो उनके नाम पर लिखा दिया जायगा। तो यह सुझाव आपका प्रशंशनीय है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1976 के बाद जो भूमि आवंटन किया गया वह निर्बल वर्ग या सेना के लोगों को किया गया और आज अगर कोई प्राइमरी, मिडिल या लघु माध्यमिक विद्यालय बनाना चाहे तो उसके लिये भूमि की समस्या है। तो आप मान्यता प्राप्त स्कूलों को भूमि देने के लिये पुनः व्यवस्था लागू करें तभी ग्रामीण जीवन का सुधारा जा सकता है और वहां शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। वरना आपका यह कोरा आश्वासन होगा कि आप गांवों में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं।

[श्री राम नरायन एडवोकेट--]

दूसरी चीज अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मैं कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं। विकास खंड बरनो और मरदह में मैंने कोशिश किया कि मैं इस विभाग की गतिविधियों को देखूं। मैं कई बार देखने गया लेकिन कोई स्कूल कार्यरत नहीं मिला। अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का जो बजट है, उसको प्राथमिक शिक्षा में निहित किया जाय तो जनहित में बड़ा उत्तम प्रयास होगा। प्रौढ़ शिक्षा का निदेशालय खोलकर आपने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को पदासीन किया है लेकिन व्ययहारिक जगत में प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का गांवों में अभाव है। तीसरी चीज में अपने जनपद गाजीपुर के बारे में कहना चाहूंगा कि यहां पर 299 प्राइमरी पाठशालाओं और मिडिल स्कूलों के भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिये यूनिसेफ से पौने 15 लाख रुपया मिला था। इस सम्बन्ध में मैंने आपको और मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है कि वहां के भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वह सारा रुपया कागजों पर कार्य होना दिखा दिया है लेकिन मेरे क्षेत्र में मैंने जाकर देखने की कोशिश की तो मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं दिखायी दिया। कागज पर 6, 6 हजार रुपया खर्च दिखाया गया है। तो मैं चाहूंगा कि स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये जो धनराशि दी जाय उसके लिये जनप्रतिनिधियों को बताया जाय कि कहां-कहां पर कितना रुपया दिया गया है।

एक चीज हमारे मंत्री जी ने कही है कि 1946 में 3 करोड़ रुपये माननीय डा0 सम्पूर्णानन्द जी के समय में बजट दिया गया था जो 11 प्रतिशत था और आज 18 परसेन्ट बजट दिया है, यह कह कर मंत्री जी ने बड़ी भारी वाहवाही लूटी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी जो आबादी प्रदेश की बढ़ रही है, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, तो उसके हिसाब से सरकार के आज के संसाधन जो बढ़े हैं वह सन् 1946 के मुकाबिले में आपका बजट ज्यादा नहीं है। जब आप कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है। तो फिर आप गांव की ओर पूरा ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आप गांव में दूसरी शिक्षा देने जा रहे हैं और नगरों में दूसरी तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी कम से कम गांवों के साथ आप सौतेला व्यवहार न कीजिये, उस व्यवहार को आप और सरकार रोके। आपका शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार की वजह से उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय किरन पाल सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अभी इतने सदस्य इसमें बोलना चाहते हैं। समय हो गया है। ऐसी स्थिति में उनको बोलने के लिये अनुमति देना सम्भव नहीं हो सकेगा। और यह सम्भव नहीं है कि किसी का बुलाया जाय। इसलिये मैं श्री किरन पाल सिंह को, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, बुलाता हूं।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय, शिक्षा शास्त्री, श्री हरदेव को बोलने की अनुमति दे दें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी माननीय विधायकों (श्री जसवन्त सिंह विष्ट बराबर बोलने का प्रयास करते रहे और जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न होता रहा)

अध्यक्ष--

कृपया बैठ जाइये ।

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(उस बीच श्री हरदेव बराबर अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करते रहे)

मान्यवर, उधर से एक सज्जन बोल रहे थे, उसके बाद इधर के एक सदस्य को बोलने के बाद ही कटौती का प्रस्ताव आना चाहिये था, आपने उधर के सदस्य के बोलने के बाद ही उधर से कटौती के प्रस्ताव वाले सदस्य का नाम पुकार लिया ।

अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । उधर के सदस्य बोल रहे थे, उधर से कटौती का प्रस्ताव आया है इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न आ गया, यह ठीक नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय दामोदर शर्मा जी, आपके संसदीय कार्य मंत्री जी बठे हुए हैं, बोलने के लिए आप जितना भी सदन का समय बढ़ाना चाहते हैं, प्रस्ताव करा दें और आप बोलें ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । मान्यवर, मैं उन माननीय विधायकों की भी जिन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ विश्लेषण किया और सुझाव दिये हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं ।

(श्री हरदेव द्वारा बराबर बोलने के लिये अनुमति प्राप्त करने का प्रयास चलता रहा और सत्ता पक्ष के सदस्य उन्हें पकड़-पकड़ कर बैठाने की चेष्टा करते रहे जिसके कारण काफी व्यवधान रहा।)

मान्यवर, पहिले इनको शान्त कराइये ।

नोट---[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री किरन पाल सिंह--]

[समय 5 बजकर 1 मिनट]

जिन माननीय विधायकों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उन माननीय विधायकों को जिन्होंने तर्कसंगत विश्लेषण किया उनकी मैं प्रशंसा करता हूं ।

एक माननीय विधायक ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण के सन्दर्भ में कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण तो उचित नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने शिक्षा विषय के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कही बल्कि शिक्षा की पद्धति के राष्ट्रीयकरण की बात कही थी ।

सभी विधायकों ने प्राइमरी शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करने की, बजट में अधिक प्राविधान किये जाने का समर्थन किया और आप देखें 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो पिछले वर्ष की शिक्षा विभाग की प्रगति समीक्षा है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से एक करोड़ 29 लाख बच्चे इस आयु के शिक्षा पाते थे लेकिन यह बात नहीं है कि यह तादाद जो प्रथम वर्ष में होती थी 14 वर्ष तक आते-आते यही रहती हो । सरकार ने खुद यह कबूल किया है कि 100 में से 39 बच्चे 6 से 11 वर्ष के बच्चे 5वीं तक पहुंच पाते है और इसी प्रकार 11 से 14 वर्ष तक के आठवी तक 100 में 20-22 बच्चे पहुंच पाते हैं । 6 से 14 वर्ष के बच्चे एक करोड़ 30 लाख जब शिक्षा पाते हैं और माध्यमिक शिक्षा में आने के बाद उनकी संख्या सिर्फ 20-21 लाख रह जाती है और उच्च शिक्षा में पहुंचते-पहुंचते करीब साढ़े चार लाख रह जाती है । तो शिक्षा का यह बजट, सब को समान अवसर दिये जाने का बात तो मैं कह सकता हूं लेकिन आउट-कम्स जो है, नतीजे जो हैं, वह सब को समान अवसर, समान रूप से, नही मिलता है । जो यह कहते हैं कि विद्यार्थियों की, बच्चों की संख्या बढ़ रही हैं, ह्रास का कारण यह है, नई जनरेशन शिक्षा में आयी है, जिनका शिक्षा का बैकग्राउण्ड नहीं रहा है, मैं उनके लिए तर्क देना चाहता हूं । मान्यवर, शोर बहुत है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें । सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, बहुत बड़े शिक्षाविद् हैं श्री जी० के० केस्टर्नस इन्होंने कहा है कि--

"देयर मस्ट बी समथिंग रिटेनली रांग विद एजुकेशन इटसेल्फ सो मेनी पिपुल हैव वन्डरफुल चिल्डरन एन्ड आल दि ग्रोन अप पिपुल आर सच डड्स ।"

इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों में कोई कमी नहीं है, बच्चों में कोई कमी नहीं है । शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने वालों में कमी है इसको एक दूसरे शिक्षाविद् इवान इलिच ने भी कहा है कि--

'एवरी चाइल्ड लर्न्स विदाउट मच डिफीकल्टी एट लीस्ट वन डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नेमली, ईटस् मदर टंग ।"

इसका मतलब यह है कि तमाम बच्चे अपनी मातृ भाषा को, उसको समान रूप से एक ही तरह से समझते हैं। तो मान्यवर, इन दो तर्कों से यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी शिक्षा पद्धति के साथ कोई न कोई कमी है। एक से सवा करोड़ बच्चें प्राइमरी में दाखिल होते हैं और साढ़े चार लाख तक उच्च शिक्षा में रह जाते हैं। यह सही है कि सब को शिक्षा नहीं दी जा सकती लेकिन उन का कोई न कोई इंतजाम होना चाहिए कमसे कम रोजगार के दरवाजे उनके लिए जरूर खुले रहने चाहिए। इसलिए मैं मंत्री जी को जरूर सुझाव देना चाहता हूं कि इस को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। कोई विद्यार्थी जिसे रोजगार नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा? वह सोचेगा कि किस तरह से अपनी शक्ति का कहां इस्तेमाल करें। आपको चाहिये कि उनकी शक्ति को कंज्यूम करें, उनका प्रयोग करें।

अब मैं लड़कियों की शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कन्याओं की शिक्षा का अनुपात लड़कों की शिक्षा से बहुत कम है। इस तरफ माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। दूर दराज गावों में महिलाओं के लिए कोई स्कूल न होने से वे शिक्षा नहीं ले पातीं। इससे बहनों और कन्याओं को बड़ी दिक्कत होती है। लड़कों के हिसाब से आधी संख्या में भी वे पढ़ नहीं पाती हैं। और जब इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसमें भी इम्तहान के अन्दर नकल करने की पद्धति है। इम्तहान के बाद जब विद्यार्थी कहीं काम के लिए जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पीठ और जेब में कितना बम है। इसके अलावा तुम्हारे पीछे कौन है। इसलिए इस सम्बन्ध में सोचने की बहुत आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं एक सुझाव देता हूं कि जिस शिक्षा के ऊपर हम अपने बच्चों पर अपने बजट का इतना पैसा खर्च करते हैं उसका सही इस्तेमाल कहां होता है। एक शिक्षाविद् मेलकम एस० अदिसिसाहिया जो मद्रास इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट के चेयरमैन थे उन्होंने इसका अध्ययन करके एक नतीजा निकाला है। यह उनके अपने अध्ययन का नतीजा है, सरकारी आंकड़ा तो हमारे पास है नहीं। उन्होंने कहा है कि टेक्निकल एजूकेशन पर जितना खर्च होता है, सोशल बेनिफिट उसका बहुत कम होता है। हायर सेकेन्डरी स्कूल, इंटरमीडिएट कालेज या डिग्री कालेज की शिक्षा हो, आर्ट एजूकेशन हो, सोशल बेनिफिट सोमालक्रास्ट के मुकाबले में उसका बहुत कम होता है। डाक्टरों के लिए वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने अपने नोट में कहा है कि "इंडिया इज दि लारजेस्ट सप्लायर आफ टेक्निकल नो हाउथ" इसी तरह से यू० एन० ओ० की एक संस्था ने अपने नोट में कहा है कि "इंडिया इज दि लार्जेस्ट सप्लायर आफ टेक्निकल नो आउथ। यानी इंडिया वहां आज सबसे ज्यादा डाक्टरों और इंजीनियरों की सप्लाई कर रहा है। यह सोचने को बात है कि गरीबों का पैसा लगता है और टेक्निकल एजुकेशन पाने के बाद वह इंगलैंड या अमेरिका चला जाय और इसका फल यह हो कि पैसा तो यहां का खर्च हो और उसका लाभ अमेरिका और इंगलैंड उठावें, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह सही बात है कि प्रदेश सरकार का इस पर कंट्रोल नहीं है लेकिन शिक्षा का जो बजट है, वह प्रदेश के हित में उसकी आवश्यकता के अनुसार खर्च होना चाहिये। जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार अधिकतम मध्यम और उच्च वर्ग के लोग शिक्षा का फायदा उठाते हैं। इस एजुकेशन का फायदा गरीब नहीं उठा पाते। गरीबों की जेबों से जो पैसा निकलता है वह उच्च वर्ग के लोगों पर खर्च होता है, वह अमीरों की जेब में पहुंच जाता है। म

]श्री किरन पाल सिंह--]

माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि 80 प्रतिशत पैसा गरीबों की जेबों से ही टैक्स के रूप में आता है जिसका लाभ वे नहीं उठा पाते हैं। उसका लाभ अमीरों के बच्चे उठाते हैं। मेरा निवेदन है कि ज्यादा पैसा गरीबों की जेबों से ही जाता है। उसको इक्वेल अपारच्युनिटी देने के साथ-साथ इक्वेल आउटकम की पालिसी आप बनायें तब फायदा होगा शिक्षा बजट से वरना कोई लाभ होने वाला नहीं है।

और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री जी ने भाषा की बात कही। सब से बड़ी विडम्बना यह है कि हमारी शिक्षा का मीडियम हिन्दी नहीं है। इंटरमीडिएट करने के बाद जब हम ने बी० एस-सी० में दाखिला लिया तो हिन्दी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में ढकेल दिया गया। एम० एस-सी० में अंग्रेजी मीडियम में ढकेल दिया गया। थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है लेकिन अच्छी किताबें मातृ भाषा में आज भी उपलब्ध नहीं हैं। एम० एस-सी०, पोस्ट ग्रेजुएट, साइन्स कोर्स, टेक्निकल कोर्स, सबमें अंग्रेजी का इस्तेमाल है। मैं ज्यादा उत्तेजित न हो कर शिष्टाचार के दायरे में रहते हुये कहना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसी सरकार के लोगों के होते हुये, ऐसे प्रधान मंत्री के होते हुये 35 वर्ष की आजादी के बाद भी हम अपनी मातृ भाषा को नहीं अपना पाये हैं। हम अंग्रेजी के लादे जाने व थोपे जाने से नफरत करते हैं। अंग्रेज जरूर चला गया है लेकिन उसकी भाषा गायब नहीं हुई है। हिन्दी में शिक्षा देनी और लेनी चाहिए। हम भारतीय हैं। भारतीय बनकर देखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी मीडियम को आज ही लागू करने की घोषणा करें। वैसे इस में कम से कम दो साल से अधिक का टाइम न लें। बहुत से देशों की भाषायें आपके सामने हैं। आजाद होने के दो साल के अन्दर ही उन्होंने अपनी मातृ भाषा अपना लिया। हमारे देश में 35 साल के बाद भी मातृ भाषा शिक्षा का मीडियम नहीं बन सकी है। मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि हिन्दी मीडियम दीजिए। हिन्दी की परम्परा कायम करने के लिए, सुरक्षा कायम करने के लिए, एकता कायम करने के लिए, भारतीय भाषा अपनाने के लिए, हिन्दी मीडियम शिक्षा का होना चाहिए। जिन के बाप-दादा ए० बी० सी० नहीं जानते थे उनकी दुकानों में अंग्रेजी में बोर्ड लगा रहता है, सड़कों में अंग्रेजी में बोर्ड लिखे मिलेंगे और जहां भी जायेंगे अंग्रेजी में तमाम चीजें मिलेंगी। माननीय मंत्री जी आदेश करें कि कहीं भी किसी दुकान पर, सड़क पर, अंग्रेजी में कोई चीज लिखी नहीं जायेगी। हिन्दी, उर्दू में हो या किसी अन्य भारतीय भाषा में हो, हमें एतराज नहीं है।

उर्दू की बात यहां पर आई। मैं इस बात की वकालत नहीं करता कि किस भाषा को कौन सा दर्जा दिया जाय। एक माननीय सदस्य ने कहा कि उर्दू को दर्जा देने से या उर्दू की प्रगति होने से हिन्दुस्तान की अखंडता खतरे में पड़ जायगी। यह एक गम्भीर बात कही गयी। यह ऐसी बात कही गयी जो एक मन्दिर का पन्डा या मस्जिद का मौलवी कह सकता है। उर्दू की तरक्की होगी तो उससे हिन्दुस्तान की अखंडता को खतरा नहीं है। मैं उन माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि उर्दू को प्रोत्साहन मिलेगा तो हिन्दुस्तान की अखंडता खतरे में पड़ेगी, उन्हें ऐसी बात भविष्य में नहीं कहनी चाहिए। आजादी से पहले जो भावना थी उसे भूल जाइये। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद कुछ देश भक्त मुसलमान लोग इसी देश में रह गये। यह उनकी भाषा है। इस देश के मुसलमान

इस देश के हैं । उनकी भाषा को सम्मान देना पड़ेगा, तरक्की देनी पड़ेगी । लेकिन वह कहते हैं उर्दू से देश की अखंडता को खतरा बन जायगा ऐसी बातें कहेंगे तो देश की अखंडता की खतरा पैदा हो जायेगा । मैं उर्दू के लिये ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन जो उर्दू हमारे यहां सन् 1947 में थी, खुशहाल थी, बहबूद थी उसी को आप लौटा दो और उसको सन् 1947 के स्तर तक ले आओ । इससे ज्यादा आपसे अपेक्षा नहीं करते । चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ।

स्पोर्ट्स के बारे में और सांस्कृतिक कार्य के बारे में दो-चार बातें कहना चाहता हूं । सांस्कृतिक कार्यकलाप का विभाग हमारे प्रदेश में है । इसके लिये हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया है । इसकी अहमियत वे जानते हैं या नहीं, यह पता नहीं है । लेकिन ये उसको धोखा देने की बात करते हैं । ऐसा लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस प्रदेश की संस्कृति से कोई लगाव नहीं है । यहां पर एक भातखंडे संगीत महाविद्यालय है । उसके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं । इसमें और सब विभाग तो हैं लेकिन लोक गीतों का कोई विभाग नहीं है । इस विभाग को वहां पर खोलना चाहिए । यह इस प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता है । इससे हमारे प्रदेश के जितने भी लोक गीतों के गायक हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण आपके विभाग से होनी चाहिए । और साथ ही उनके दवा वगैरह की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय में 3/4 टीचर्स जो कथक डांस के सिखाने वाले हैं, उनके बारे में घोर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं । वे फर्जी डाक्टरेट लिये हुये हैं और वहां पर मकानों पर कब्जा किये हुये हैं । इसकी आप जांच करा लें और इस भ्रष्टाचार को दूर करें ।

स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि समय कम है । एक सुझाव देना चाहता हूं : हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी होस्टल हैं उसमें दाखिले के मौके पर बहुत भ्रष्टाचार होता है । काबलियत के हिसाब से दाखिला नहीं मिलता है । भाई-भतीजावाद के आधार पर दाखिला होता है और प्रतिभावान जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वे भटकते रहते हैं । इसके सम्बन्ध में प्रत्येक जिला स्तर पर आपने कोशिश की है कि वहां पर एक स्टेडियम बना दिया जाय और कमिश्नरी लेबुल पर एक होस्टल उनके लिये बना दिया जाय । उसको आप कार्यरूप में परिणित करें । एक आपकी संस्कृत अकादमी है वह राजनीति का शिकार है । उसको सहायता दी जाय । उसके जो आचार्य हैं, उनकी बहुत खराब हालत है । उनके आचार्य और दूसरे आचार्य भी आज हमको मिले थे । उनकी शिकायतों को आप सुनें और उन्हें समझें और उनकी जायज मांगों को स्वीकार करें । ज्यादा कहने का समय नहीं है । उनकी जेनुइन मांगें हैं, आप उनको देखेंगे तो फौरन मान जायेंगे । संस्कृत अकादमी में 3 विधायकों का नामिनेशन होना चाहिये । जो आपका हिन्दी संस्थान है वह भी राजनीति का शिकार है । इसकी क्या उपयोगिता है, यह तो मालूम नहीं है लेकिन जो भी किताब छापनी हो, चाहे वह सत्ता पार्टी की हो, इंदिरा गांधी की हो या वित्त मंत्री ब्रह्मदत्त जी की हो, तब तो वह किताब छप जायेगी, रुपया खर्च हो जायेगा और कोई काम वह संस्थान नहीं करता है । उसका आडिट हुआ था, 5 साल से ज्यादा हो गया है लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री उसको वेस्ट पेपर बास्केट में डाले हुये हैं ।

[श्री किरन पाल सिंह--]

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेन्ट को आप बिलकुल समाप्त कर दें । यह बिलकुल ठीक तरह से नहीं चल रहा है । प्रधानों से मुहर लगाकर लोग नियुक्त हो जाते हैं । आप एक ऐसी शर्त लगा दें कि वह शिक्षित बेरोजगार जो निश्चित रूप से पांच प्रौढ़ों को शिक्षित कर दे तब नौकरी के लिये क्वालीफाई करेगा वरना वह नौकरी नहीं पायेगा ।

मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं क्योंकि मैं बुलन्दशहर से आता हूं वहां की एक बात कहना चाहता हूं । हमारे जिले के सैदलपुर और उसके आस-पास के जो गांव हैं वहां के हर घर से 4-4, 5-5 और 6-6 आदमी फौज में सेवा करते हैं । जब हिन्दुस्तान पर लड़ाई हुई तो वहां की बहुत सारी महिलायें विधवा हो गयी थीं तो उन विधवाओं को जब बंसी लाल जी रक्षा मंत्री थे, वहां आये और उनको सिलाई की मशीनें दे गये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वहां पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना होगी, उनका बयान दर्ज है । मैंने इस बात को पुराने शिक्षा मंत्री से भी कहा था और आपसे भी कहना चाहता हूं कि वहां पर एक सैनिक स्कूल खुलवा दें इस बात को आप अपने पी0 के0 शर्मा जी से भी पूछ सकते हैं ।

हमारे जिले में एक कृषि विद्यालय है, स्व0 अमर सिंह महाविद्यालय, लखावटी में उसके पास बहुत बड़ा फार्म भी है और वह जंगल में है उसको आप कृषि विश्वविद्यालय बना दें । इस कालेज में साउथ से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं । वैसे यह आपके विभाग की बात नहीं होगी कृषि विभाग की बात है लेकिन आप लिखकर भिजवा दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कृषि विश्व-विद्यालय नहीं है ।

इसी तरह एक बी0 बी0 नगर राजकीय कन्या इन्टर कालेज है, जहां पर बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग लड़कियों को दी जाती थी लेकिन वह खतम कर दिया गया है । वहां पर लड़कियां 20-20, 30-30 मील से पढ़ने के लिए आती हैं । वहां पर लड़कियों के लिए कोई डिग्री कालेज नहीं है जहां वे लड़कियां पढ़ सकें इसलिए उसको डिग्री कालेज कर दिया जाय ताकि लड़कियां आगे पढ़ सकें । इस इन्टर कालेज में होस्टल भी है और इसके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी बिल्डिंग है ।

एक बात पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं जो आदमी आपके विभाग के रिटायर हो जाते हैं चाहे शिक्षक हों या दूसरे कर्मचारी हों, उनको समय पर पेंशन नहीं मिलती है, वर्षों बीत जाते हैं आपका जो पेंशन विभाग है वहां से पेंशन स्वीकृत होते होते 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं, लोग मर जाते हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाती है । मैंने विधान सभा में एक सवाल किया था एक विधवा को 1973 से अब पेंशन मिलनी शुरू हुई है । तो जो जीवन भर विभाग की सेवा करते हैं तो रिटायर होने पर उनसे विभाग वाले पैसा मांगते हैं, घिनौना काम करते हैं कि उनसे पेंशन का शेयर मांगते हैं तो इस पेंशन विभाग को भी आप देखें । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत ही अनुगृहीत हूं जिन्होंने शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग और खेलकूद विभाग के अन्तर्गत आने वाली

मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत किये : मैंने उनके सुझावों को बड़े गौर से सुना और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके सुझावों पर विचार करूंगा ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वह वापस ले लें और हमारे शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य और खेलकूद विभाग के अनुदानों को पारित करें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय विष्ट जी बैठ जायं (व्यवधान) माननीय जसवन्त सिंह विष्ट जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह जी, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, किसी दिन तो आप मुझको बख्श दीजिये कि जब मैं खड़ा हुआ करूं आप न खड़े होइये । एक दिन तो मुझे सन्तोष हो जाए कि जब मैं खड़ा हूं, आप नहीं खड़े हुए ।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,34,68,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66---सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि को पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78---स्पोर्ट्स विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78---स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,15,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(समय 5 बज कर 28 मिनट)

नियन 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष ---

नियम 51 में 8 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से एक सूचना मोहन सिंह जी की जो इलाहाबाद शहर के वारागंज पुलिस द्वारा सर्वदलीय सभा के ऊपर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में थी, वह वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई है । संसदीय कार्य मन्त्री कब इस पर वक्तव्य देंगे ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री रामरतन सिंह---)

मान्यवर, 30 तारीख को रख दीजिए ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, 30 मार्च को इस पर वक्तव्य होगा । अब खाद्य मन्त्री का वक्तव्य ।

शासन द्वारा प्रदेश में सीमेन्ट वितरण की स्पष्ट नीति की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(खाद्य मन्त्री जी के खड़े होने पर)

श्री दलगंजन सिंह---

सारी सीमेन्ट चली गयी है, जनता को एक परसेन्ट सीमेन्ट भी नहीं मिल रही है । जनता के काम के लिए कोई सीमेन्ट कोटा नहीं रखा गया है....

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

यह जो खाद्य मन्त्री का वक्तव्य आया है, उसमें कोई नई बात नहीं है, और कोई सुझाव भी नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पहले आप बयान तो सुन लीजिए। आप बयान पढ़ने दीजिए।

(व्यवधान)

वह तो औपचारिकता है, आप पढ़ने तो दीजिए।

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर,

केन्द्र सरकार ने सीमेन्ट की दोहरी मूल्य नीति तथा उसके मूल्य एवं वितरण पर से आंशिक रूप से नियन्त्रण समाप्त करने की घोषणा 28 फरवरी, 1982 को की थी। चूंकि योजना की पूर्ण रूप रेखा राज्य सरकार को नहीं प्राप्त हुई थी, अतः समस्त जिलाधिकारियों को 1 मार्च, 1982 को रेडियोग्राम द्वारा यह आदेश भेज दिये गये थे कि अग्रिम आदेशों तक सीमेन्ट के परमिट जारी न किये जायं।

भारत सरकार द्वारा सीमेन्ट की नई नीति, अब उपलब्ध हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट फैक्टरियों के उत्पादन से उनकी उत्पादन क्षमता का 66·66 प्रतिशत लेवी सीमेन्ट के रूप में लिया जायगा और इस प्रतिशत के अतिरिक्त जो भी उत्पादन होगा वह नान लेवी सीमेन्ट होगा जिसके मूल्य तथा वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा और सीमेन्ट विक्रेता खुले बाजार में स्वतन्त्र रूप से इसकी बिक्री करेंगे। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजना के लागू करने का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सीमेन्ट के उत्पादन में वृद्धि करना है।

भारत सरकार द्वारा लेवी सीमेन्ट का आवंटन राज्य सरकार को निम्नलिखित श्रेणियों के मांग को पूरा करने के लिये किया जायगा :--

1--सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों, निगमों तथा स्थानीय निकाय।

2--लघु उद्योगों के भवनों के निर्माण हेतु।

3--सामाजिक उत्थान योजना के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हरिजनों, आदिवासियों तथा समाज के निर्बल तथा निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिये ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना तथा नये बीस सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित मदों के लिये।

4--ऐसे भवनों के लिये जिनका प्लिन्थ का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर तक है।

निम्नांकित श्रेणियों के सीमेन्ट की मांग को आपूर्ति लेवी सीमेन्ट से नहीं की जायेगी :

[श्री वासुदेव सिंह--]

1--सिनेमा होटल, रेस्ट्रा, बैंक भवन, शीतगृह, बहुखन्डी भवन, व्यावसायिक भवन तथा ऐसे रिहायसी मकान जिनके प्लिन्थ का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर से अधिक हो, ऐसे श्रेणी के लोगों को सीमेन्ट की आपूर्ति खुले बाजार में बिकने वाली नान लेवी सीमेन्ट से होगी। ऐसे उद्योगों को भी खुले बाजार से सीमेन्ट खरीदना होगा जो उसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, लेवी सीमेन्ट जिला स्तर पर स्थानीय निकायों तथा ऐसे भवनों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा जिनके प्लिन्थ का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर से अधिक न हो। ऐसे मकानों के लिये सीमेन्ट प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं को अपने प्रार्थना-पत्र के साथ स्वीकृत नक्शे की प्रमाणित प्रति तथा किसी आर्किटेक्ट/इंजीनियर द्वारा सीमेन्ट की आवश्यकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। सीमेन्ट की उपलब्धता के अनुसार उन्हें परमिट पर किस्तों में सीमेन्ट उपलब्ध कराया जायगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिये यह व्यवस्था की गई है कि वे अपने भवन के नक्शे का एक खाका अपने प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगें। उपरोक्त प्रकार के भवनों के निर्माण के लिये पहली किस्त जारी कर दी जायेगी और अग्रिम किश्तों को तभी दिया जायेगा जब स्थल का निरीक्षण करके इस बात की सन्तुष्टि कर ली जायेगी कि सीमेन्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने उसका ठीक से उपयोग किया है।

यद्यपि भारत सरकार की योजना में छोटे-छोटे मरम्मती कार्यों के लिये भी लेवी सीमेन्ट देने की व्यवस्था है, किन्तु राज्य सरकार का अभी तक यह मत है कि छोटे-छोटे मरम्मती कार्यों के लिये उपभोक्ताओं को खुले बाजार में नान लेवी सीमेन्ट खरीदने की व्यवस्था लागू की जाय। जहां तक नये भवनों के निर्माण का प्रश्न है नक्शे, सीमेन्ट की मांग के प्रमाण-पत्र तथा स्थल के निरीक्षण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनकी मांग सही है, किन्तु मरम्मती कार्य के लिये सभी व्यक्ति प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते रहते हैं और यह सम्भव नहीं होता कि सीमेन्ट जारी करने के पहले उनकी मांग का सत्यापन कराया जा सके। इसके साथ ही यह भी सम्भव नहीं हो पाता कि इस बात का भी सत्यापन करा लिया जा सके कि सीमेन्ट प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता ने उसका सदुपयोग किया है। छोटी-छोटी मरम्मतों के लिये सीमेन्ट प्राप्त करने के लिय जिला पूर्ति कार्यालयों में लम्बी लम्बी लाइनें लगी रहती हैं और इस बात की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ असामाजिक तत्व फर्जी परमिट प्राप्त करके उसको चोरबाजारी में बेचें और इस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। लेवी सीमेन्ट भी पहले से अब बहुत कम प्राप्त होगा। अतः छोटी-छोटी मरम्मतों के लिये प्रार्थना-पत्र अधिकाधिक संख्या में प्राप्त होंगे और सभी की मांग की आपूर्ति करना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः राज्य सरकार का यह मत है कि छोटी-छोटी मरम्मतों के लिये लोग खुले बाजार से सीमेन्ट प्राप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस वक्तव्य के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीब उपभोक्ताओं की कीमत पर बड़े-बड़े थैली वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया गया है। इस वक्त एक दाना भी सीमेंट बाजार में नहीं मिल रहा है। जो भी आपके आदेश हैं परमिट काटने के, चाहे वे थोक में हों, चाहे फुटकर में हों, वे कब से बाजार में आयेंगे और जो मकान दैवी आपदाओं के कारण नष्ट हो जाते हैं उनको सीमेंट कैसे मिलेगा?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्न के पहले अंश से मैं असहमति प्रकट करता हूं, वह नहीं ठीक है। सीमेंट के बारे में आदेश जारी कर दिये गय हैं, रेडियो ग्राम चला गया है। कहीं-कहीं वितरण शुरू भी हो गया होगा। जहां तक छोटे-छोटे लोग हैं उनके प्रति शासन की नीति सहानुभूति की रहेगी। खुले बाजार में मिलने वाले सीमेंट के दाम अखबार में छपे हैं, पर वे सीमेंट मैनुफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा दिये गये हैं। हमारा विचार है कि अब कम्पटीशन जब होगा तो बाजार भाव नीचे अवश्य आयेंगे। जो 80 वर्ग मीटर में छोटे मकान बनायेंगे, उनको तो हम देंगे। जो छोटी सम्पत्ति वाले हैं, उनको बाजार से मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने पूछा था कि दैवी आपदाओं के कारण जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जिनको सरकार भी सहायता देती है उनको कैसे मिलेगा? माननीय मंत्री जी ने बताया कि कम्पटीशन में दाम गिर जायेंगे, पर गिरेंगे नहीं, इसमें तो उनकी मोनोपोली हो जायेगी मैनुफैक्चरर्स के और दाम बढ़ेंगे।

श्री वासुदेव सिंह--

यह तो केन्द्रीय सरकार ने तय कर दिया है कि मूल्य नियन्त्रण नहीं रहेगा जिस प्रकार गेहूं, चावल और दूसरी चीजों के दाम गिरे हैं, उसी प्रकार इसके भी दाम गिरेंगे और जो नियन्त्रण हटाया जा रहा है वह एक स्वस्थ दिशा में कदम है, इससे एक स्वस्थ दिशा मिलेगी देश को और यह जो गुप्त जी की आशंका है, मैं समझता हूं कि वह निर्मूल है और मामूली आदमी को सीधे जो बाजार भाव है, वह उससे मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, प्राइस कंट्रोल का बता दें और दैवी आपदाओं का भी बता दें।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, अभी केन्द्रीय सरकार की तरफ से मूल्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना हमें नहीं है। दैवी आपदा में तो शासन अब विभाग से सीमेंट लेकर रेवेन्यू विभाग को देता है, तो वह तो अलग है। दैवी आपदा से सामान्य स्थिति को जोड़ना ठीक नहीं है। जैसी आपदा होती है, उसके अनुरूप आबंटन किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

आपने मान्यवर, जो यह सीमेंट दिया है, जैसे नलकूप हैं, निजी नलकूप हैं, नालियां आदि हैं, उनके लिए है जो सिंचाई के साधन हैं, आपने किसानों के लिए सीमेंट की कोई व्यवस्था किया है?

श्री वासुदेव सिंह--

जहां तक सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, जल निगम आदि का सम्बन्ध है, उसका कोटा आरक्षित है और उसको हम देंगे और आवश्यकतानुसार देंग।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, आपने हमारे सवाल का उत्तर नहीं दिया। जो नालियां सिंचाई आदि की होती हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

जहां तक सिंचाई के लिए सीमेंट देने का सम्बन्ध है, वह इस वक्तव्य के द्वारा कहा गया है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जब केन्द्रीय सरकार ने एक नीति निर्धारित करके आपको दे दिया है, तो जो लेवी के सीमेंट का स्टाक है, क्या वह आबंटन पहले जो मिला करता था, उससे कम है या अधिक है और यदि ऐसा है, तो उसके साथ-साथ मूल्य के बारे में भी सदन में घोषणा कर दें कि जो लेवी का सीमेंट होगा, उसका भाव क्या होगा और जो फ्री सेल सीमेंट होगा, उसका भाव क्या होगा ? क्या केन्द्रीय सरकार ने टरिफ मूल्य निर्धारित किया है और यदि निर्धारित किया है, तो वह क्या मूल्य निर्धारित किया है ? परमिट का भी बता दें, वह क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, अभी केन्द्रीय सरकार की तरफ से मूल्य के सम्बन्ध में कोई परिपत्र, कोई निश्चित अवस्था की सूचना हमें नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, फिर यह वितरण किस आधार पर करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह व्यवस्था पहली अप्रैल से लागू होगी। इस बीच जैसी व्यवस्था है, वह हम चलाते रहेंगे। केन्द्रीय शासन से 5 लाख 67 हजार मीट्रिक टन, यह त्रैमासिक कोटा है और मोहन सिंह को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी चिन्ता उनको है, उससे ज्यादा ही हमको। दोनों मिलेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहली अप्रैल से हम यह व्यवस्था चलायेंगे। लेकिन इस वक्त कहीं कोई परमिट जारी नहीं किया जा रहा है, जो परमिट पिछले भी हैं, लोगों के पास, उसको वह दुकानदार इसलिए नहीं दे रहा है कि अभी तक मूल्य का निर्धारण होकर नहीं आया है। आप कह रहे हैं कि पहली अप्रैल से यह व्यवस्था लागू करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा आदेश जारी करेंगे कि सीमेंट आलरेडी लोगों के पास आ चुका है, उसको पुराने ही मूल्यों के ऊपर, पुराने परमिटों के आधार पर बेंचवाना शुरू कर दिया जायगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मैं सदस्य की चिन्ता से अपनी चिन्ता भी जोड़ता हूं। प्रश्न यह है कि अभी मैंने रेडियोग्राम भेज दिया है और जिसको जिस हिसाब से मिलता था

वह मिलता रहेगा । एक प्रश्न रह जाता है कि 80 वर्ग मीटर प्लिथ एरिया से कम होगा, तो उसे भी देंगे ।

श्री दलगंजन सिंह—

उत्तेजित आपको होना चाहिये था आपने उद्योगपतियों के सामने बैंच दिया है ।

श्री वासुदेव सिंह—

आप में बहुत जोश है, ऐसे जोश हमने देखे हैं । जैसा रियासत हुसैन साहब ने कहा मूल्य के नियंत्रण पर विचार करेंगे । मान्यवर, एक नियंत्रण तो डिस्ट्रीब्यूशन पर होता है और एक मूल्य आवंटन पर होता है । पहली अप्रैल से यह लागू हो जायेगी, उसके पूर्व इस पर निर्णय कर लेंगे । जो सीमेंट स्टाक में है उसके पुराने दामों पर बेंचने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि शहरी क्षेत्रों में निजी भवन की नीति की घोषणा की है । मैं चाहूंगा कि देहाती क्षेत्रों में जो मकान 80 वर्ग मीटर से कम होंगे या निजी सिंचाई गूलें या पुलिया नाली आदि का है, उसके बारे म भी स्पष्ट करें ।

श्री वासुदेव सिंह—

उनको देंगे ।

श्री चेतराम गंगवार—

यह तो बता दें नकशा कौन पास करेगा, एम0 एल0 ए0 या सभापति किसकी रिकमेंडेशन पर देंगे ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जब केन्द्रीय सरकार ने निर्बल वर्ग को सीमेंट देने का नियम बनाया तो सरकार अपनी विफलता के कारण उन गरीबों को सीमेंट से क्यों बंचित कर रही है । गांव में मकान की मरम्मत आदि के लिये आज 1 लाख 12 हजार गांव की समस्या है क्या उनको भी सीमेंट लेवी देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

निश्चित ही व्यवस्था करेंगे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों म उपभोक्ताओं के लिये यह व्यवस्था की गई है कि वे अपने भवन के नक्शे का एक खाका अपने प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे । उपरोक्त प्रकार के भवनों के निर्माण के लिये पहली किस्त जारी कर दी जायेगी और अग्रिम किस्तों को तभी दिया जायेगा जब स्थल का निरीक्षण करके इस बात की सन्तुष्टि कर दी जायेगी कि सीमेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने उसका ठीक से उपयोग किया है । मान्यवर, शहरों में तो ठीक

[श्री श्याम लाल बाजपेयी—]

है कि इंजीनियर से सर्टिफिकेट ले आये, ओवरसियर से सर्टिफिकेट ले आये लेकिन गांवों में इंजीनियरीकरण आपने कर दिया यह कौन सी महत्ता का काम किया है।

मान्यवर, गांव का वह व्यक्ति कहां इंजीनियर को ढूंढ़ेगा, कहां नक्शा बनवायेगा और कहां-कहां उसकी प्रति देगा, क्या इस व्यवस्था पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री बासुदेव सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने उचित प्रश्न किया है। खाके के लिए इंजीनियर या ओवरसीयर के पास नहीं जाना पड़ेगा। यह आश्वस्त होने के लिए है कि 80 वर्ग मीटर के ऊपर है कि नीचे। यही संतुष्ट होना चाहेंगे, शेष उनको सीमेन्ट मिलेगी।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ए० डी० एम० (सिविल सप्लाईज) के वहां जो परमिट काट दिए गए हैं और जो उनके यहां रखे हैं, उनको सीमेन्ट कैसे देंगे, इसके बारे में मंत्री जी बता दें। वह परमिट उन गरीबों को दिए जायं ऐसे आदेश दे दें। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को निजी नलकूप लगाने और नालियां बनाने में क्या कोई सीमेन्ट की व्यवस्था किया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर जो कार्य 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन है निजी नलकूप लगाने और सिंचाई की नालियां बनाने हेतु सीमेन्ट दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य 2–3 दिन में खबर पायेंगे कि सीमेन्ट मिल रही है और सिंचाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमेन्ट देने की व्यवस्था की ओर हम दत्तचित्त हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी दाम बांधो सम्मेलन करते रहे और अपने वक्तव्य में लिख दिया है कि मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मुझे अफसोस है कि मंत्री जी के दस्तखत से और मुखारबिन्दु से आज ऐसा सुनने को मिल रहा है। वह बड़े अफसोस की बात है। जाहिर है कि जब मूल्य पर नियंत्रण नहीं रहेगा, खुले बाजार की सीमेन्ट पर और वह जो चाहेंगे वह मूल्य सीमेन्ट का लेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि किस सिद्धांत के आधार पर लागत मूल्य से डेढ़ गुने से ज्यादा दाम पर यह सीमेन्ट न बिके इसलिए क्या इस सिद्धान्त के आधार पर खुले बाजार में सीमेन्ट का मूल्य निर्धारित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी यह सब समाजवादी प्रश्न हैं, बतायें।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वह बदल गए हैं, अब श्रीमती गांधी का समाजवाद इनके साथ है।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, श्रीमन्, आपने समाजवाद की बात कही है तो जो नयी मूल्य नीति है उसको इस स्तर से करने में हम सक्षम नहीं हैं। लेकिन अपने विचारों का हम संप्रेषण उचित विधा में करते हुए यह आशा जरूर करते हैं कि कोई मूल्य नीति निर्धारित हो। लेकिन यह केन्द्र का विषय है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने परमिट इस महीने में ईशू थे और जिनको सीमेन्ट नहीं मिली है क्या 30 मार्च तक उनको क्या पुराने रेट पर सीमेन्ट दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह जो सीमेन्ट का वितरण है त्रैमासिक होता है। जिसका परमिट कट चुका है उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं आया है। मैं बताना चाहता हूं कि त्रैमासिक में जनवरी, फरवरी, मार्च आता है। जो परमिट कट चुके हैं, सीमेन्ट स्टाक में हैं, उनको सीमेन्ट देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि 31 मार्च तक पुराना हिसाब साफ करके नया जो अध्याय है वह पहली अप्रैल से शुरू किया जायेगा। उनको सीमेन्ट नहीं देंगे तो किसको देंगे।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, एक सीमेन्ट लेवी की होगी और दूसरी सीमेन्ट खुले मारकेट में मिलेगी। लेवी की सीमेन्ट मार्केट मे ब्लैक होगी। तो लेवी की सीमेन्ट जो ब्लैक मे बिकेगी उसमें और जो खुले मार्केट में मिलेगी तो उसमें अन्तर क्या होगा। अगर लेवी की सीमेन्ट पकड़ी गयी तो उसमें क्या अन्तर होगा, जिससे उसकी पहचान की जा सके कि यह लेवी की सीमेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी प्रश्न तो इनका काल्पनिक अवश्य हैं। आप उत्तर देने के लिए खड़े हो रहे थे तो अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो दे दें।

श्री वासुदेव सिंह—

हर चीज में अन्तर है, यह जो अपराधशीलता है, अपराधी जो पकड़े जायेंगे मैं अपने बजट स्पीच में कहा था कि अन्य सालों के मुकाबले तीन गुना, 4 करोड़ 25 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। अगर आपकी बात सही है तो 8 करोड़ का जब्त कर लेंगे।

श्री हरदेव--

माननीय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो तरह का मूल्य रहेगा। जो परमिट ब्लैक किया जाता है वह दो गुने दामों पर ब्लैक होता है। और ब्लैक में दो गुने दामों पर सीमेन्ट मिलती है। तो गरीबों को सीमेन्ट मिल सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय, पूरे जनपद का 1/4 सीमेन्ट सदर तहसील को एलाट किया जाता है।

सदर में 1/4 बराबर शहरों में और तहसील में 1/4 नहीं। तो माननीय, आधा सीमेन्ट प्रथम ही जैसे बलिया एक शहर है तो उसमें आधा सीमेन्ट सदर को मिल जाता है और आधे में पूरा जनपद को मिलता है, यह न्यायसंगत नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर अपनी कोई आख्या देंगे कि यह किस नीति से होगा ?

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि लघु उद्योगों के भवनों के निर्माण हेतु लेवी की सीमेन्ट मिलेगी। माननीय, छोटे-छोटे होटल भी लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं तो क्या उनके लिए भी लेवी की सीमेन्ट देने का प्राविधान है ? और यदि नहीं है, तो मंत्री जी इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

लघु उद्योगों को लेवी की सीमेन्ट मिलेगी, उनका सर्वे होगा। यदि वे लघु उद्योगों में आयेंगे तो उन्हें दी जायेगी। वैसे हम निगमों को, सरकारी विभागों को, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को तथा स्थानीय निकायों को देते हैं। लघु उद्योगों को, उद्योग विभाग की सीमेन्ट 45,567 मीट्रिक टन तक देते हैं, में से मिलेगा। यदि वे उद्योगों की परवीक्षा में आते हैं तो वह भी ले सकेंगे।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च से जो सीमेन्ट दूकानदारों के पास है वह क्या सारी की सारी सीमेन्ट कन्ट्रोल रेट पर बिकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, कन्ट्रोल रेट पर ही बिकेगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जो आपकी यह वितरण नीति है वह केन्द्र सरकार के आधार पर है। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य के नम्बर 2 पर लिखा है जैसे कि शहरों में शीतगृहों, दूकानों के लिए खुले बाजार से सीमेन्ट खरीदेंगे जोकि उसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में करेंगे। आपके सूबे में आलू के लिए शीतगृह बहुत जरूरी है। आपके हर सूबे की आवश्यकता भिन्न-भिन्न है। इन चीजों को देखते हुए क्या आपकी राज्य सरकार अपने विचारों के मुताबिक कोई संशोधन या अमेन्डमेन्ट करने का विचार करती है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत बन्दनीय है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। मैं इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से भी कहूंगा और राज्य सरकार का ध्यान भी हम इन चीजों की तरफ ले जायेंगे। अन्त में मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हू कि जो छोटी-छोटी मरम्मत की बातें हैं, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और कैबिनेट में हम इसको जनहित में जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है और जैसी कि उनकी आकांक्षा है, इस पर विचार करके राहत पहुंचाने की चेष्टा करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी माननीय मंत्री जी ने फिर आश्वासन दिया है। उद्योगों के बारे में इन्होंने आश्वासन दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, बैंकों आपत्ति के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है। परन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की एजेन्सी क्या है, क्या आपने इसके बारे में भी विचार किया है कि गांव में कितने तक और शहर में कितने तक आप देंगे ?

दूसरी बात यह कि आप सीमेन्ट जो कि एक इसेन्शियल कमोडिटीज में आती है उसे आपने फ्री कर दिया। जैसे कि कोई चीनी ले जाता हुआ पकड़ा गया तो वह कहता है कि इसे हमने फ्री सेल में लिया है। इसी तरह से सीमेन्ट जोकि लेवी की है, खुले बाजार में बिकने के कारण फ्री सेल होने के कारण आप कैसे पकड़ेंगे ? तो क्या इस पर विचार करके ऐसा कोई प्राविधान करेंगे कि यह इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट में लागू हो जाय ?

श्री वासुदेव सिंह—

जो पहले का है उसके बारे में निरंतर विचार करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो और कैसे शुद्ध जीवन हो और जो बातें एजेंसी के बारे में हैं, वक्तव्य में है उसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ब्लाक स्तर पर ग्रामीण अंचलों को सीमेन्ट उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था पूर्व की है वही चालू रहेगी। सीमेन्ट कारपोरेशन किसको स्टाकिस्ट बनाता है, यह उनका काम है लेकिन ग्रामीण अंचलों में ब्लाकों के मारफत और निजी दूकान तक, साधन सहकारी समिति के जरिय, आवश्यक वस्तु निगम, पी० सी० एफ०, इसेन्शियल कमोडिटीज कारपोरेशन है, इनका सहयोग लेंगे और ब्लाक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

श्री गौरीशंकर भैय्या—

20 सूत्री कार्यक्रम की बात कही। जो ग्रामीण इलाके के कुटीर उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा देने की बात कही गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो देहात में जाली बनाने का काम करते हैं, छोटे-छोटे पाइप बनाने का काम करते हैं, पहले उनको नियंत्रित मूल्य पर सीमेन्ट मिलती थीं तो क्या अब भी उनको कंट्रोल रेट पर देंगे या बाजार रेट पर ?

श्री वासुदेव सिंह—

कुटीर उद्योग, उद्योग के अन्दर आते हैं । उद्योग विभाग को 45.5 हजार मी० टन पहले से आवंटित किया गया है यदि आवश्यकता होगी तो उस पर भी विचार करेंगे ।

श्री दलगंजन सिंह—

सीमेन्ट वितरण की गलत नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री दलगंजन सिंह वक्तव्य की प्रति फाड़ कर सदन त्याग कर चले गये)

[समय 6 बजे]

प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, आपने ट्रक हड़ताल के सम्बन्ध में बयान देने का निर्देश दिया था ।

*परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल की जो स्थिति है आज यह हड़ताल पूरे प्रदेश में हर जगह नहीं है । कुछ जगहों पर कम कुछ जगहों पर ज्यादा है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले सुन लें । आप माननीय कुबेर भन्डारी जी, सुन लें पहले ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

झांसी में कम है, इलाहाबाद में कम है, मुरादाबाद में है, कानपुर में है, आगरा में हड़ताल नहीं है, बरेली में है, काठगोदाम में है लेकिन पहाड़ों पर नहीं है, मेरठ में है...

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

काठगोदाम से ऋषिकेश टनकपुर जाती हैं, सब झूठा बयान है....

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी में लोगों ने हड़ताल समाप्त कर दी है, गोरखपुर में है, देहरादून में है लेकिन पहाड़ों पर नहीं है ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार यह चाहती थी कि किसी प्रकार यह हड़ताल न होने पाये और प्रयास भी किया गया लेकिन आपरेटर्स से कहा गया कि कोई बात हो तो बतायें, विचार किया जायेगा लेकिन हड़ताल पर चले गये और उसका एक ही कारण था कि जो फ्रेट 74 में बढ़ा था उसके बाद कोई नहीं बढ़ाया गया और 74 के बाद फ्रेट 50 परसेंट बढ़ गया है। वे कहते हैं कि फ्रेट न बढ़ाया जाय। जब तमाम चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, जब बसों का बढ़ाया गया है तो जरूरी है कि ट्रकों का भी फ्रेट बढ़ाया जाय। फ्रेट के साथ कुछ टैक्स भी बढ़ा है लेकिन सरकार चाहती है कि ट्रक आपरेटर्स अपनी हड़ताल वापस ले लें। जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से उनको देना चाहिये। टैक्स के साथ फ्रेट बढ़ने से उनका भी फायदा हुआ है। उसका असर टैक्स के ऊपर कुछ पड़ा है लेकिन फ्रेट बढ़ने से उनका भी फायदा हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को 48 घंटे के लिये निर्देशित किया गया था कि जो ट्रकों की हड़ताल हो रही है उससे जन-जीवन प्रभावित हुआ है, इस स्थिति को सामान्य करने के लिये सरकार क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है यह बतला दें। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 48 घंटों में स्थिति को सामान्य करने के लिये सरकार ने कौन सा कदम उठाया है? जो हड़ताल हो रही है उसको खतम करने के लिये कोई सूचना दी गई है। स्थिति को सामान्य करने के लिये जैसा कि कुछ लोगों ने कहा सरकार क्या विकल्प कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसीलिये निर्देशित किया गया था।

श्री वीर बहादुर सिंह—

परमिट ट्रक चलाने के लिये ही दिया गया है। ट्रक आपरेटरों से कहा गया है कि जो ट्रक नहीं चलायेंगे उनका परमिट कैंसिल कर दिया जायगा। अब तक 297 परमिट निलम्बित किये जा चुके हैं। उनसे यह कहा जा रहा है कि अगर वे लोग ट्रक नहीं चलायेंगे तो उनका परमिट निलम्बित कर दिया जायेगा। यह सही है कि परमिट ट्रक्स चलाने के लिये दिये गये हैं और दूसरी बात यह है कि बहुत से आपरेटर्स अपनी ट्रक्स चलाना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं लोग दबाव दे रहे हैं जिससे वे अपने ट्रक्स नहीं चला पा रहे हैं। यह व्यवस्था की जा रही है कि अगर कोई जबरदस्ती रोकथाम करेगा और ट्रक्स नहीं चलने देगा तो उस पर कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री सतीश अजमानी—

यह सरकार इस तरह से ट्रक्स आपरेटर्स को दबा रही है। इससे बढ़कर अत्याचार और जुल्म और कोई नहीं हो सकता कि इस तरह से नाजायज तरीके से दबा रही है। टैक्स डबोढ़ा कर दिया है और परमिट भी कैंसिल करने की बात कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कोई वक्तव्य था और न कोई और बात थी। एक निर्देश दिया गया था कि सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है। वह बतला दें और करीब-करीब यह उन्होंने बतला दिया है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आज स्थिति को सामान्य करने के लिये सरकार का प्रयास होना चाहिये। उनसे बातचीत करके, उनसे समझौता करके, समझा-बुझाकर, निगोसियेशन करके हड़ताल को समाप्त करने का कोई रास्ता निकालना चाहिये लेकिन ऐसा न करके सरकार दमनात्मक चोजें कर रही है। यह सरकार जो एक लोकतांत्रिक सरकार है, सभी के हितों की संरक्षक सरकार है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या समझौते का कोई रवैया वार्ता के द्वारा उनसे या किसी मध्यस्थ के द्वारा अपनाया गया ताकि वे अपनी हड़ताल वापस लेने पर विचार कर सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उनसे कहा गया है कि वे अपनी हड़ताल वापस ले लें, उसके बाद विचार किया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ एक चीज प्वाइंट आउट करना चाहता हूं। मेरठ, मुरादाबाद और बरेली ये तीन डिवीजन्स हैं जो पहाड़ों को फीड करते हैं। पहाड़ों में आपने कहा कि हड़ताल नहीं है। जो फीड डिवीजन्स हैं वहां हड़ताल है पहाड़ में हड़ताल पर नहीं है तो कहां से उड़कर ट्रकें जा रही हैं आप ही कल्पना कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट की असत्यता को देखते हुये और चूंकि कोई आल्टरनेट अरेन्जमेंट नहीं किया है, इन दोनों चीजों को देखते हुये मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सरकार का रवैया जनहित विरोधी है, इसलिये मैं इसके खिलाफ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री खैरुल बशर—

जन विरोधी है....

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं और मेरा दल भी सरकार के इस रवैये के खिलाफ सदन का त्याग करता है।

(श्री मोती लाल देहलवी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सतीश अजमानी—

14 दिन हड़ताल पर, एक मिनट....

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

जो ट्रक आपरेटर ट्रक चलाना चाहते हैं क्या सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी ?

(व्यवधान)

श्री बंसल बशर—

अपनी हठधर्मी छोड़कर क्या सरकार समझौता करने की कार्यवाही करेगी....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल ने किया कि जो ट्रक आपरेटर्स ट्रक चलाना चाहते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आदेश दिये गये हैं कि जो चलाना चाहते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष—

अब हम उठते ह, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ।
15 मार्च, 1982 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 518 पर ।

दिनांक : 25–11–81 से शुरू किये जाने वाले भूख हड़ताल के सन्दर्भ में श्री प्रेम सिंह यादव द्वारा कुलपति को प्रस्तुत मांगें ।

1––समस्त निष्कासित छात्रों को द्वितीय त्रैमास 1981–82 में पंजीकृत किया जाय एवं छात्रों के खिलाफ तथाकथित मुकदमों को निरस्त कराया जाय ।

2––विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों एवं परिसर के अन्य समुदायों को प्रताड़ित करने के लिए बनाये गये कानून समाप्त कराये जायें :––

(अ) 11 (सी) (ब) 44–iv डी (स) 23 बी तथा सी (द) डेफरमेन्ट पालिसी पर प्रतिबन्ध (य) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन–ऋण पर प्रतिबन्ध आदि ।

3––छात्रों की गठित संविधान समिति द्वारा पारित छात्र संघ के संविधान के तहत विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव जल्दी कराये जायं ।

4––वर्तमान कुल सचिव एवं छात्र कल्याण अधिष्ठाता को तुरन्त पदमुक्त किया जाय एवं उपरोक्त दोनों पदों को सीमित चक्रानुसार (रोटेटर) घोषित किया जाय ।

5––कुलपति, पन्तनगर विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं भाषावाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति एवं तनाव के वातावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए अविलम्ब त्याग पत्र दें ।

6––पिटीशन कमेटी को समाप्त किया जाय एवं कुलसचिव विद्वत परिषद की सहायता से छात्रों के तथाकथित मामलों को निपटायें, विद्वत परिषद् के अन्दर छात्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिले । तमाम छात्रों को जायज मेक अप दिये जायं एवं परीक्षाएं अविलम्ब करायी जायं । सभी प्रशासनिक एवं शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियों को निरस्त किया जाय एवं भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति व अनियमितताओं पर रोक लगाने हेतु सभी साक्षात्कार विश्वविद्यालय परिसर में करायी जायं ।

7––स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों को मिलने वाली असिस्टेन्टशिप एवं स्नातक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों में मंहगाई को मद्दे नजर रखते हुए उपयुक्त वृद्धि की जाय एवं असिस्टेन्टशिप सभी को दी जाय ।

8—स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में होने वाले प्रवेशों के लिए विश्व-विद्यालय में चले आ रहे पुराने नियमों को पुनः लागू कर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय ।

9—प्रौद्योगिक विश्व में ब्रान्च परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय में इन्टरनशिप तुरन्त खुलवायी जाय ।

हम किसी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, हम लेकिन आपको सचेत करते हैं कि प्रशासन व पुलिस की दमनात्मक नीति को छात्र उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे । समस्याओं के समाधान हेतु हम सहयोगात्मक रवैया अपनाने का विश्वास दिलाते हैं ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 533 पर।)

जिन 22 प्रशिक्षित के ऋण प्रार्थना-पत्र इलाहाबाद बैंक, दुद्धी (मिर्जापुर) को प्रेषित किए गये हैं उनके नाम तथा अन्य विवरण निम्नवत् हैं—

क्रम-संख्या	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जाति	गांव	ट्रेड	धनराशि	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						रु0		
1	दिलीप कुमार	सीताराम	जायसवाल	दुद्धी	विद्युत	10,000	1981	नवम्बर
2	राज कुमार	हरी प्रसाद	हलवाई	बैढ़ा	तदेव	10,000	1981	,,
3	यशवन्त सिंह	फूल चन्द सिंह	सिक्ख	दुद्धी	तदेव	10,000	1981	,,
4	अमानुल्ला खां	मु0 इसहाक खां	मु0	बराइडांड	तदेव	10,000	1981	,,
5	ओम प्रकाश गुप्त	जगदीश प्रसाद	कलवार	धनौरा	तदेव	10,000	1981	,,
6	विजय कुमार सोनी	जमुना प्रसाद सोनी	स्वर्णकार	दुद्धी	तदेव	10,000	1981	,,
7	भोला नाथ गुप्त	लाल चन्द राम	अग्रहरी	दुद्धी	तदेव	1,000	1981	,,
8	महेन्द्र सिंह	सरजू	अग्रहरी	,,	वायरमैन	1,000	1981	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	विन्ध्यवासिनी	हिमाचलराम	कलवार	धनौरा	वाइरिंग	10,000	1981	नवम्बर
10	बिहारी लाल	हरीश चन्द्र	अग्रहरी	दुद्धी	वाइरिंग	1,000	1981	,,
11	भोला प्रसाद	बसई प्रसाद	अनु0	मलदेवा	फोटोग्राफी	5,000	1981	,,
12	केशव सरन	श्यामा प्रसाद	अनु0	दुम्हान	वाइरिंग	5,000	1981	,,
13	अकबाल अहमद	अब्दुल मुरतजा	मु0	मलदेवा	वेल्डिंग	10,000	1981	,,
14	जगदीश सिंह	बनारसी सिंह	ठाकुर	दुद्धी	वायरमैन	5,000	1982	जनवरी
15	विश्वनाथ जौहरी	राम खेलावन	जौहरी	,,	,,	5,000	1982	,,
16	छेदी लाल	राजाराम	चौरसिया	,,	,,	5,000	1982	,,
17	उदय कुमार	मिश्री लाल	जायसवाल	,,	,,	5,000	1982	,,
18	प्रीतम सिंह	राम चन्द्र सिंह	सिक्ख	,,	,,	5,000	1982	,,
19	सतीश चन्द्र	विजय बहादुर	श्रीवास्तव	खजुरी विद्युत्		5,000	1982	,,
20	जयनाथ	मनफेर	अनु0	दुद्धी	,,	5,000	1982	,,
21	अभिमन्यु प्रसाद	राम सुन्दर	अग्रहरी	,,	,,	5,000	1982	,,
22	अर्जुन सिंह	बंशधारी सिंह	ठाकुर	धनौरा	,,	5,000	1982	,,

नत्थी (ग)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या--9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 535 पर ।)

दिनांक 7-3-81 को जनपदीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें निम्नलिखित कार्य संपादित कराने हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ को दिये गये थे :—

ब्लाक घोसी

1--सेमरी से जमालपुर मार्ग पर खड़ंजा ।

2--घोसी से पकड़ी बुजुर्ग मार्ग पर खड़ंजा ।

फतेहपुर मंडाव

1--डुमरी से लघुवाई मार्ग पर खड़ंजा ।

2--डुबारी से मिश्रौली मार्ग पर खड़ंजा ।

3--पंचायत भवन मधुवन मार्ग पर खड़ंजा ।

4--पंचायत भवन फतेहपुर मंडाव ।

5--धरमपुर देवरा में गांव पटाई ।

1--घोसी से पकड़ी बुजुर्ग मार्ग-इस मार्ग पर सोलिंग एवं मिट्टी का कार्य 2.3 कि0 मी0 तक एवं सम्पूर्ण 8 कि0 मी0 तक पुलिया का निर्माण कराया जा चुका है । इस पर कुल 3.13 लाख व्यय किया जा चुका है और 0.5 लाख का भुगतान होना शेष है । इस प्रकार कुल व्यय की गई राशि 3.63 लाख होगी ।

2--डुमरी से लघुवाई मार्ग इस-मार्ग की लं0 1.00 कि0 मी0 है जिसमें चार पुलिया का निर्माण कराया जा चुका है और कुल व्यय 36,000.00 हो चुका है ।

विकास खंड घोसी के क्रमांक 1 तथा फतेहपुर मंडाव विकास खंड के क्रमांक 2 से 5 पर विभिन्न कारणों से कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है ।

नत्थी

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 17

बांदा जनपद में स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम के तहत विकास खण्डों को वर्ष

योजना का नाम	31-12-81 तक विकास खण्डवार बड़ोखर	तिंदवारी	जसपुरा	कमासिन	बबेरू खुर्द
1--अनुसूचित जाति के कृषकों के आर्थिक विकास हेतु सहायित दर पर कृषि निवेशों की आपूर्ति की योजना	0.210	0.200	0.070	0.150	0.150
2--उन्नत बीजों के सम्वर्धन एवं संग्रहण की योजना	..	..	..	..	..
3--उत्तर प्रदेश में तिलहन विकास की योजना	0.003	..	0.003	..	..
4--सोयाबीन के विकास की योजना	..	..	..	..	..
योग ..	0.213	0.200	0.073	0.150	0.150

'घ'

(का उत्तर पीछे पृष्ठ 537 पर ।)

1981-82 में 31-12-81 तक दी गई धनराशि का विवरण

(लाख रु0 में)

आवंटित धनराशि	बिसंडा	महुआ	नरैनी	कर्वी	पहाड़ी	मानिकपुर	राम नगर	मऊ	योग
0.200	0.190	0.240	0.140	0.100	0.130	0.130	0.110		2.020
..	0.300	..	..	..	..	..	..		0.300
0.001	..	0.002	0.002	0.002	..	..	0.001		0.014
..	..	0.015	..	..	..	..	0.005		0.020
0.201	0.490	0.257	0.142	0.102	0.130	0.130	0.116		2.354

नत्थी (ङ)

(देखिये पीछे पृष्ठ 558 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री हरिवंश सहाय द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या—4

प्रश्न	उत्तर
क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर के टेण्डर नोटिस दिनांक 15-7-81 द्वारा जी० टी० रोड, मुजफ्फरनगर से रेनधो फैक्ट्री तक एक लाख तीन हजार रुपयें की लागत से सड़क को पक्की कराने के लिए व्यय करना प्रस्तावित है ? क्या यह सही है कि यह सड़क सार्वजनिक नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति की फैक्ट्री तक ही जाती है ? यदि हां, तो इस प्रकार सार्वजनिक संस्था के धन से किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा के लिये खर्च करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने पर विचार करेगी ?	जी हां । यह मार्ग सार्वजनिक है किसी प्रभावशाली व्यक्ति की फैक्ट्री तक ही नहीं जाता है । मार्ग के सार्वजनिक होने के कारण इस सम्बन्ध में किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बलराम सिंह यादव,
मन्त्री,
पंचायती राज विभाग ।

पी० एस० यू० पी०—25 एल० ए०—24-4-82—835 (पी० डी०) ।